लोकमानस

loksatta@expressindia.com

इथेनॉलबाबतचे निर्णय ‘तुघलकी’

‘**जोडोनिया (ई)धन** उत्तम व्यवहारे’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- २०ऑगस्ट) वाचले. ई-१०नंतर ई-२०आणि ई-३० असे करत वाहने केवळ इथेनॉलवर धावतील अशी ग्वाही देशाच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्र्यांनी दिली होती. वाहनांमध्ये १०० टक्के इथेनॉल वापर लवकरच सुरू होईल आणि लवकरच काही मोठ्या कंपन्या १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या सादर करणार आहेत, असेही केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्र्यांनी जाहीर केले होते. सरकारने २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलच्या भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मांतील फरक सर्व टप्प्यांवर प्रतिबिंबित होतो. इथेनॉलला इंधन म्हणून किंवा एक ‘ॲडिटिव्ह’ म्हणून जुळवून घेण्यासाठी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आवश्यकता असते जी ऊर्जा खपवणारी क्रिया आहे. हे लक्षात न घेताच निर्णय घेतले गेले.

वाहनांत पेट्रोल कमी वापरले जावे म्हणून इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याचा उपाय तातडीचा म्हणून सरकारतर्फे अंगिकारला आहे. अत्यंत दुर्लक्षित मुद्दा म्हणजे ऊर्जा घनत्व. इथेनॉलमध्ये शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत प्रति लिटर सुमारे ३० टक्के कमी ऊर्जा असते. जेव्हा तुम्ही मिश्रणात २० टक्के इथेनॉल मिसळता, तेव्हा वाहनाची इंधन कार्यक्षमता कमी होते. पण वाहनधारकांच्या तक्रारींकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. देशभर तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारचे कान खुद्द अर्थसल्लागारांनी टोचले आहेत. अनेक ग्राहक सर्वेक्षणे असे दर्शवतात की २०२३ पूर्वीच्या वाहनांच्या ५५ ते ६६ टक्के मालकांनी ई-२० सुरू झाल्यापासून अनेक वाहनधारकांना इंधन कार्यक्षमता कमी झाल्याचा आणि जास्त देखभाल खर्च करावा लागल्याचा अनुभव आला आहे. ४ जुलै २०२६ रोजी सरकारने पत्रकारपरिषदेत ग्राहकांच्या चिंता ‘किरकोळ’ आहेत म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे बरे अशी भूमिका घेतली, तर तज्ज्ञ आणि ऑटो कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन इथेनॉलचे आर्थिक फायदे दाखवले गेले होते. आता इथेनॉल धोरणाबाबत असंतोष वाढल्यानंतर सरकार अर्थसल्लागाराची मात्रा वापरत आहे असे दिसते. इथेनॉलबाबतच्या ‘तुघलकी’ निर्णयातून धोरण लकव्याचेच दर्शन घडते.

■ **प्रा. डॉ. गिरीश नाईक,** कोल्हापूर

अन्नसुरक्षेची किंमत मोजावी लागू नये

‘**जोडोनिया (इं)धन** उत्तम व्यवहारे...’ हा अग्रलेख वाचला. पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. असे असले तरी इथेनॉल धोरणाचे मूल्यमापन केवळ आयात बचतीच्या निकषावर करता येणार नाही. इथेनॉल तयार करण्यासाठी खूप पाणी लागते. त्यामुळे पर्यावरण, अन्नसुरक्षा, जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांवर विचार होणे गरजेचे आहे.

इथेनॉलच्या प्रत्येक लिटरमागे आपण किती इंधन वाचवतो याबरोबरच किती पाणी खर्च करतो, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. हवामान बदल, भूजलपातळीतील घट आणि वाढती जलटंचाई या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा धोरणाला जलसुरक्षेपासून वेगळे ठेवता येणार नाही. जागतिक स्तरावर ऊर्जा धोरणाचा कल विद्युत वाहने, हायड्रोजन, जैवइंधन आणि सार्वजनिक वाहतूक यांच्या मिलाफातून पुढे येणाऱ्या पर्यायांकडे आहे. इथेनॉल हा संक्रमणकालीन उपाय आहे. ब्राझील आणि अमेरिकेच्या अनुभवातून हेच दिसून येते की यशस्वी इथेनॉल धोरण हे केवळ चलन बचतीचे धोरण नसून कृषी, पर्यावरण, जलव्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि ग्राहकहित यांचा समन्वित आराखडा आहे. त्यामुळे, इंधनसुरक्षा, अन्नसुरक्षा, जलसुरक्षा आणि ग्राहकहित यांचा समन्वय साधणारे राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण राबवून अन्नधान्यापासून इंधनाऐवजी कचऱ्यापासून इंधन हे तत्त्व स्वीकारले पाहिजे. तांदळाची टरफलं, उसाचा चोथा, पिकांचे अवशेष, कृषी कचरा आणि शहरी सेंद्रिय कचऱ्यापासून इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. यामुळे जलसुरक्षा, अन्नसुरक्षा आणि इंधनसुरक्षा यांच्यातील संभाव्य संघर्ष टाळता येईल. अन्यथा आज पेट्रोल आयातीवरील खर्च वाचवताना उद्या पाणी, पर्यावरण आणि अन्नसुरक्षेची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.

■ **हेमंत पाटील,** वसई

विशिष्ट समूहाविषयीच्या आकसापोटी?

‘**वंदे मातरम’ची** दोनच कडवी!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २० ऑगस्ट) वाचले. ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताच्या गायनावरून सुरू झालेल्या नव्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यकारणी समितीने पक्षाची १९३७ मधील भूमिका कायम ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय रास्तच आहे! घटनेने स्वीकारलेले धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभावाचे तत्व ध्यानात घेता १९३७ पासून गायले जात असलेले दोन कडव्यांचे वंदे मातरम हे गीत योग्यच आहे! ‘वंदे मातरम’ सारख्या राष्ट्रगानाचे माधुर्य, पावित्र्य आणि सन्मान राखण्यासाठी ते दोन कडव्यांचेच, अल्प वेळेचेच असणे गरजेचे आहे! नागरिकांचे ज्येष्ठत्व, वृद्धत्व, शारीरिक व्याधी, एखाद्याची तत्कालीन शारीरिक अकार्यक्षमता, प्रकृती अस्वास्थ्य, ऐनवेळी उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या तक्रारी अशा अनेक समस्या अनेकांना भेडसावू शकतात. अशावेळी दीर्घकाळ स्थिर उभे राहणे बहुतेकांना गैरसोईचेच! आणि म्हणूनच राष्ट्रीय गीताची समयसीमा अल्पच असावी! त्यामुळे त्याचा आदर, पावित्र्य जपले जाईल. यामध्ये कोणाचाच आणि कसलाही उपमर्द वा अवमान होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. समस्त देशवासीयांमध्ये मान्यता पावलेले, कित्येक वर्षांची परंपरा असलेले वंदे मातरम हे गीत पूर्वीप्रमाणेच गायले जावे. परंतु भाजप सरकारने ध्रुवीकरणाच्या दुष्ट हेतूने आणि खोडसाळपणे काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी कुटीलपणे संपूर्ण वंदे मातरम गाण्याचा आग्रह धरला आहे, असे वाटते. विशिष्ट समूहाविषयीच्या आकसापोटीच हे कुटील पाऊल टाकले असावे.

■ **श्रीकांत जाधव,** सातारा

ज्येष्ठच तक्रार करणे टाळतात

‘**वृद्ध आई-वडिलांच्या** सांभाळासाठी कायदेशीर कारवाईच हवी?’ हे मोहन आटाळकर लिखित ‘विश्लेषण’ (लोकसत्ता- २० ऑगस्ट) वाचले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींवर ९० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेले निर्देश स्वागतार्हच आहेत, परंतु महाराष्ट्रातील काही ज्येष्ठ नागरिक आपल्या मुलांची बदनामी होईल म्हणून तक्रार करणे टाळतात व त्याचाच गैरफायदा मुले घेतात. जर सरकारने स्वतःच घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले तर जेष्ठ नागरिकांच्या समस्या कमी होतील व सरकारकडे खोट्या तक्रारी येणार नाहीत. तेलंगणा सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रात मुलांच्या वेतनातून १५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम थेट कापून आई वडिलांच्या खात्यात जमा केल्यास वृद्धांच्या समस्या पुष्कळ प्रमाणात कमी होतील.

■ **उज्वला मालाडकर,** बाणेर (पुणे)

समस्यांचे निराकरण महत्त्वाचेच!

‘**केंद्रीय मंत्र्यांचा** दररोज एका विद्यापीठाचा दौरा’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० ऑगस्ट) वाचली. पेपरफुटीमुळे सरकारविरुद्ध देशभर विद्यार्थी आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. जेन झी तरुणांचा सहभाग असलेल्या या आंदोलनामुळे या पिढीच्या समस्या जाणून घेण्याची इच्छा झाली हे चांगलेच आहे. आयुष्याला वळण देणाऱ्या परीक्षांसाठी विद्यार्थी आटोकाट प्रयत्न करतात. अनेक गैरसोयींशी झगडत त्या परीक्षांना सामोरे जावे लागते. आयुष्याची दोन- तीन वर्षे ते परीक्षेतील यशासाठी जीवाचे रान करतात. अशा परीक्षांचे पेपर फुटले की ती परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांवर आणि त्याअनुषंगाने सरकारविषयीही रोष निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. जेन-झीमध्ये अशाप्रकारे असंतोष निर्माण झाला असताना त्यांच्या कलाने त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न होत असतील, तर ते उत्तमच.

■ **कबीर चंदनशिवे,** डोंबिवली

समाजात बदल होणे गरजेचे

‘**जुन्नरमध्ये दहा** वर्षांच्या मुलीचा अत्याचार करून खून’ हे धक्कादायक वृत्त (लोकसत्ता- २१ ऑगस्ट) वाचले. नसरापूरमधील साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवरील अत्याचार आणि तिच्या हत्येने महाराष्ट्र हादरला होता. विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात जलद सुनावणी घेऊन आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. न्याय मिळाला असे वाटून लोकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला होता. परंतु काल जुन्नरमध्ये अशीच घटना घडली. जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवाडी येथे दहा वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची बातमी समोर आली. याचा अर्थ एका आरोपीला फाशी देणे पुरेसे नाही तर अशी मनोवृत्ती निर्माण करणारी सामाजिक व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे.

■ **बकुल बोरकर,** विले पार्ले (मुंबई)

आमदारसंख्येवरून पक्षाची मालकी ठरू शकते?

...मग पक्ष फोडणे आणि आमदार फोडणे यात फरकच उरणार नाही. तेव्हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा राहणार नाही, तो पक्षीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा असेल...

सत्यवान भाऊ पाटील
satyawan.patil3112@gmail.com

विचार, चिन्ह, संघटन यामध्ये गुंफलेले आणि लोकांमध्ये सर्वदूर पसरलेले संघटन म्हणजे राजकीय पक्ष की आमदार-खासदारांचे बहुमत म्हणजे राजकीय पक्ष या जटिल प्रश्नाला भारतीय लोकशाही सामोरी जाते आहे. राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाचा विधिमंडळातील गट या दोन स्वतंत्र रचना आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षामागे त्यांची घटना, सदस्यत्व, संघटनात्मक संस्था, पदाधिकारी, प्रतिनिधी मंडळे आणि निवड प्रक्रियेची स्वतंत्र रचना असते. आमदार पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतात त्यामुळे ते पक्षाचे प्रतिनिधी असतात. मात्र प्रतिनिधींची संख्या म्हणजे संपूर्ण पक्षाची संघटनात्मक ओळख नव्हे. त्यामुळे विधानसभेतील काही प्रतिनिधी वेगळे झाले म्हणून त्या राजकीय पक्षाचे अस्तित्वही त्यांच्याबरोबर वेगळे झाले असा निष्कर्ष अतार्किक ठरतो.

एखाद्या राजकीय पक्षाचे काही आमदार बंड करतात, टप्प्याटप्प्याने अनेक आमदार त्यात सामील होतात. अखेरीस त्या गटाकडे विधिमंडळात बहुमत येते आणि हेच बहुमत मूळ पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळण्याचा आधार बनते. वरकरणी ही सलग आणि सुसंगत प्रक्रिया वाटते, मात्र त्याच्या मुळाशी भारतीय लोकशाहीच्या पायाभूत रचनेला खिळखिळा करणारा गंभीर घटनात्मक तिढा आहे. येथे वाढलेल्या संख्येमुळे फूट वैध ठरते. म्हणजे ज्या कृतीचा परिणाम म्हणून बहुमत निर्माण झाले त्याच बहुमताला त्या कृतीची वैधता सिद्ध करणारा पुरावा मानायचे का, असे हे वर्तुळाकृती द्वंद्व आहे. यामध्ये परिणामच कृतीच्या वैधतेचा आधार ठरतो. स्वयंसिद्ध तर्काचा हा अजब प्रकार घटनात्मक नैतिकता आणि विवेकाच्या चाळणीतून पार होणे अपरिहार्य आहे. एखाद्या गटाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळवण्याचा दावा केल्यानंतर त्याच्या बाजूला आणखी आमदार आले तर नंतर निर्माण झालेले संख्याबळ आधी केलेल्या दाव्याला मागाहून वैधता देऊ शकते का? तशी ती मिळत असेल तर यामुळे दावा केल्यानंतर अधिकाधिक आमदार आपल्या बाजूला वळवण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. बहुमत कोणाकडे आहे यापेक्षा हे बहुमत निर्माण कसे झाले हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील ज्या ‘४ (२)’ या परिच्छेदाच्या आधारे विधिमंडळातील गटातील फुटीची व्याख्या ‘दोन तृतीयांश आमदार’ अशी केलेली आहे, ती फक्त विलीनीकरणाच्या निर्णयाबद्दल आहे. ‘मूळ पक्ष कोणता?’ हा वाद उद्भवण्याची परिस्थिती दहाव्या परिशिष्टाने गृहीत धरलेली नाही, कारण हे परिशिष्ट मूलतः अपात्रतेबद्दल आहे. प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहावे याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे हे खरे, पण त्यामध्ये मूळ राजकीय पक्षात पडलेली फूट असा निष्कर्ष काढण्याची कसोटी अंतर्भूत नाही. येथे पक्षांतरविरोधी घटनात्मक व्यवस्थेच्या मूलभूत हेतूची चर्चा आवश्यक ठरते. पक्षांतरामुळे लोकशाहीतील स्थैर्य, मतदारांचा विश्वास आणि प्रातिनिधिक व्यवस्थेची शुचिता बाधित होऊ नये म्हणून संविधानाने पक्षांतरविरोधी तरतुदी केल्या.

पुढे ९१ व्या घटनादुरुस्तीने फुटीच्या प्रमाणावरून फुटीला संरक्षण देणारी तरतूदही (परिशिष्ट १० मधील कलम ३) काढून टाकली. येथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे. एका बाजूने संविधानाने पक्षांतर बंदी कायद्याद्वारे फुटीला अपात्रतेपासून संरक्षण देणे बंद केले आहे. दुसऱ्या बाजूने फुटीमुळे निर्माण झालेल्या संख्याबळाच्या आधारे फुटीर गटाला मूळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले गेले आहे. ही बाब दोन घटनात्मक व्यवस्थांमधील ठळक अंतर्विरोध दर्शविते. ज्या कृतीला एक घटनात्मक तरतूद रोखू पाहते त्याच कृतीच्या परिणामाला दुसऱ्या तरतुदीतून राजकीय लाभ दिला जातो. या परस्परावलंबी मुद्द्यांची निवडणूक आयोग आणि न्यायालय या यंत्रणांद्वारे आजवर झालेली हाताळणी परस्परपूरक होती, असे म्हणता येत नाही.

पक्षाच्या घटनेतील एखादा पदाधिकारी ‘निवडून आलेला’ आहे की ‘नियुक्त झालेला’ हा वरकरणी किरकोळ वाटणारा प्रश्न प्रत्यक्षात संघटनात्मक बहुमत ठरताना निर्णायक ठरू शकतो. कारण पदाधिकाऱ्यांची वैधता चुकीची ठरली तर त्याआधारे ठरलेले संघटनात्मक बहुमतही संशयास्पद ठरू शकते. मात्र या चर्चेतून एक सोयीस्कर प्रश्न पुढे आणला गेला आहे, तो म्हणजे राजकीय पक्षाची खरी ओळख त्याच्या संघटनात्मक रचनेत आहे की त्याच्या विधिमंडळातील रचनेत? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ‘आमदारांची संख्या’ असे दिले तर पक्षाचे अस्तित्व विधानसभेपुरते सीमित होते. राजकीय पक्ष हा केवळ निवडून आलेल्या आमदारांचा समूह नसून एक स्वतंत्र संघटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे त्याच्या अंतर्गत रचनेत राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप हा कायद्याने दिलेल्या अधिकाराच्या आणि संविधानाने आखलेल्या मर्यादांच्या चौकटीतच असला पाहिजे. आमदार अपात्र ठरणे आणि कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, हे स्पष्ट होणे हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. एखाद्या आमदाराने पक्षांतर विरोधी तरतुदीचे उल्लंघन केले का हा एक प्रश्न. कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हा दुसरा. आणि पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाला मिळावे हा तिसरा. हे प्रश्न परस्पर संबंधित असले तरी एका प्रश्नाचा निष्कर्ष हा आपोआप दुसऱ्याचे उत्तर ठरू शकत नाही.

या चर्चेत मतदारांचा जनादेशही येतो. निवडणुकीत बहुसंख्य मतदार केवळ व्यक्तीला मतदान करत नाहीत. ते पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, राजकीय भूमिका आणि त्या पक्षाची ओळख या आधारावर राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीला मतदान करतात. अशावेळी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी नंतर पक्षाविरुद्ध भूमिका घेतली आणि त्याचवेळी मूळ पक्षाचे नाव व चिन्ह स्वतःकडे वळवले तर तो प्रश्न केवळ प्रतिनिधीच्या राजकीय भूमिकेपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याच्या प्रत्येक राजकीय कृतीच्या घटनात्मक समीक्षेसाठीसुद्धा त्याला मतदान करणाऱ्यांच्या समर्थनाचा युक्तिवाद केला जातो. ही मांडणी मतदार-लोकप्रतिनिधी या साखळीतील मूलभूत राजकीय पक्षाला वगळणारी ठरते. मतदारांनी दिलेला जनादेश निरंकुश होणे ही त्याची पुढची पायरी. राजकीय पक्षाच्या घटनात्मक ओळखीचा पसारा हा विधिमंडळातील संख्येपलीकडे सभागृहाबाहेर पक्ष कार्यालये, पदाधिकारी, कार्यकर्ते या स्वरूपात सर्वदूर आहे. विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचा उपसंच आहे. विधिमंडळ प्रतिनिधित्व नसतानाही राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाला, परिपूर्णतेला कोणतीच बाधा येत नाही. विधानसभेत अधिक सदस्य असणे हे सरकार बनवण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते पण त्याच संख्येवरून एखाद्या राजकीय पक्षाची संघटनात्मक मालकीही ठरते असा टोकाचा निष्कर्ष काढण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर आधार नाही.

‘ज्याच्याकडे जास्त आमदार तोच गट म्हणजे पक्ष’ हा नियम मान्य झाला तर कोणताही राजकीय पक्ष त्याची संघटना जिंकून नव्हे तर त्याचे आमदार आपल्या बाजूला वळवून ताब्यात घेता येईल आणि पक्षांतर करणाऱ्यांना राजकीय दंडाऐवजी राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्याद्वारे पक्षांतर विरोधी कायद्याने बंद केलेला मार्ग दुसऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेतून पुन्हा खुला होईल. संविधानातील अन्य महत्वाच्या तरतुदींचा मूलभूत उद्देशच निष्प्रभ ठरेल अशाप्रकारे एखाद्या तरतुदीचा अर्थ कसा लावला जाऊ शकतो? पक्षांतराला आळा घालणे हा जर संविधानाचा प्रधान उद्देश असेल तर पक्षांतरातून निर्माण झालेल्या बहुमतालाच नंतर मूळ पक्षाची ओळख देणे त्या उद्देशाशी खचितच विसंगत ठरते. मूलभूत प्रश्न हा नाही की कोणाकडे किती आमदार आहेत प्रश्न हा आहे की ज्या आमदारांच्या संख्येने बहुमत निर्माण झाले त्या संख्येने त्या राजकीय पक्षाची ओळखही निर्माण होते का? आमदार हे राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत की आमदारांची संख्या म्हणजेच राजकीय पक्ष? आणि या प्रश्नाचे उत्तर एका पक्षाच्या नावाचे किंवा निवडणूक चिन्हाचे भवितव्य ठरवण्यापुरते मर्यादित नाही. त्यातून भारतीय लोकशाहीत राजकीय पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व, मतदारांच्या जनादेशाचे सातत्य आणि पक्षांतरविरोधी घटनात्मक व्यवस्थेची खरी ताकद यांची सीमा निश्चित होणार आहे.

आमदारांचे संख्याबळच पक्षाची ओळख ठरविण्याची निर्णायक कसोटी ठरली तर एखादा राजकीय पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी त्याची संघटना सदस्यत्व किंवा अंतर्गत रचना जिंकण्याची गरजच उरणार नाही. फक्त त्याचे बहुसंख्य आमदार आपल्या बाजूला वळवायचे आणि त्या बहुमताच्या आधारे पक्षाचे नाव व चिन्ह मिळवायचे इतका सोपा मार्ग पुरेसा ठरेल. यामुळे लोकशाही संरचनेत पक्ष फोडण्याऐवजी पक्षाचे आमदार फोडणे हीच पक्ष ताब्यात घेण्याची पद्धत ठरण्याचा धोका निर्माण होतो. आणि जर या विसंगत पद्धतीला वैधता मिळाली तर पक्षांतर हा पक्ष गमावण्याचा धोका न राहता पक्षावर ताबा मिळवण्याचे साधन ठरेल. आमदार म्हणजेच पक्ष याला घटनात्मक प्रतिष्ठान प्राप्त होण्याने, पक्ष फोडणे आणि आमदार फोडणे यात फरकच उरणार नाही. तेव्हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा राहणार नाही, तो पक्षीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा असेल.

कुतूहल

जीपीएस कसं काम करतं?

जीपीएस म्हणजे ‘ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम’. म्हणजेच ‘जागतिक स्थाननिर्धारण प्रणाली’. सोप्या भाषेत सांगायचं तर एखादी व्यक्ती वा वस्तू नेमकी कुठे आहे ही दर्शवणारी आधुनिक प्रणाली. ही कशी काम करते ते बघू या.

पृथ्वीभोवती २४ ते ३१ उपग्रह सतत असे फिरत असतात की पृथ्वीवरील कोणत्याही ठिकाणावरून आकाशात पाहिले तर किमान चार उपग्रह नेहमी दिसतील. हेच चार उपग्रह जीपीएसच्या माध्यमातून स्थाननिश्चिती करतात.

हे उपग्रह सतत रेडिओ सिग्नल पृथ्वीकडे पाठवत असतात. या सिग्नलमध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. पहिली म्हणजे तो सिग्नल कधी पाठवला ती अचूक वेळ आणि दुसरी म्हणजे त्या उपग्रहाचं अंतराळातलं नेमकं स्थान. पृथ्वीवरील जीपीएस रिसिव्हरला हा सिग्नल मिळतो. तो उपग्रहावरून सिग्नल निघण्याची वेळ आणि रिसिव्हरला तो मिळण्याची वेळ यातील फरकावरून, तो रिसिव्हर उपग्रहापासूनचे त्याचे स्वतःचे अचूक अंतर मोजतो.

पहिल्या उपग्रहाकडून मिळालेल्या माहितीतून हे पक्कं कळतं की तो रिसिव्हर उपग्रहाभोवतीच्या नेमक्या त्या अंतराएव्हढी त्रिज्या असलेल्या एका वर्तुळावर कुठेतरी आहे. दुसऱ्या उपग्रहाकडून असंच दुसरं वर्तुळ मिळतं. ही दोन वर्तुळं जिथे एकमेकांना छेदतात, तिथे त्या रिसिव्हरच्या दोन संभाव्य जागा मिळतात. तिसऱ्या उपग्रहामुळे मिळणाऱ्या तिसऱ्या वर्तुळामुळे या दोन संभाव्य जागांमधली एकच अचूक जागा कळते, जिथे तो रिसिव्हर आहे. यामुळे त्या रिसिव्हरचे अक्षांश आणि रेखांश कळतात. चौथ्या उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या माहितीचा वापर तो रिसिव्हर किती उंचीवर आहे ते मोजण्यासाठी आणि वेळेची अचूकता तपासण्यासाठी केला जातो.

रेडिओ लहरी प्रकाशाच्या वेगाने प्रवास करत असल्यामुळे उपग्रहावरून निघालेला सिग्नल मोबाइलपर्यंत निमिषार्धात पोहोचतो. जर या वेळेमध्ये एक मायक्रोसेकंदाची म्हणजे सेकंदाचा दहा लाखावा भाग इतकी जरी चूक झाली, तरी रिसिव्हरच्या स्थाननिश्चितीमध्ये ३०० मीटरचा फरक पडू शकतो. म्हणूनच, प्रत्येक जीपीएस उपग्रहामध्ये अत्यंत अचूक असणारं ‘ॲटॉमिक क्लॉक’ बसवलेलं असतं.

जीपीएसच्या माध्यमातून स्थाननिश्चिती करण्यासाठी कोणताही रिसिव्हर स्वतःहून कोणताही सिग्नल अंतराळात पाठवत नाही. तो फक्त उपग्रहांकडून येणारे सिग्नल स्वीकारतो आणि गणिताचा वापर करून स्वतःचं जगाच्या नकाशावरचं स्थान शोधून काढतो. म्हणूनच इंटरनेट नसतानाही मोबाइल फोनचं जीपीएस चालू शकतं.

हा असा जीपीएस रिसिव्हर अनेक उपकरणांमध्ये असू शकतो. मोबाइल फोनमधल्या रिसिव्हरच्या साहाय्याने आपण आपला रस्ता शोधतो. असाच रिसिव्हर गाड्यांमध्ये वापरून त्यांचा सदैव मागोवा घेता येतो, स्मार्ट घड्याळ्यांमध्येही असे रिसिव्हर असतात ज्यांच्या माध्यमातून असं घड्याळ हातात घालणाऱ्या व्यक्तीच्या हालचालीची नोंद ठेवली जाते.

– हेमंत चोपडे
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

‘एपिग्राफी’ म्हणजे पुरालेखविद्या किंवा जुने शिलालेख वाचणे/ त्यांचा अर्थ लावणे याचे शास्त्र. भारतात अनेक लिप्या, त्यातही काही कालौघात लुप्त झालेल्या; त्यामुळे या शास्त्राची गरज अधिक. भारतीय पुरालेखशास्त्रज्ञ व्ही. व्यंकय्या (१८६४-१९१२) यांनी महाबलिपुरमच्या शिलालेखांचा अर्थ लावण्यासह अनेक महत्त्वाची कामे केली; त्यांच्या स्मृत्यर्थ ‘तमिळ हेरिटेज ट्रस्ट’तर्फे देण्यात येणारा ५० हजार रु. रोख आणि मानपत्र अशा स्वरूपाचा, ‘व्ही. व्यंकय्या पुरालेखविद्या पुरस्कार’ यंदा प्रा. सी. सोमसुंदर राव यांना जाहीर झाला होता. येत्या २९ ऑगस्ट रोजी प्रा. राव यांना पुरस्कार देण्याचा समारंभ ठरला होता आणि त्या सोहळ्याचा मुख्य भाग म्हणजे पुरस्काराच्या मानकरी विद्वानाचे व्याख्यान; त्याचा विषय ‘आंध्रातील पुरालेखांमधील कालनिश्चितीच्या पद्धती’ असा ठरला होता... पण यापूर्वीच, १८ ऑगस्ट रोजी राव यांचे निधन झाले. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांचे देहदान करण्यात आले आहे.

सी. सोमसुंदर राव

‘तेलुगु लिपी ब्राह्मीपासूनच तयार झाली. विजयनगर साम्राज्याच्या काळात तेलुगु- कन्नड लिपी निरनिराळी नव्हती, तिलाही ब्राह्मी लिपीचाच आधार होता’ हे गृहीतक किंवा अभ्युपगम म्हणून सर्वांनाच मान्य असले तरी, त्याचा कसून अभ्यास सोमसुंदर राव यांनी केला. ब्राह्मी आणि विद्यमान तेलुगु लिप्यांचा संबंध सिद्ध करण्यासाठी मधल्या सर्व काळांतली अक्षरे अभ्यासणे गरजेचे होते, ते त्यांनी केले! त्यासाठी शिलालेख, नाणी, ताम्रपट, हस्तलिखिते असे सर्व प्रकारचे नमुने तपासले आणि साधारणपणे भक्कम निष्कर्ष मांडला. प्रा. राव यांचे कार्य विविधांगी होते. मुळात, ते काही सरकारी पुरातत्त्व खात्यात नव्हते; त्यामुळे अमुकच स्थळावर काम करण्याचे बंधन त्यांच्यावर नव्हते. प्रामुख्याने (अविभाजित) आंध्र प्रदेश किंवा लोपलेल्या विजयनगर आणि काकतीय साम्राज्यांचा भाग हा त्यांच्या अभ्यासाचा भौगोलिक प्रदेश. परंतु या साम्राज्यांचे व्यापार, त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध यानिमित्ताने गंगेपर्यंतच्या टापूतील नाणी, ताम्रपट त्यांनी अभ्यासले. इनाम जमिनींचे ताम्रपट आणि साम्राज्याचा ऱ्हास यांच्यात काही अंतःसंबंध सापडतो का, याविषयीही त्यांना कुतूहल होते. सरकारी खात्यातल्या पुरातत्त्ववेत्त्यांचे काम महत्त्वाचे असतेच, पण स्वतंत्रपणे- आपले कुतूहल आणि विद्यार्थ्यांचा कल यांचा मेळ घालून नवनव्या प्रश्नांचा होणारा विद्यापीठीय अभ्यास अखेर पुरातत्त्वशास्त्राला दिशा देणारा ठरतो.

चेल्लपिल सोमसुंदर राव यांचा जन्म १९४० सालचा. त्यांनी ‘इ.स. १५६५ नंतरचा विजयनगरचा इतिहास’ (विजयनगरचे ऱ्हासपर्व) या विषयावरील प्रबंधासह इतिहासात पदव्युत्तर पदवी मिळवली आणि १९७७ मध्ये ‘गौतमीपुत्र सातकर्णी आणि त्याचा काळ’ या विषयावर पीएच.डी. प्राप्त केली. त्यांनी १९६३ पासून आंध्र विद्यापीठाच्या इतिहास आणि पुरातत्त्व विभागात सेवा बजावली; १९८५ मध्ये ते प्राध्यापक झाले आणि २००२ पर्यंत अतिथी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत राहिले.

‘एपिग्राफिकल सोसायटी ऑफ इंडिया’, ‘साउथ इंडियन न्यूमिस्मॅटिक सोसायटी’, ‘आंध्र प्रदेश हिस्ट्री काँग्रेस’ आणि ‘साउथ इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस’ य संस्थांचे अध्यक्षपद भूषवले होते, तसेच ‘इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस’च्या ‘प्राचीन भारत’ विभागाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली होती. त्यांच्या जाण्याने, या क्षेत्रातील महत्त्वाचा विद्वान भारताने गमावला आहे.

राजवाडे विचारविश्व

‘स्वराज्यसंकल्पक’ पद बहुमान्य!

‘**जो शहाजी** टोपीवाल्यांकडून कारीगार बंदुका, तोफा व दारूगोळा घेई, त्याने महाराष्ट्रात त्याबरहुकूम बनविण्याची व्यवस्था का केली नाही? उत्तम हत्यारांकरिता दुसऱ्यांचे मिंधे राहण्याची लाज वाटू नये, अशी तत्कालीन भारतवर्षीय समाजाचीच स्थिती होती; कारण उत्तम, रेखीव व नेमके हत्यार बनविण्याची कला पैदा होण्यास शास्त्रीय ज्ञानाची जी पूर्वतयारी राष्ट्रात व्हावी लागते, ती त्याकाळी महाराष्ट्रात नव्हती, भारतवर्षात इतरत्रही नव्हती’, असे दोषदिग्दर्शनही राजवाड्यांनी केले. तथापि विशिष्ट त्रिसूत्रीचा अवलंब करून त्याने स्वराज्यसाधनेचा खरा पाया घातला, हा त्यांनी आपल्या प्रस्तावनेत केलेला ठाम दावा काहीसा विवाद्य ठरला.

तोपर्यंतच्या समजुतीपेक्षा तो दावा वेगळा असल्यामुळे मतभेद व्यक्त होत राहणे स्वाभाविकही मानले पाहिजे. भारताचार्य चिं. वि. वैद्य यांच्यापासून जदुनाथ सरकारांपर्यंत आणि डी. बी. डिकसळकर किंवा वा. कृ. भावे या नंतरच्या इतिहासकारांपर्यंतही अनेकांनी राजवाडे यांच्या शहाजीबद्दलच्या विवेचनाशी असणारे तीव्र मतभेद वेळोवेळी मांडलेदेखील. डॉ. प्र. न. जोशी यांनी लिहिलेल्या ‘राजवाडे विचारदर्शन’ या समीक्षाग्रंथातील ‘राजवाड्यांचे इतिहाससंशोधन : शहाजीचरित्र’ या १४ पानी प्रकरणात त्या मतभेदांचाही सविस्तर ऊहापोह केलेला आढळतो. जिज्ञासूंनी तो अवश्य वाचावा. परंतु ‘राधामाधवविलासचंपू’ या काव्यग्रंथाच्या निमित्ताने राजवाड्यांनी शहाजीराजांबद्दल लिहिलेल्या पूर्वार्धाच्या संदर्भातील या शेवटच्या परिचयात्मक लेखांकात काही महत्त्वाचे उल्लेख मात्र ओझरते का होईना, पण केलेच पाहिजेत.

शहाजीने शिवाजीच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कार्याला पाठबळ कसे दिले, याबद्दल राजवाड्यांनी नमूद केलेल्या अनेक दाखल्यांपैकी एक विशेष दखलपात्र आहे. त्यांनी लिहिले, ‘शहाजीने शिवाजीशी बोलण्यात दोन भाषा वापरल्या. चार लोकांसमक्ष बोलताना, आदिलशहाशी चाकर या नात्याने प्रामाणिकपणे वागावे म्हणून तो शिवाजीस उपदेश करी व एकांतात मात्र आदिलशहा व मोंगल यांच्याशी वेळ पडल्यास देशकालवर्तमान पाहून दोन हात करण्यास चुकू नये, म्हणून स्वच्छ सल्ला देई.’

असाच महत्त्वाचा तपशील म्हणजे शहाजीराजांच्या कर्नाटकातील राज्याबद्दलचा. ‘शहाजीचे कर्नाटकातील राज्य पूर्णपणे अनियंत्रित होते. तथापि जमीनमहसुलाच्या व न्यायमनसुबीच्या पुणे प्रांतातील जुनाट पद्धति शहाजीने कर्नाटकात इतक्या नामी बसवून दिल्या की सर्व प्रजाजन त्याचा दुवा गाऊ लागले. परंतु सर्वांत ज्या कृत्याने शहाजी कर्नाटकात अत्यंत प्रिय झाला तें हें कीं, तो राज्य करू लागल्यापासून मुसुलमानांच्या हातून देवालये छिन्नभिन्न होण्याची, बायकांवर जुलूमजबरदस्ती गुदरण्याची, शेठसावकारांपासून पैसा उकळला जाण्याची व शेतकऱ्यांचे सर्वस्व नागविण्याची पीडा कर्नाटकांतून कायमची बाद झाली. आदिलशहा, कुतुबशहा किंवा मोंगल यांचे मुखावलोकनहि घेण्याची लोकांना इच्छा राहिली नाही. देशाला असा सुरक्षितपणा लाभल्यामुळे शहाजीच्या कर्नाटकातील राज्यासंबंधाने भरतखंडातील सुज्ञ व विचारी हिंदूंना सानंद अभिमान वाटू लागला. महाराज शहाजीराजा भोसला या नांवाचा वीरपुरुष दक्षिणेत अवतरला आहे व त्याने एक नवीन हिंदुराज्य दक्षिणेत नुकतेच स्थापन केले आहे, अशी वार्ता चोहोंकडे पसरली...’

सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजवाड्यांच्या शहाजीबद्दलच्या दाव्यात बरेचसे तथ्य आहे, असे नंतरच्या इतिहासकारांनी मान्य केले. त्या मान्यतेचे सार म्हणून राजवाड्यांशी सहसा सहमत न होणाऱ्या त्र्यं. शं. शेजवलकरांचा अभिप्राय पाहण्यासारखा आहे. ‘मराठेशाहीची स्थापना सर्वस्वी शिवाजीकडून झाली असे न मानता शहाजीकडूनच तिची प्राणप्रतिष्ठा झाली, असे समजण्यास इतिहासाचा भरपूर आधार उपलब्ध झालेला आहे. राजवाड्यांनी शहाजीची योग्यता जगासमोर मांडली तेव्हा प्रथम ती अतिशयोक्तीची वाटली, पण आता तीच गोष्ट बहुधा सर्वमान्य झाली आहे.’ असे शेजवलकरांनी ‘सह्याद्रि’ नियतकालिकाच्या १९३६ डिसेंबरच्या अंकातल्या ‘विजयनगरच्या साम्राज्याच्या परिणामांची’ मार्मिक चर्चा करणाऱ्या लेखात म्हटले. रियासतकार सरदेसाई यांनीही दुजोरा देत म्हटले, ‘त्याकाळी राष्ट्रीय स्वत्व दिमाखाने मिरविणारा शहाजीशिवाय दुसरा एकहि हिंदु सत्ताधीश दक्षिणेत आढळत नाही. म्हणून शिवाजीला जन्म देऊन त्याच्या ठिकाणी स्वातंत्र्याचे वारे उत्पन्न करण्याचे श्रेय त्यास अवश्य मिळते. या दृष्टीने शिवाजीला जर ‘(स्व)राज्यसंस्थापक’ म्हणावयाचे, तर शहाजीला ‘(स्व)राज्यसंकल्पक’ असे पद देण्यास मुळीच हरकत नाही!’

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

अगदीच ‘बाल’ भारती!

वेदकाळाबाबत फक्त वनस्पती-जन्य आहाराचाच उल्लेख पाठ्यपुस्तकात करण्याच्या मुळाशी दिसतो तो शाकाहारी-वर्चस्ववाद. या वर्चस्ववादाची लागण अलीकडे फारच झपाट्याने होताना दिसते...

स्वत:विषयी न्यूनगंड असलेल्या व्यक्ती आणि अशा व्यक्तींचा समाज भविष्यापेक्षा इतिहासात रममाण होण्यात धन्यता मानत असतो. अशा न्यूनगंडीयांसाठी इतिहास हा नेहमीच उदात्त, अनुकरणीय, घरांवर सोन्याची कौले वाहणारा असतो. बरे, शहाण्यांची पंचाईत अशी की ना भविष्य नाकारता येते ना इतिहास. त्यामुळे या अशा इतिहासात रमलेल्यांचे वर्तमानात करायचे काय, हा प्रश्न. महाराष्ट्र सरकारच्या ‘बालभारती’ने इयत्ता सहावीच्या इतिहासात जे काही गुण उधळले आहेत ते पाहिल्यावर हा प्रश्न पुन्हा समोर ठाकतो. “ वेदकाळातील लोकांचा आहार हा वनस्पती-जन्य (प्लँट बेस्ड) पदार्थांचा होता” आणि समाजातील ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अशी वर्ण व्यवस्था त्या त्या व्यक्तीच्या उपजीविकेच्या साधनांवरून तयार झाली, या चारही वर्णांतील नागरिकांचे एकमेकांशी ‘प्रेमाचे, सौहार्दाचे आणि सहकार्याचे’ संबंध होते, असे हे इतिहासाचे पुस्तक सांगते. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मूळ वृत्तातील दोन विधानांचा सोपा अर्थ असा की पुराण-कालात भारतीय हे मुख्यत्वे शाकाहारी होते आणि विविध जाती या जन्माच्या आधारे नव्हे; तर त्या त्या व्यक्तीच्या जगण्याच्या साधनांमुळे तयार झाल्या. म्हणजे जातिव्यवस्था अशी आपल्याकडे नव्हतीच, असे बालभारती म्हणते. इतिहास नव्याने लिहिणे याचा अर्थ इतिहास नव्याने तयार करणे नव्हे, याची जाणीव ‘बालभारती’चे हे पुस्तक तयार करणाऱ्या विद्वानांस नसावी असे दिसते.

‘बालभारती’चे मुख्यालय पुण्यात आहे. पुण्यातच मुख्यालय असलेल्या काही प्रकाशकांनी वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत इत्यादी मूळ संस्कृतातील ग्रंथांचे सुभग मराठीत अनुवाद प्रकाशित केलेले आहेत. हे मराठीत आहेत ही बाब अशासाठी नमूद केली की ‘बालभारती’च्या प्रवर्तकांस संस्कृतचा गंध नसेल तर निदान त्यांनी मराठी तरी वाचलेले असावे. त्याबाबतही त्यांची बोंबच दिसते. नपेक्षा वेदकालातील यज्ञांत कोणकोणत्या प्राण्यांचे बळी सहज दिले जात होते हे ‘बालभारती’च्या इतिहासकारांस कळते. राजा-महाराजांत पूर्वी अश्वमेध यज्ञ सर्रास केला जात असे. या यज्ञातील घोड्याचे नंतर काय होत असे, याचीही माहिती या इतिहासकारांस असती. यज्ञाच्या सांगतेनंतरच्या प्रसादात अडीच-हात लांब केळीच्या पानांवर काय वाढले जात असे आणि कोण भुरके मार-मारून त्यावर आडवा हात मारत असे, याचा तपशील अनेक ग्रंथांत आढळेल. यातील काहीही या नव-बाल-भारतीकारांनी वाचले नसावे. वेदिक काळात ‘मधुपर्क’ नावाच्या एका विधीद्वारे खाशा पाहुण्यांसाठी खासे खासे मिष्टान्न तयार केले जायचे. हा ‘मधुपर्क’ काय ‘शिजवण्यासाठी’ होता, तो कसा सिद्ध केला जात असे त्याच्या विधीचा तपशीलही पुराणात या ‘बालभारती’ इतिहासकारांस आढळेल. तो वाचल्यास या ‘मधुपर्क’ नामे प्रक्रियेत मुळा, शेपू, पालक, गवार वा भेंडी इत्यादी भाज्या वापरल्या जात होत्या किंवा काय, याची जाणीव त्यांस होईल आणि या इतिहासकार ब्रह्मवर्गाचे पोट ढवळून निघेल. कोणी महनीय व्यक्ती घरी भोजनास येणार असेल तर कालवडीचे कोवळे मांस यजमानांस शिजवावे लागे याचाही रास्त तपशील या ‘बालभारती’कारांस आढळेल. मात्र वेदकाळी भोजनात धान्ये, दूध, दही, लोणी, मध इत्यादींचा सढळ वापर केला जाई, गहू, साळी, कडधान्ये इत्यादी वनस्पती-जन्य घटकांचा समावेश त्या काळी भोजनात असे, असे आपल्याच इतिहासाचा कसलाही गंध नसलेले हे ‘बालभारती’कार सहावीच्या पुस्तकात लिहितात.

असे लिहिणाऱ्या उच्चवर्णीय बालभारती-कारांस स्वतःच्या घरातील सोवळे-ओवळे पाळणाऱ्या आजीपलीकडे इतिहास ठाऊक नाही, याची खात्री इतरांस बाळगता यावी. हा असा खोटा इतिहास शिकवणाऱ्यांच्या मुळाशी आहे शाकाहारी-वर्चस्ववाद. या वर्चस्ववादाची

> ... एखादी व्यक्ती काय खाते वा खात नाही यावरून तिचे कमी-जास्तपण ठरवले जाणार असेल तर भौतिक प्रगती साधणारे समस्त पाश्चात्त्य या मंडळींच्या मते हीन ठरायला हवेत आणि मग पाश्चात्त्य जगात प्रवेश मिळवण्याची आणि ग्रीनकार्डादी सुख-सोयींची आस या शाकाहार-अभिमानींनी बाळगू नये...

लागण अलीकडे फारच झपाट्याने होताना दिसते. त्यामागील कारणे सांगण्याची गरज नाही. पण मुदलात शाकाहारी वरिष्ठ आणि मांसाहार करणारे मात्र कनिष्ठ ही अढीच सडक्या वृत्तीची द्योतक. कोणी काय खावे अथवा खाऊ नये हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. एखादी व्यक्ती काय खाते वा खात नाही यावरून तिचे कमी-जास्तपण ठरवले जाणार असेल तर भौतिक प्रगती साधणारे समस्त पाश्चात्त्य या मंडळींच्या मते हीन ठरायला हवेत. तसे असेल तर पाश्चात्त्य जगात प्रवेश मिळवण्याची आणि ग्रीनकार्डादी सुख-सोयींची आस या शाकाहारींनी बाळगू नये. इथे शाकाहाराचा उदोउदो करणारे संधी मिळाल्यावर नळ्या चोखण्यात कशी धन्यता मानतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. याची जाणीव या ‘बाल-भारती’कारांस नाही. याचे कारण हा नवा इतिहास रचणाऱ्यांची उच्चवर्णी वृत्ती.

ती अंगी पुरेपूर मुरलेली असल्यामुळेच या देशातील जात-व्यवस्थेचा इतिहास नाकारण्याचे औद्धत्य हे ‘बाल-भारती’कार दाखवतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्र यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे कधी होते? ते तसे होते तर शूद्रांस चालताना आपल्यामागे केरसुणी का लटकवावी लागत असे? जमिनीवर थुंकण्याचीही बंदी असलेल्यांस आपल्या गळ्यात थुंकण्याची मडकी का वागवावी लागत? शूद्राची सावली पडली की विटाळ झाला असे कोणत्या वर्गास वाटे? पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात कोणाला प्रवेश नव्हता आणि तो मिळावा यासाठी कोणास आंदोलन करावे लागले? या चारही वर्णांतील संबंध समजा वेदकाळापुरतेच सलोख्याचे होते तर मग त्यांच्यात त्या काळी तरी रोटी-बेटी व्यवहारही होत असणार. त्याची रास्त माहितीही या नव-बालभारतीकारांनी द्यावी. हा वर्णविग्रह नव्हता तर शिक्षणासारखा अगदी प्राथमिक हक्क मागणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या अंगावर शेणाचे गोळे फेकण्याचे शौर्यकृत्य कोणत्या वर्णातील महाजनांकडून केले गेले? या चारही वर्णांत सहकार्य होते असे ही नव-बालभारती म्हणते. तसे होते तर घोटभर पाण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांना सत्याग्रह का करावा लागला? उपजीविकेच्या साधनांवरून(च) जर वर्ण ठरत होते तर किती उच्चवर्णीयांनी मेलेल्या ढोरांची चामडी काढण्याची वगैरे कामे केली? उच्चवर्णीयाचे चिरंजीव कितीही ‘ढ’ असले तरी त्यास मिळणाऱ्या संधी आणि तथाकथित कनिष्ठ वर्गीयांतील गुणवानांसही न्याय्य हक्कासाठी करावा लागलेला संघर्ष यात काहीही अंतर नव्हते, असे या नव-बालभारतीकारांस वाटते काय? तसे असेल तर त्यांनी थेट तसे म्हणावे.

तसे करण्याची हिंमत या मंडळींच्या ठायी नाही. तशी ती असती तर उठणाऱ्या वादळाची पर्वा न करता हे नवबाल-भारतीकार आपले मूळ रंग दाखवते. पण तसे करणे राजकीयदृष्ट्याही परवडणारे नाही. म्हणून मग इतिहासच बदलायचा. इतिहासकालीन वास्तव गोरे-गोमटे दाखवायचे आणि ते तसेच होते याचा प्रसार करायचा; हा कावा. तो बाल-भारतीच्या पुस्तकातून करणारे आणि दक्षिण मुंबईत मांसाहारींस घर देणार नाही, अशी भूमिका घेणारे हे दोन्हीही एकाच ‘जात’कुळीतले. त्यांस वेळीच रोखायला हवे. आपल्याकडे जशी जातव्यवस्था तसा अमेरिकादी देशांत वंशविद्वेष. उभयतांत फरक इतकाच की आपले सामाजिक वैगुण्य लपवण्याचा प्रयत्न त्या देशांत होत नाही. आपण मात्र जातव्यवस्थेचे कटू वास्तव दडवण्याचा प्रयत्न अजूनही करतो. आजार लपवला तर तो बळावतो. त्यापेक्षा त्याचे अस्तित्व मान्य करून निर्मूलनासाठी मोकळेपणाने त्यावर उपचार करणे इष्ट. हे इतके साधे तत्त्वही बाल-भारतीस माहीत नसावे? शक्यता ही की माहिती असूनही नव-सत्य रेटण्याचा प्रयत्न संबंधितांनी केला असावा. सत्य काहीही असो. संबंधित यंत्रणा अगदीच ‘बाल’भारती ठरते.

‘स्कूल’ नाही, आधी ‘सिस्टीम ठीक करो’...!

लेख

महेश ठाकरे
अध्यक्ष, प्रहार शिक्षक संघटना
maheshthakre02 @gmail. com

> ‘स्कूल ठीक करो’ या मोहिमेने शालेय शिक्षण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले, ही स्वागतार्ह बाब असली तरी या अभियानाची दिशा आता बदलण्याची गरज आहे. सीजेपी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता आपल्या मोहिमेचा रोख धोरणकर्त्यांकडे वळवणे गरजेचे आहे.

शाळेच्या प्रांगणात किंवा वर्गात केर काढणाऱ्या एका चिमुरड्या हाताचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर येतो, अल्पावधीत तो लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि काही क्षणांतच समाजमाध्यमांच्या स्वघोषित न्यायालयांतून एकतर्फी निकाल जाहीर केला जातो- ‘पहा, सरकारी शाळांमधील शिक्षक मुलांचे कसे शोषण करत आहेत!’, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (सीजेपी) प्रमुख अभिजीत दिपके असोत किंवा कॅमेरा हातात घेऊन शाळेत शिरणारे कार्यकर्ते... शिक्षकांना थेट विद्यार्थ्यांसमोर संशयिताच्या पिंजऱ्यात उभे करून सुनावणे आजकाल सोपे झाले आहे, पण संताप व्यक्त करणाऱ्यांनी कधी स्वतःला हा मूलभूत प्रश्न विचारला आहे का, की त्या चिमुरड्यांच्या हातात झाडू देण्याची वेळ नेमकी कोणत्या व्यवस्थेने आणली आहे?

खासगी किंवा नामांकित कॉन्व्हेंट शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. या शाळा वंचित, शेतमजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील मुलांचे शिक्षणाचे एकमेव आश्रयस्थान असतात. राज्यातील हजारो प्राथमिक शाळांमध्ये स्वच्छता, देखरेख आणि शिपायाची कामे करण्यासाठी स्वतंत्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नेमला गेलेलाच नाही. शिक्षक संघटनांची ही मागणी अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. केवळ शिपाईच नव्हे, तर तुटपुंज्या शिक्षक संख्येत दोन-तीन वर्गांची एकत्र शाळा भरवण्याची कसरत हजारो शिक्षक रोज करत आहेत. आज शेकडो शाळांना साधे वीजबिल भरण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही; परिणामी वीज जोडण्या तोडल्या जातात आणि अंधाऱ्या वर्गांत शिकण्याची वेळ मुलांवर येते. ग्रामपंचायती स्वतः आर्थिक अडचणीत आणि परावलंबी असताना त्या शाळांच्या देखभालीचा खर्च कुठून करणार? रंग उडालेल्या भिंती, पडकी स्वच्छतागृहे, गळणारी छपरे आणि पिण्याच्या पाण्याची अपुरी सोय अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षक स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून शाळा चालवतात. भौतिक सुविधा, पुरेसा निधी आणि स्वच्छता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी असताना, या अपयशाचे खापर केवळ शिक्षकांवर फोडून मोकळे होणे अन्यायकारक आहे.

शाळा सुधारायची असेल तर सर्वांत पहिली आणि अनिवार्य पायरी म्हणजे शिक्षकाला केवळ ‘शिकवण्यासाठी’ मोकळे ठेवणे. आज शिक्षकांचा बहुतांश वेळ शिकवण्याऐवजी यू-डायस, सरल प्रणाली, स्टुडंट पोर्टल, अपार आयडी निर्मिती, आधार प्रमाणीकरण आणि दैनंदिन गुगल फॉर्म्स भरण्यातच खर्ची पडतो. याशिवाय मतदार याद्यांचे काम, बीएलओ ड्युटी, विविध सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणे, जनगणना, आणि प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेतील धान्याची आवक-जावक, चव नोंदवही, लाभार्थी नोंदी व खर्चाचे क्लिष्ट हिशेब सांभाळण्यातच शिक्षकांची सर्व ऊर्जा संपून जाते. शिक्षकाच्या हातात खडू ऐवजी कायम मोबाईल आणि लॅपटॉप दिला, तर वर्गातील मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे काय होणार? एका बाजूला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घोषणा केल्या जात असताना दुसऱ्या बाजूला शिक्षकाला विविध प्रशासकीय विभागांच्या माहिती संकलनाचे साधन असल्याप्रमाणे वागवणे, ही शासनाची दुटप्पी नीती या दुरवस्थेला कारणीभूत आहे. केंद्र पातळीवर स्वतंत्र डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि प्रत्येक शाळेला शिपाई दिले, तर शिक्षकांचा वेळ वाचेल आणि लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांना हक्काचा रोजगारही मिळेल.

‘स्कूल ठीक करो’ या मोहिमेने शालेय शिक्षणाला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे, हे स्वागतार्ह असले तरी या अभियानाची दिशा आता बदलण्याची नितांत गरज आहे. केवळ सरकारी शाळांमध्ये जाऊन उणिवांचे सनसनाटी व्हिडीओ चित्रित करणे आणि शिक्षकांना मुलांसमोर अपमानित करणे यामुळे सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेविषयी समाजात अविश्वासाची भावना वाढीस लागते. पालक घाबरून आपल्या मुलांना अवाढव्य फी आकारणाऱ्या खासगी शाळांच्या जाळ्यात ढकलतात, ज्यामुळे अंतिमतः बहुजन आणि गरीब मुलांचेच नुकसान होते.

सीजेपी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता आपल्या मोहिमेचा रोख थेट धोरणकर्त्यांकडे वळवणे गरजेचे आहे. ज्या नामांकित खासगी शाळांना आदिवासी विकास प्रकल्पातून अनुसूचित जमातीतील मुलांच्या शिक्षण व निवासासाठी प्रति विद्यार्थी वार्षिक ७० हजार रुपये दिले जातात, किंवा आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यातून कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान मिळते, त्या शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा दर्जा, वसतिगृहांची अवस्था आणि शैक्षणिक ऑडिट करण्याची हिंमत या मोहिमेने दाखवली पाहिजे. मनमानी फी उकळणाऱ्या आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही न जुमानणाऱ्या खासगी शाळांच्या मुजोरीला जाब विचारला पाहिजे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणावर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सहा टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद कागदावरून प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, शाळांना वीजबिल व देखभालीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद मिळवून देण्यासाठी आणि प्रत्येक शाळेला शिपाई व संगणक चालक उपलब्ध करून देण्यासाठी ही मोहीम मंत्रालयाच्या दारावर धडकली, तर संपूर्ण शिक्षक समाज तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील. शाळा ही केवळ सिमेंट-विटांची निर्जीव इमारत नसून ती शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि समाजाच्या विश्वासावर उभी असलेली जिवंत संस्था आहे.

आजच्या घडीला आपल्या शिक्षण व्यवस्थेकडून अपेक्षा तरी काय आहेत? पहिली आणि सर्वात मूलभूत अपेक्षा म्हणजे धोरणकर्त्यांनी सरकारी शाळांकडे ‘ओझे’ किंवा ‘दायित्व’ म्हणून न पाहता राष्ट्राच्या भविष्यातील ‘गुंतवणूक’ म्हणून पाहावे. व्यवस्थेतील सर्वात मोठी उणीव ही आहे की ती कागदी अहवाल आणि आकड्यांच्या जंजाळात गुंतून पडली असून, वर्गातील जिवंत संवादाचा तिला विसर पडला आहे. वरून लादल्या जाणाऱ्या वारंवार बदलणाऱ्या योजना, नको त्या प्रशिक्षणांचा पाऊस आणि वास्तवाचा लवलेश नसलेले फतवे यामुळे शाळांची स्वायत्तता नष्ट झाली आहे.

सरकारी शाळांमधील भौतिक सुविधा, मनुष्यबळ आणि पटसंख्येचा अधिकृत यू-डायस (U-DISE) अहवाल पाहिला तर शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव डोळ्यांसमोर उभे राहते. आज देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये तब्बल १० लाखांहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, तर महाराष्ट्रातही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ३० हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. परिणामी, राज्यातील हजारो प्राथमिक शाळा आजही केवळ ‘एकशिक्षकी’ किंवा ‘द्विशिक्षकी’ अवस्थेत सुरू आहेत. अनेक शाळांमध्ये इयत्तेनुसार स्वतंत्र वर्गखोल्यांची सोय नसल्यामुळे पहिली ते चौथी किंवा पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच खोलीत एकत्र बसवून ‘मल्टीग्रेड’ पद्धतीने शिकवावे लागते. अशा परिस्थितीत एकाच शिक्षकाला एकाच वेळी तीन-चार वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांची कसरत करावी लागत असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे पूर्णपणे अशक्य होते. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानावर तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतो; परिणामी गुणवत्तेच्या चिंतेपोटी पालक नाइलाजाने आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये घालतात आणि सरकारी शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने घटत जाते. याशिवाय पायाभूत सुविधांची आकडेवारी पाहिली तर देशातील एकूण १० लाखांहून अधिक सरकारी शाळांपैकी सुमारे ११ टक्के शाळांमध्ये मुलांसाठी तर ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये मुलींसाठी वापरात येण्याजोगी स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध नाहीत. डिजिटल युगात देशातील ५२ टक्क्यांहून अधिक सरकारी शाळांमध्ये संगणक नाही, ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये इंटरनेट पोहोचलेले नाही आणि १३ टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये नियमित वीजपुरवठा नाही. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुमारे २९ टक्के सरकारी शाळांना साधी संरक्षक कुंपण भिंत नाही, २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शाळांना खेळाचे मैदान नाही आणि १४ टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालय कक्ष नाही.

या सर्व भयावह परिस्थितीला आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या ऱ्हासाला केवळ आणि केवळ ढिसाळ ‘सिस्टिम’च पूर्णपणे जबाबदार आहे. हजारो शिक्षक पदे रिक्त ठेवणे, शाळांना वर्गखोल्या व मूलभूत पायाभूत सुविधा न पुरवणे, देखभालीसाठी हक्काचा निधी न देणे आणि शिक्षकांना अंतहीन अशैक्षणिक कामांच्या दलदलीत ढकलणे हा सर्व व्यवस्थेच्या अक्षम्य अनास्थेचा आणि चुकीच्या धोरणांचाच परिणाम आहे. व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या या सर्व उणिवांचे खापर थेट शिक्षकांवर का फोडले जावे?

सरकारी शाळेचा वर्ग हा केवळ चार भिंतींचा नसतो, तर तो गरिबांच्या, शेतमजुरांच्या आणि वंचितांच्या मुलांच्या डोळ्यांतील स्वप्नांचे मंदिर असतो. त्या वर्गात बसणारे लेकरू अंगावर फाटके कपडे घालून येत असेल, पण त्याच्या डोळ्यांत आभाळ कवेत घेण्याची जिद्द असते. शिक्षक जेव्हा स्वतःच्या खिशातून पैसे टाकून त्या मुलाला वही-पेन देतो, त्याचे डोळे पुसतो आणि त्याला अक्षर ओळख करून देतो, तेव्हा ती कोणतीही शासकीय ड्युटी नसते तर ते एका पिढीचे घडणे असते. अशा शिक्षकाला व्यवस्थेच्या अपयशाचे बळी बनवून चव्हाट्यावर अपमानित केले जाणार असेल, तर ते केवळ शिक्षकाचे खच्चीकरण नसून त्या गोरगरिबांच्या स्वप्नांची केलेली क्रूर हत्या ठरेल.

महाराष्ट्रातील मेळघाट किंवा गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आदिवासी पट्ट्यात व्यवस्थेचे विदारक वास्तव उघडे पडते. अनेक पाड्यांवर पावसाळ्यात पूल व रस्त्यांअभावी विद्यार्थी नदी-नाले पोहून शाळेत जातात; आश्रमशाळांमध्ये शुद्ध पाणी व आरोग्याअभावी साप-विंचू चावण्याच्या वा विषबाधेच्या घटना घडतात. रिक्त पदे आणि मूलभूत सुविधांची ही भीषण वानवा सिस्टिमच्या अपयशाची साक्ष देते.

यंत्रणेने शिक्षकाच्या हातातील खडूचा सन्मान करावा आणि समाजाने सरकारी शाळेच्या पाठीशी विश्वासाची ढाल बनून उभे राहावे. जेन झी पिढीने पेपरफुटीविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला जसा देशातील सर्वच स्तरांतून उत्स्फूर्त आणि अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला, तशीच व्यापक लोकचळवळ जर ‘स्कूल ठीक करो’ च्या आधी ‘शिक्षा सिस्टिम ठीक करो’ यासाठी उभी राहिली, तर देशातील सर्व शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि जागरूक नागरिकांचा या चळवळीला नक्कीच प्रचंड प्रतिसाद लाभेल.

अन्वयार्थ

बोलविता धनी कोण?

मुंबई, ठाणे किंवा महानगर क्षेत्रांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास (झोपु) प्रकल्प हा राजकारणी, नोकरशहा, विकासक या सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय. झोपडपट्टी पुनर्विकास म्हणजे अतिक्रमित सरकारी जमिनींवर इमारती उभ्या करणे. जागेसाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत. साहजिकच सहज पैसा (ईझी मनी) मिळवून देणारी ही योजना. यामुळेच मुंबई, ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींना ‘झोपु’ योजनेचे अधिक आकर्षण असते. आजवर या योजनेत एवढे गैरप्रकार उघडकीस आले पण थातूरमातूर कारवाईपलीकडे काही गेले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या योजनेतील गैरव्यवहारांमुळेच एक तर ‘झोपु’ योजना बंद करावी किंवा कठोर नियम करावेत, अशी सूचना केली होती. तेव्हा काँग्रेसपासून सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी तसे केल्यास झोपडपट्टीवासीयांना हक्काचे घर मिळणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील गैरव्यवहारांना कोणीही चाप लावू शकलेले नाही. ‘झोपु’ योजना म्हणजे राजकारणी, नोकरशहा तसेच विकासकांकरिता दुभती गायच ठरली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात वरपासून खालपर्यंतच्या पदांवर नियुक्तीसाठी ‘वजन’ ठेवावे लागते, ते उगाच नाही.

अशा या ‘झोपु’ योजनेमध्ये अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे पत्र मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला पाठविले आहे. झोपड्या नसलेल्या भूखंडांवरही या योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तच दुसऱ्या सरकारी यंत्रणेवर अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचा आक्षेप घेतात हे प्रकरण अधिक गंभीर. प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी काही सनदी अधिकारी कारवाईचा बागुलबुला करीत स्वतःवर स्तुतीसुमने उधळून घेतात किंवा कारवाईचे नाटक करतात. महानगरपालिका आयुक्त भिडे या प्रसिद्धीपराङ्मुख म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांनी असे पत्र लिहिणे हे प्रसिद्धीसाठीचे कृत्य खचितच नाही. मुंबई महानगरपालिका आयुक्तपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रधान सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव होत्या. झोपु प्राधिकरण हे गृहनिर्माण खात्याच्या अंतर्गत येते व हे खाते आहे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे. झोपु योजनेतील गैरव्यवहार उघड करण्यामागे मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील शीतयुद्धाची किनार आहे का, अशी चर्चा सुरू आहे. यातून भिडे यांच्या पत्रामागचा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

तसेही गेले काही दिवस भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात परस्परांवर कुरघोडी करण्याची जणू काही स्पर्धाच लागलेली दिसते. मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे पत्र हा त्याचाच भाग मानला जातो आहे. मुंबईच्या शेजारील ठाणे महानगरपालिकेत मालमत्ता करात वाढ करण्याच्या शिवसेना शिंदे गटाच्या निर्णयाला भाजपने आक्षेप घेतला आहे. नाशिकमधील खड्ड्यांवरून भाजपची सत्ता असलेल्या महानगरपालिकेच्या कारभारावर शिंदे गटाच्या स्थानिक नेत्यांनी टीका केली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे हे नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन आल्यावर शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या मागणीला शिवसेनेतून जोर येतो. त्यामागे शिंदे यांच्या निकटवर्तीयांची फूस असते, असा राज्यातील भाजप नेत्यांचा ठाम समज आहे.

महानगरपालिका आयुक्तांनी पत्रात मांडलेले मुद्दे मात्र खरोखरच चिंताजनक आहेत. झोपड्या नसलेल्या भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्विकासाची योजना प्राधिकरणाकडून मंजूर केली जाते हा आयुक्तांचा मुख्य आक्षेप. झोपु योजनेत मोठ्या प्रमाणावर सवलती मिळत असल्याने विकासक या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रकल्पाला परवानगी मिळवतात. परिणामी महानगरपालिकेच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे. झोपु प्राधिकरणाने अकारण सवलतींचा लाभ देऊ नये तसेच झोपुच्या विविध योजनांमध्ये पालिकेकडे नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणी आयुक्तांनी केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले असल्यास त्याला लगाम घालणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्यच. तसेही दोनच दिवसांपूर्वी शासनाने काढलेल्या नव्या आदेशानुसार मुख्यमंत्र्यांना सर्व मंत्र्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पण केवळ राजकीय हिशेब चुकते करण्यापुरत्या मर्यादित दृष्टीने आयुक्तांच्या पत्राकडे बघितले जाऊ नये. तर कठोर पावले उचलून झोपु प्राधिकरणातील गैरप्रकारांना आळा बसावा हेच लोकांनाही अपेक्षित आहे.

शुद्ध समजल्या जाणाऱ्या पिवळ्या गुळावर कारवाई का झाली?

विश्लेषण

राहुल खळदकर
rahul.khaladkar@expressindia.com

> पिवळा गूळ म्हणजे शुद्ध स्वरूपातील गूळ असा समज आहे. साहजिकच त्याला मागणी असते. मात्र, महिनाभरापूर्वी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) पुणे, सांगली जिल्ह्यातील गुऱ्हाळ चालकांविरुद्ध कारवाई केल्यानंतर पिवळ्या गुळाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पिवळ्या गुळाबाबत ‘एफडीए’कडे कोणत्या तक्रारी आल्या?

पिवळा गूळ तयार करण्यासाठी रासायनिक पदार्थांचा वापर करण्यात आल्याच्या तक्रारी ‘एफडीए’कडे आल्या होत्या. गूळ आकर्षक दिसण्यासाठी सोडियम हायड्रोसल्फाइट, कृत्रिम रंग, तसेच अन्य रासायनिक पदार्थांचा वापर केला जात असल्याचे या तक्रारींत म्हटले होते. ‘एफडीए’ने याची दखल घेऊन पिवळ्या गुळावर कारवाई केली. त्यामुळे एरवी सहज दिसणारा पिवळसर पांढरट गूळ सध्या बाजारात दिसत नाही.

कारवाईचा परिणाम काय झाला?

गुऱ्हाळ चालकांवर कारवाई झाल्यानंतर पिवळ्या गुळाची निर्मिती बंद करण्यात आली. त्याचा परिणाम गुळाच्या पुरवठ्यावर झाला. दुसरीकडे, ग्राहकांकडून आता शुद्ध गुळाला मागणी वाढली आहे. तपकिरी आणि गडद सोनेरी रंगाचा गूळ नैसर्गिक असतो. ग्राहकांकडून आता त्याला मागणी येऊ लागली आहे, असे व्यापारी सांगतात.

पिवळा गूळ अपायकारक का?

रासायनिक पदार्थांचा वापर करून पिवळा गूळ तयार केला जात असल्याने ‘एफडीए’ने गुऱ्हाळांवर कारवाई केली होती. हे रासायनिक पदार्थ आरोग्यास घातक असल्याने कारवाई गरजेची होती. या कारवाईनंतर आता गुऱ्हाळ चालकांनी तपकिरी रंगाचा शुद्ध गूळ विक्रीस पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. या तपकिरी रंगाच्या गुळात रासायनिक पदार्थांचा वापर केला जात नाही.

भेसळयुक्त गुळामुळे कोणते विकार होऊ शकतात?

पिवळा गूळ तयार करण्यासाठी रासायनिक पदार्थांचा वापर केला जातो. अशा प्रकारचा गूळ भेसळयुक्त समजला जातो. तो सेवन केल्यास पचनसंस्थेचे विकार, मळमळ, उलट्या, जुलाब होतात. यकृत आणि मूत्रपिंडावर ताण येऊ शकतो. त्वचेला ॲलर्जी येऊ शकते, तसेच श्वसनाचे विकार उद्भवू शकतात. लहान मुले, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ, तसेच दीर्घ काळ आजारी व्यक्तींवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वैद्यकीय तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

भेसळयुक्त गूळ कसा ओळखावा?

ग्राहकांनी गूळ खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. रासायनिक पदार्थांचा वापर न केलेला गूळ तपकिरी आणि सोनेरी रंगात असतो. अशा प्रकाराच्या नैसर्गिक गुळाला उसाच्या रसाचा नैसर्गिक सुगंध असतो. गडद रंगाचा गूळ म्हणजे नित्कृष्ट गूळ, असा ग्राहकांचा गैरसमज आहे. पण तसे नाही. उलट पिवळा किंवा पांढरट रंग, अनैसर्गिक चमक, रसायनांचा वास, गूळ पाण्यात टाकल्यानंतर रंग वेगळा येणे, ही भेसळयुक्त गुळाची प्रमुख लक्षणे आहेत.

साखरेनंतर आता गूळही का महागला?

साखरेचे दर वाढल्यानंतर त्याला पर्याय म्हणून गुळाला मागणी वाढली. गुळाच्या मागणीत वाढ झाल्यापासून गुळाचे दर तेजीत आहेत. श्रावण महिना सुरू झाल्यानंतर सणासुदीचे वेध लागतात. गणेशोत्सव, गौरी, नवरात्रोत्सव, दिवाळीत गुळाच्या मागणीत एरवीही वाढ होते, आता आणखी होण्याची शक्यता आहे. सध्या मागणी वाढल्याने, गुळाच्या दरात क्विंटलमागे ७०० ते ८०० रुपयांनी वाढ झाली. गेल्या १५ दिवसांत ही वाढ झाली आहे. तसेच बाजारात आता शुद्ध गुळाची आवक वाढली आहे. पिवळा गूळ जवळपास हद्दपार झाला आहे.

गुळाची मागणी आणि पुरवठ्याचे प्रमाण कसे आहे?

अन्न आणि औषध प्रशासनाने गुळात रासायनिक पदार्थांचा वापर होत असल्याने कारवाई केली. कारवाईमुळे अनेक गुऱ्हाळे बंद झाली होती. जून महिन्यात नेहमीच्या तुलनेत २५ टक्के गुळाची आवक होत होती. मार्केट यार्डातील भुसार बाजारात दररोज २० टन आवक व्हायची. आता गुऱ्हाळ चालकांनी रासायनिक पदार्थांचा वापर करणे बंद केल्यानंतर पुन्हा गुऱ्हाळे सुरू झाली आहेत. मार्केट यार्डातील भुसार बाजारात दररोज होणारी गुळाची आवक ५० ते ६० टनांपर्यंत पोहोचली आहे. पुणे जिल्ह्यातील दौंड, यवत, केडगावसह सांगली जिल्ह्यातून गुळाची आवक होत आहे. नाशिक, ठाणे, भिवंडी, कल्याण येथील बाजारपेठेतून गुळाला मागणी वाढली आहे. साखर महाग झाल्यानेही गुळाला मागणी वाढली आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा या राज्यांतून गुळाला मागणी वाढली आहे. सणासुदीच्या काळात या मागणीत वाढ होणार आहे. गुळाचा चहा पिण्याचे प्रमाण वाढल्यानेही चहा विक्रेत्यांकडून गुळाला खरेदी वाढली आहे.

दैनिक जागरण

जीवन निरंतर चलने वाली एक यात्रा ही है

सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति

नीट-यूजी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पांच सदस्यीय समिति गठित की गई, उसके बारे में यह स्पष्ट नहीं कि वह अपनी रिपोर्ट कब देगी। अच्छा होता कि इस समिति के लिए कोई समयसीमा तय की जाती। निःसंदेह इस मामले में किसी निष्पक्ष जांच समिति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की ही पूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने की। अब अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से लैस यह समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र दे, ताकि उन कारणों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला समाप्त हो सके, जिनके चलते संसद मार्च में हिंसा हुई। इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है कि क्या सीजेपी समर्थकों की भीड़ में हिंसा पर आमादा तत्व भी शामिल थे या फिर पुलिस ने अकारण आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए सुप्रीम कोर्ट समिति यह भी स्पष्ट करे तो बेहतर कि क्या पुलिस को बिना अनुमति निकाले जा रहे सीजेपी के संसद मार्च को संसद परिसर जाने देना चाहिए था-और वह भी तब संसद का सत्र चल रहा था?

यदि कहीं कोई भीड़ संसद या विधानसभा की ओर कूच कर रही हो तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे रोके। हाल में झारखंड में यही किया गया। किसी भीड़ को संसद या विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस कितना बल प्रयोग करे, इसे किसी समिति के लिए तय कर पाना कठिन है, भले ही वह कितनी भी उच्चाधिकार प्राप्त हो। यह तो मौके पर मौजूद पुलिस ही भीड़ के रुख-रवैये के आधार पर तय कर सकती है। ऐसे में उचित यही होगा कि यह समिति धरना-प्रदर्शन का प्रोटोकाल तय करे, जिसकी आवश्यकता का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसकी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट समिति केवल सीजेपी और विपक्षी दलों के आरोपों की ही जांच नहीं करेगी। वह पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच करेगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि सीजेपी के साथ विपक्षी दलों ने एक ऐसा माहौल बनाया, मानो भीड़ ने कुछ नहीं किया, वह बिल्कुल शांत एवं संयमित थी और फिर भी पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाईं और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था, यह इससे सिद्ध होता है कि संसद मार्च के दौरान जहां पुलिस के बल प्रयोग से कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए, वहीं अनेक पुलिसकर्मी भी घायल हुए, क्योंकि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर उन पर पथराव किया था।

परती भूमि में कमी

उत्तराखंड में परती भूमि का दायरा घटना खेती-किसानी और खासकर पहाड़ की आर्थिकी के लिए सुखद संकेत है। सात जिलों में 15,286 हेक्टेयर परती भूमि कम होना बताता है कि लोगों ने दोबारा खेती की ओर रुख किया है। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से छोटी-बिखरी जोत, सिंचाई का अभाव, वन्यजीवों से फसल क्षति, मौसम की मार और पलायन जैसे कारणों से लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, खेती योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा परती में बदलता गया। परती यानी ऐसी कृषि भूमि, जिस पर पहले खेती होती थी और बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसका घटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभावित बदलाव का संकेत है। यदि लोग खेती को महज परंपरागत गतिविधि के बजाय व्यावसायिक दृष्टि से अपनाते हैं तो इससे गांवों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे तथा पहाड़ की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छह जिलों में 7,389 हेक्टेयर परती भूमि बढ़ी है। इसलिए सरकार को इस सकारात्मक रुझान को स्थायी बनाने के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करने होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण है उत्पादों के विपणन की ठोस व्यवस्था। किसान को यदि उसके उत्पाद का उचित मूल्य और बाजार की गारंटी मिले तो खेती आकर्षक बनेगी। परती भूमि में आई कमी को एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। सरकार की नीतियां खेत से बाजार तक किसान का साथ दें तो यह शुरुआत पहाड़ में खेती की मजबूत वापसी का आधार बन सकती है।

> खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी स्तर पर बुनियादी प्रयास और गंभीरता से होने चाहिए

जवाबदेही से दूर भागते जनप्रतिनिधि

राजकुमार सिंह

अगर सांसद संसदीय कार्यवाही की अपनी प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह ही नहीं कर रहे तो आखिर और क्या ही करते होंगे?

प्रति मिनट की कार्यवाही पर करीब ढाई लाख रुपये के खर्च की बर्बादी के पुराने आंकड़े दोहराते हुए संसद की गिरती उत्पादकता पर फिर चिंता जताई जा रही है। मानसून सत्र में मात्र 19 प्रतिशत कामकाज ही हो पाया और 173 कार्य घंटे बर्बाद हो गए। दो महत्वपूर्ण विधेयक मात्र 14 मिनट की चर्चा में पारित कर दिए गए तो 11 बिना किसी चर्चा के। जाहिर है कि संसद में काम कम हुआ और हंगामा ज्यादा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार भी होना ही चाहिए। हमारी संसदीय राजनीति में हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की परंपरा रही है। बेशक हंगामे की शुरुआत अक्सर विपक्ष की ओर से ही होती है, मगर अकारण तो कुछ भी नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान उसके कारणों के निवारण की मांग करता है, लेकिन हम कारणों से ही मुंह चुरा लेने के अभ्यस्त हो चले हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष की भूमिकाएं बदलते ही भाव-भंगिमाएं बदल जाना गैर-जिम्मेदार और अवसरवादी राजनीति ज्यादा है।

2014 से पहले नेता-प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सदन चलाना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी तथा संसदीय गतिरोध को भी संसदीय राजनीति का संवैधानिक उपकरण बताते थे, पर सत्ता पाने के बाद भाजपा का सोच बदल गया। तब संसदीय गतिरोध के लिए भाजपा को कठघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस अब अपनी वैसी ही भूमिका को सर्वथा लोकतांत्रिक ठहरा रही है। संसदीय गतिरोध और उसके जरिये सड़क की राजनीति का एजेंडा तय करने की प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन उसका लगातार बढ़ते जाना खतरनाक है। पहले जो विरोध वैचारिक या मुद्दा आधारित होता था, अब वह दलगत रंजिश में बदल गया लगता है। इसी कटुता का परिणाम और प्रभाव है कि एक-दूसरे पर टिप्पणी करते हुए भाषाई मर्यादा भी तार-तार की जा रही है।

संसद के मानसून सत्र जैसा हंगामा पहली बार नहीं हुआ। नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्वकाल में हर्षद मेहता कांड पर भी संसद में ऐसे ही दृश्य देखे गए थे। मनमोहन सिंह के समय टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले पर संसद कई दिनों तक ठप रही थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। वह राष्ट्र हित था और यह राष्ट्र विरोध। ऐसा अतार्किक सोच दलों-नेताओं का हो सकता है, जनता का नहीं। इस बार तो हंगामे का संकेत सत्र की शुरुआत के साथ ही मिल गया था। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र एवं युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। मानसून सत्र के पहले ही दिन 20 जुलाई को संसद मार्च का एलान भी किया जा चुका था। सरकार की विलंबित सक्रियता का भी परिणाम रहा कि संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद बाद के घटनाक्रम और उसके चलते हुए राजनीतिक नुकसान से नहीं बचा जा सका। सरकार की उसी नाकामी से विपक्ष के हाथ ऐसा मुद्दा लग गया, जिसने सत्तापक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया। जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव चंद महीने ही दूर हैं, तब विपक्ष उस मुद्दे को हाथ से कैसे चले जाने देता, जिसने उसे उस 'जेन जी' के हितों का चैंपियन बनने का मौका दे दिया, जो आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है और जिसका समर्थन हाल तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी ताकत रही? फिर एक इस्तीफे पर ही न रुक जाने की आक्रामक राजनीति भी विपक्ष ने भाजपा से ही सीखी है। मनमोहन सिंह के दौर में तमाम आरोपों के आधार पर ही भाजपा ने एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे करवाए थे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आना ही था।

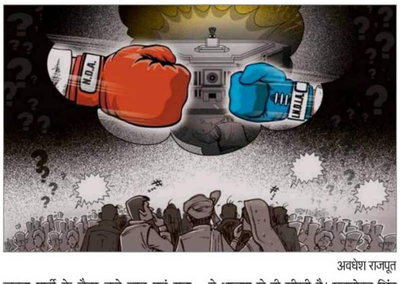

अवधेश राजपूत

संसदीय गतिरोध में भी समाधान का रास्ता निकालने की कवायद सदन के सभापति और संसदीय कार्य मंत्री कर सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन दोनों के भी विपक्ष से संबंध सहज नहीं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में शुरू हुई संसद में 'हल्ला ब्रिगेड' की खतरनाक परंपरा तोड़ने की जरूरत किसी ने भी नहीं महसूस की। आज भी सदन में दोनों ही ओर हंगामेबाजों की कमी नहीं, लेकिन यदि संसदीय कार्य मंत्री भी उसी ब्रिगेड का सदस्य बनते दिखें तो विपक्ष से संवाद की पहल कौन करेगा? पिछली लोकसभा में विपक्षी सांसदों के रिकार्ड निलंबन के बाद से स्पीकर ओम बिरला भी विपक्ष का विश्वास लगभग खो चुके हैं। सत्रावसान के बाद उनकी चाय पार्टी का भी विपक्ष ने बहिष्कार किया। जाहिर है, यह सब संसदीय लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पेश नहीं करता, लेकिन क्या आपको किसी के चेहरे पर शिकन भी नजर आती है? नहीं, क्योंकि संसद चलने न चलने से न सत्तापक्ष को फर्क पड़ता है और न ही विपक्ष को। बिना बहस और जवाबतलबी के विधेयक पारित हो जाएं तो सत्तापक्ष के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? दोनों ही सदनों में विपक्ष को भी संसद से बाहर सड़क और चुनाव की राजनीति के लिए अपने मुद्दों को धार देने का मौका मिल ही रहा है। दोनों ही एक-दूसरे को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, पर कौन कितना लोकतांत्रिक है, वह जनता बखूबी जानती है।

दोनों सदनों के लगभग साढ़े सात सौ सांसदों के वेतन-भत्तों और सुख-सुविधाओं पर भी करदाताओं की कमाई ही खर्च होती है। अगर ये सांसद संसदीय कार्यवाही और चर्चा की अपनी प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह ही ठीक से नहीं कर रहे तो आखिर और क्या ही करते होंगे? महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से 850 करने की कवायद हंगामे के चलते इस सत्र में सिरे नहीं चढ़ पाई, पर क्या उससे हमारी संसद ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह हो जाएगी? आधी आबादी से न्याय की प्रतिबद्धता पर बहस की गुंजाइश नहीं, लेकिन संसद के जनता के प्रति जवाबदेही से विमुख होते जाने से उठने वाले सवालों का जवाब तो मिलना ही चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

एकाकी होता जीवन का संध्या काल

प्रो. रसाल सिंह

अबाध स्वतंत्रता, निजता की चाह और असीम भौतिकता ने परिवारों की नींव को हिलाने का काम किया हैं

यह समाचार सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला था कि सोनीपत, हरियाणा के वृद्धाश्रम में रह रहे एक वयोवृद्ध पिता की मृत्यु के बाद उनकी तीनों बेटियों या नाती-नातिनों में से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। बेटियों ने वीडियो काल पर अंतिम संस्कार करना चुना। दिवंगत पिता प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और उनका विवाह कर पिता होने का दायित्व निर्वाह किया, फिर भी बेटियां न तो उनके अंतिम संस्कार में आईं और न ही तेरहवीं में। पिछले कुछ वर्षों में वृद्ध माता-पिता अपनी संतानों द्वारा अपमानित, उपेक्षित और तिरस्कृत हुए। बुजुर्ग भरा-पूरा परिवार और संसाधन होने के बाद अपने मकानों या वृद्धाश्रमों में एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त हैं। यह स्वार्थी, यांत्रिक और संवेदनहीन होते जा रहे समाज के रोबोटीकरण का प्रतिबिंब है।

तीन बेटियों के अंतिम संस्कार में शामिल न होने को केवल अमानवीय कहकर नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कुछ ठोस सामाजिक और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं। पहला है-समय की पुनर्परिभाषा। आज के शहरी जीवन में समय को उत्पादकता से जोड़ दिया गया है। हर गतिविधि का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उससे करियर या आय में कितनी वृद्धि होगी। अंतिम संस्कार इस पैमाने पर खरा नहीं उतरता। उससे कोई स्वार्थसिद्धि या लाभ नहीं होता। इसलिए वह महत्वहीन हो जाता है। दूसरा कारण है भावनात्मक दूरी। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक माता-पिता से नहीं मिलता तो उनके प्रति लगाव कम हो जाता है। मृत्यु की जानकारी एक निर्जीव सूचना बनकर रह जाती है, एक आघात नहीं। तीसरा कारण है सामाजिक स्वीकृति में बदलाव। पहले यदि कोई संतान माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती थी तो उसे अपराध-बोध और एक किस्म के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। आज ऐसे व्यवहार को 'व्यस्त जीवन जनित विवशता' कहकर सामान्यीकृत सा कर दिया गया है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में बेटियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे माता-पिता की अधिक देखभाल करेंगी, पर अब बेटियां भी नौकरी के कारण उसी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का हिस्सा बन जा रही हैं, जिसमें पुरुष पहले से थे। उनका व्यवहार भी बेटों जैसा होता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेटियां संवेदनहीन हो गई हैं, बल्कि यह है कि बाजार आधारित आर्थिकी ने स्त्री और पुरुष को उत्पादक- उपभोक्ता में अवमूल्यित कर दिया है।

जीवन के अंतिम क्षणों में भी उपेक्षित होते बुजुर्ग। फाइल

पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवार टूटे हैं और एकल परिवार का चलन बढ़ा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लोगों का पलायन/विस्थापन हुआ है। भौगोलिक दूरी का सीधा असर बुजुर्ग माता-पिता पर पड़ा है। उनके पास दो विकल्प बचे हैं-या तो अकेले रहें या वृद्धाश्रम में। दोनों ही स्थितियों में उनकी देखभाल और भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। अबाध स्वतंत्रता, निजता की चाह और असीम भौतिकता ने भी परिवारों की नींव को हिलाया है। जब पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, तो वृद्धाश्रम को एक व्यावहारिक समाधान मानकर बुजुर्गों को निर्वासित कर दिया जाता है। प्रारंभ में महीने में मिलने का वादा होता है। फिर यह अवधि बढ़ती जाती है। फोन पर बात भी औपचारिक होती जाती है। धीरे-धीरे बुजुर्ग बच्चों के जीवन से निष्कासित हो जाते हैं।

राष्ट्रीय वृद्धजन आयोग और कुछ स्वतंत्र संस्थाओं के सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 15 प्रतिशत से अधिक वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं। महानगरों में यह प्रतिशत 25 के आसपास है। वृद्धाश्रमों में रहने वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोगों के बच्चे देश के भीतर ही रहते हैं। वृद्धाश्रमों में प्रवेश लेने वाले 40 प्रतिशत बुजुर्ग उच्च और मध्यम वर्ग से हैं। स्पष्ट है इस समस्या का मूल कारण आर्थिक तंगी से ज्यादा आत्मकेंद्रित एवं उपयोगितावादी मूल्यचेतना और पाश्चात्य जीवनशैली है। आज अंतिम संस्कार के लिए 'लास्ट जर्नी' जैसी सेवा प्रदाता कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी हैं।

परिवार नामक संस्था भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता रही है। उसे बचाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि संगठन 'कुटुंब प्रबोधन' जैसे अभियान चलाकर इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। नीतिगत स्तर पर सरकार को वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए होम हेल्थ केयर, डे केयर सेंटर और सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने माता-पिता की देखभाल के लिए 45 दिन की छुट्टियां देने का प्रस्ताव किया है। अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों को भी कर्मचारियों को 'चाइल्ड केयर लीव' और 'पैरेंट्स केयर लीव' देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें ऐसा करने पर टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा। हमें नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति म्मेदारी का भाव सिखाना होगा।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

चित्त का संतुलन

हमारे प्राचीन ग्रंथ अनुकरणीय ज्ञान से समृद्ध हैं। इसी संदर्भ में उपनिषदों में उल्लेख है कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति न तो बलहीन द्वारा संभव है और न ही सदा प्रमाद में रहने वाले अनुशासनहीन व्यक्ति द्वारा। जो विवेकी व्यक्ति सबलता और एकाग्रता के साथ उस परम सत्ता की खोज करता है, केवल वही उससे एकाकार स्थापित कर पाता है।

इस स्थूल जगत और हमारी चेतना के बीच संपर्क और तारतम्य का सेतु मन के माध्यम से ही साकार होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जगत का अनुभव लेकर कर्मेंद्रियों द्वारा व्यवहार करने का क्रम निर्बाध रूप से केवल मन से ही संभव है। हमें चेतना का अनुभव भी मन के माध्यम से ही हो रहा है। ऐसे में मन का नियंत्रण में रहना, संतुलन में रहना अत्यावश्यक है, क्योंकि मन का पीड़ित होना या अनियंत्रित होना ही मानव जीवन की दीनता का और दयनीय अवस्था का कारण है। यदि शरीर दुर्बल होगा तो मन अत्यंत दुर्बल, अवसादग्रस्त, अत्यंत कठोर होगा और प्रेम का मर्म नहीं समझेगा और बिना प्रेम को समझे परम तत्व से एकाकार एक कल्पना मात्र ही रहेगा। जिस हृदय में प्रेम का अभाव होगा, वह जीवन को पूर्णता में समझने से वंचित रह जाएगा।

आज आवश्यक है सम्यक स्थापित करने की। उस मार्ग का निर्माण करने की, जो दुर्बल और अविवेकी हुए बिना परमहंस का मार्ग इंगित करता हो। इस सत्य में ही वास्तव में उद्धार संभव है, क्योंकि किसी तरह की अति अंततः समस्या और कष्ट को जन्म देती है। यही मार्ग है जो यंत्र और पशु के मध्य में मानवीय मार्ग है। हमें न यंत्रवत होना है, न ही पशुवत। हमें तो मानवीय गुणों की सर्वश्रेष्ठ संभावना को प्राप्त करना है। इस उच्चतम अवस्था की उपलब्धि ही ब्रह्म तत्व का अनुभव है, जहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं।

आदित्य नारायण अवस्थी

बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभव की पूंजी

देवेंद्रराज सुथार

देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुमान के मुताबिक 2050 तक यह आंकड़ा 30 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यानी आने वाले तीन दशकों में भारत का हर पांचवां व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। यह केवल एक सांख्यिकीय सूचना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ जिस उदासीनता से पेश आ रहे हैं, वह कल हमारी अपनी बुढ़ापे की तस्वीर बनने वाली है।

सरकार ने 2007 में माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम बनाया था, जिसके तहत संतान अपने बुजुर्ग माता-पिता का भरण पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इस कानून में यह प्रविधान भी है कि यदि कोई संतान अपने माता-पिता को संपत्ति हस्तांतरित करने के बाद उनकी उपेक्षा करती है, तो वह हस्तांतरण रद किया जा सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस कानून की जानकारी अधिकांश बुजुर्गों को है ही नहीं, और जिन्हें है भी, वे अपनी संतान के विरुद्ध अदालत जाने से हिचकते हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में से आधे से अधिक शिकायतें संपत्ति विवाद से जुड़ी होती हैं, न कि भावनात्मक उपेक्षा से।

> बुजुर्गों के प्रति सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी सही से उनकी देखभाल संभव हैं

एक पहलू जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, वह है वृद्ध महिलाओं की स्थिति। विधवा या अकेली बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक रूप से सबसे अधिक असुरक्षित होती हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से संपत्ति और पेंशन पर उनका सीधा अधिकार सीमित रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और विकट है, जहां विधवा पेंशन योजना की राशि इतनी कम है कि वह जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं। शहरी बुजुर्गों की समस्या अलग किस्म की है, वहां एकाकीपन और डिजिटल दूरी ने उन्हें बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि पेंशन के आनलाइन आवेदन जैसी सुविधाओं से भी काट दिया है। इस संकट का समाधान केवल कानून बनाने या योजनाएं घोषित करने से नहीं निकलेगा।

जरूरत इस बात की है कि स्थानीय स्तर पर सामुदायिक वृद्ध देखभाल केंद्र बनाए जाएं, जहां बुजुर्ग दिन में साथ रह सकें, बिना परिवार से पूरी तरह कटे। कारपोरेट कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व कोष का एक हिस्सा वृद्ध कल्याण पर खर्च करें, स्कूलों में बच्चों को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता सिखाई जाए, और मीडिया बुजुर्गों को दया का पात्र नहीं, बल्कि योगदान देने में सक्षम नागरिक के रूप में प्रस्तुत करे। जिस देश की सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, उसे यह याद रखना होगा कि परिवार की परिभाषा में बुजुर्ग भी उतने ही केंद्रीय हैं जितने बच्चे। बुजुर्गों को बोझ मानने की सोच बदले बिना न कोई कानून कारगर होगा और न कोई योजना।

(सामाजिक मामलों के जानकार)

राजनीति से मुक्त हों राष्ट्रीय प्रतीक

अवधेश कुमार का आलेख 'राष्ट्रीय गीत के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण रवैया' अत्यंत सामयिक, विचारोत्तेजक और राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने वाली एक निष्पक्ष प्रस्तुति है। 'वंदे मातरम्' केवल शब्दों का संकलन मात्र नहीं, बल्कि हमारे स्वाधीनता समर की अमर पुकार, मातृभूमि का वंदन और भारतीय राष्ट्र के आत्मा का शाश्वत स्वर है। ऐसे अमर उद्घोष और राष्ट्रीय प्रतीकों को दलगत राजनीति, वैचारिक संकीर्णता अथवा तात्कालिक लाभ-हानि के धरातल पर तौलना अत्यंत चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जीवंत एवं परिपक्व लोकतंत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है, परंतु राष्ट्र के गौरवशाली प्रतीकों के प्रति निष्ठा सर्वोपरि होनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस पावन मंत्र ने संपूर्ण भारत को जाति, पंथ और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक सूत्र में पिरोया था, आज 21वीं सदी के सशक्त भारत में उसके प्रति किसी भी प्रकार की असहजता या संकोच हमारी सांस्कृतिक नींव को कमजोर करता है। ऐतिहासिक तर्कों या परंपराओं की आड़ में राष्ट्रीय गीत के सस्वर गायन में अवरोध उत्पन्न करना या उसके प्रति उपेक्षा दर्शाना जन-भावनाओं को आहत करता है। राष्ट्र का वास्तविक उत्कर्ष और नवजागरण संकुचित तुष्टीकरण से नहीं, बल्कि अडिग राष्ट्रीय स्वाभिमान से ही संभव है। सरकार की नीतियों से असहमति का अधिकार अपनी जगह है, किंतु राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जैसे सर्वोच्च प्रतीकों के प्रति सम्मान एवं संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।

vashishtamanoj1999@gmail.com

मेलबाक्स

बढ़ते राजमार्ग घटती गुणवत्ता

गुरुवार को 'सुधार कब होगा' शीर्षक से प्रकाशित लेख देश के राजमार्गों की वर्तमान स्थिति पर गंभीर और विचारणीय प्रश्न खड़े करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तेजी से बिछ रहा है, लेकिन इसके साथ ही सड़कों की गुणवत्ता में कमी, बढ़ती दुर्घटनाएं और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की झलक भी साफ दिखाई देती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाक कार्यशैली और बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं। परंतु इस बेबाकी और अनुभव का वास्तविक लाभ तभी है, जब इससे व्यवस्था में धरातल पर सुधार दिखाई दे। मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल एक दशक से अधिक का हो चुका है। इतने लंबे समय के बाद भी यदि स्वयं मंत्री को यह स्वीकार करना पड़े कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से तकनीकी व वित्तीय योग्यताएं तय हो रही हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल खड़े करता है। लोग न केवल सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा ईमानदारी से चुकाए गए टैक्स का पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। राजमार्गों का विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा और टिकाऊ निर्माण में दिखना चाहिए। तभी सही मायने में सुधार संभव होगा।

पैंथर तोमर, किशनगंज, दिल्ली

निर्माण कार्य से जुड़ी जिम्मेदारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपने ही विभाग की कमियों और भ्रष्टाचार को स्वीकार करना निश्चित रूप से साहस का संकेत हो सकता है, लेकिन बारह वर्षों के लंबे कार्यकाल के बाद यह स्वीकारोक्ति आत्ममंथन से अधिक व्यवस्था की विफलता का प्रमाण बन जाती है। अब केवल ठेकेदारों को काली सूची में डालने की चेतावनी पर्याप्त नहीं। जिसने घटिया काम किया, जिसने उसे स्वीकृति दी और जिसने निगरानी में आंखें मूंद लीं- तीनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोषी ठेकेदार के साथ संबंधित अधिकारी और पर्यवेक्षण तंत्र भी कठघरे में आए। देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सड़क बनने के बाद उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने की प्रतीक्षा न की जाए, बल्कि निर्माण के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता व सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाषः नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

30 से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की जा चुकी है भारत में अब तक, जिसमें लिथियम, निकेल, ग्रेफाइट और कोबाल्ट जैसे तत्व प्रमुख हैं। जम्मू-कश्मीर समेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में ये बहुतायत में पाए जाते हैं।

आजकल

चंद्रमा तक दौड़ के बीच नासा का न्योता

तमाम वैज्ञानिक और खगोलीय प्रगति के बावजूद मानवीय कदमों की छाप अभी तक पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा के बाहर नहीं पड़ पाई है। इतना ही नहीं, 1972 तक चले छह अमेरिकी चंद्र-अभियानों के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक चांद पर चहलकदमी का गौरव भी हासिल नहीं कर सका है। ये बातें जितनी खटकने वाली हैं, उतनी ही आश्वस्तिदायक भी हैं कि अंतरिक्ष अभी इंसानी लालच के दायरे में आने से बचा हुआ है। ऐसे में नासा की ओर से भारत को साथ मिलकर काम करने का न्योता देना भारत की महत्ता भी दर्शाता है

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

भारत चंद्रमा पर अपेक्षाकृत बहुत कम लागत में अपना यान उतार चुका है। प्रतीकात्मक

चांद पर मानव बस्तियां बसाने के सपने को साकार करने के प्रयासों का फिलहाल अंजाम यह है कि ये बातें अभी नक्शों और योजनाओं में दर्ज हैं। परंतु जिस उद्देश्य के लिए अब चंद्रमा दुनिया में शुरू हुई नई स्पेस-रेस का पड़ाव फिर से बनने जा रहा है, वह लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पड़ाव के रूप में उसके उपयोग से जुड़ा है। इस संबंध में यह नई सूचना काफी मायने रखती है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अपने 'मून बेस' कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इसका राजफाश हाल में बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में हुई भारत-अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में हुआ है।

अंतरिक्ष विज्ञान, वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों और मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीक में सहयोग बढ़ाने के साथ वैज्ञानिक आंकड़ों के आदान-प्रदान को लेकर नासा और इसरो के बीच साझा-सहयोग के बारे में यह नई सूचना जरूर है, लेकिन इसरो और उसके चंद्र-अभियानों (चंद्रयान) की प्रतिष्ठा ही वह मूल वजह है, जो चंद्रमा के मामले में अमेरिका को भारत की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बदलते नजरिये में भारत की भूमिका केवल एक ऐसे देश की नहीं है जिसने अपेक्षाकृत कम लागत में चंद्रमा पर यान उतार दिया। बल्कि भारत ने वैज्ञानिक बिरादरी को चंद्रमा की ऐसी सूचनाएं दी हैं, जिनके कारण आज उसका दक्षिणी ध्रुव दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष क्षेत्रों में गिना जा रहा है।

हालांकि यहां एक तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है। इसे सीधे-सीधे 'इसरो-नासा का नया मून बेस समझौता' कहना अभी जल्दबाजी होगी। नासा की ओर से इसरो को मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि दोनों मुल्कों के बीच ऐसी साझेदारी की जमीन पहले से मौजूद है। वर्ष 2023 में भारत की ओर से नासा के जिस आर्टेमिस एकाड्र्स के सैद्धांतिक ढांचे पर सहमति दी गई है, यह उसकी अगली कड़ी है। फिर भी इस निमंत्रण का महत्व किसी औपचारिक संधि की भाषा से कहीं बड़ा है। वह इसलिए कि मौजूदा वक्त में चंद्रमा पर केवल यान और इंसान को दोबारा उतारने की ही प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही। बल्कि अब सवाल यह है कि वहां लंबे समय तक कौन वैज्ञानिक उपस्थिति बना सकता है, कौन चंद्र-संसाधनों को बेहतर समझ सकता है, कौन वहां से आगे मंगल और अन्य गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए रास्ता बना सकता है और कौन इस नई अंतरिक्ष व्यवस्था के नियमों तथा तकनीकों को आकार देने में भागीदार होगा। यहीं से इसरो की कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

पानी की खोज से आरंभ कहानी : उल्लेखनीय है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 साल 2008 में गया था। उस वक्त शायद ही किसी ने यह उम्मीद की थी कि यह अपेक्षाकृत छोटा मिशन आने वाले वर्षों में चंद्रमा की वैश्विक खोज की दिशा प्रभावित करेगा। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की रासायनिक, खनिजीय और भू-आकृतियों की मैपिंग की। उसके 11 वैज्ञानिक उपकरणों में भारतीय और विदेशी दोनों संस्थानों के उपकरण शामिल थे। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा चंद्र सतह पर हाइड्राक्सिल और पानी के अणुओं तथा स्थायी छाया वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में जल-बर्फ के संकेतों की पहचान करना था।

इस खोज का महत्व केवल इतना नहीं था कि इसने चंद्रमा पर पानी मौजूदगी के प्रमाण जुटाए। पानी की मौजूदगी का एक अर्थ जीवन की संभावना को आधार मिलना है। चूंकि पानी को आक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जा सकता है, इसलिए हाइड्रोजन-आक्सीजन राकेट ईंधन का आधार बन सकते हैं। इसलिए इस मान्यता को ठोस आधार मिला कि चंद्रमा पर पानी भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए संसाधन बन सकता है।

प्रयोगशाला से आगे : यहीं नासा का मून बेस कार्यक्रम कहानी में प्रवेश करता है। इसी सिलसिले में भारत ने 21 जून 2023 को आर्टेमिस एकाड्र्स पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय भारत ऐसा करने वाला 27वां देश था। इन एकाड्र्स का उद्देश्य चंद्रमा और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और जिम्मेदार सहयोग के लिए कुछ साझा सिद्धांत विकसित करना है। इनमें वैज्ञानिक आंकड़ों को सार्वजनिक करने और अंतरिक्ष संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। इसलिए 2026 का मून बेस निमंत्रण उस प्रक्रिया की अगली कड़ी है। असल में, नासा अब चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति की दिशा में काम कर रहा है। उसके वर्तमान मून बेस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास ऐसी स्थायी आधारभूत संरचना विकसित करना है जो मनुष्यों को वहां रहने, काम करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम बनाए। नासा ने मई 2026 में मून बेस के लिए रोवर और कार्गो लैंडर संबंधी नई योजनाओं की घोषणा की थी। वर्ष 2028 में वहां कुछ प्रारंभिक प्रक्षेपणों का लक्ष्य रखा है। इसलिए नासा-इसरो के ताजा गठजोड़ की संभावना वाली खबर को केवल 'अमेरिका ने भारत को चांद पर बुलाया' की सनसनीखेज भाषा में पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा। असली सवाल यह है कि अमेरिका ने भारत को न्योता क्यों भेजा है? इसका उत्तर भारत की पिछली चंद्र उपलब्धियों में छिपा है।

लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारत अपनी चंद्र प्राथमिकताओं को किसी दूसरे देश के कार्यक्रम में विलीन कर दे। अंतरिक्ष सहयोग का सबसे अच्छा माडल वह है जिसमें साझेदार अपनी क्षमताएं साझा करें, लेकिन अपनी वैज्ञानिक स्वायत्तता भी बनाए रखें। भारत को नासा से तकनीक और अनुभव लेना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने स्वतंत्र चंद्र अभियानों की गति भी बनाए रखनी चाहिए। ऐसे में नासा का हालिया निमंत्रण भारत के लिए एक जिम्मेदारी लेकर आया है। भारत को इस मौके को केवल राष्ट्रीय गौरव के क्षण के रूप में नहीं, वरन आगामी 25 वर्षों की वैज्ञानिक-तकनीकी रणनीति के रूप में देखना होगा। मून बेस में भारतीय भागीदारी का लक्ष्य केवल वहां भारतीय झंडा लगाना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए- भारतीय विज्ञान को वहां ऐसी भूमिका देना जिसके बिना उस बेस की वैज्ञानिक उपयोगिता अधूरी लगे।

चांद से जुड़ी तकनीकी और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां

कभी चांद हमारे लिए आकाश में चमकता एक सुंदर गोला था। फिर वह अमेरिका और सोवियत संघ की अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य बना। आज वह पृथ्वी से बाहर मानव सभ्यता की अगली प्रयोगशाला बन रहा है। इस बदलाव में भारत का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने चंद्रमा की उस कहानी को वैज्ञानिक आधार दिया जिसमें पानी, ध्रुवीय क्षेत्र और भविष्य के संसाधनों की चर्चा संभव हुई। चंद्रयान कार्यक्रम ने यह भी दिखाया कि अंतरिक्ष अन्वेषण केवल असीमित बजट वाले देशों का विशेषाधिकार नहीं है। अब नासा का निमंत्रण भारत के लिए नई जिम्मेदारी लेकर आया है। भारत को इस अवसर को केवल राष्ट्रीय गौरव के क्षण के रूप में नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों की वैज्ञानिक-तकनीकी रणनीति और ऐसी वैज्ञानिक आजादी के रूप में देखना होगा जो भारतीयों विकास व स्वाबलंबन की राह खोलता हो।

एक विफलता और एक सफलता : भारत के चंद्र अभियानों की अगली कहानी थोड़ी जटिल रही। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर सितंबर 2019 में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में साफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। यह विफलता इसरो के लिए तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों अर्थों में चुनौती थी। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान की असली शक्ति शायद इसी बिंदु पर दिखाई देती है- असफलता को अंतिम निष्कर्ष नहीं, अगले प्रयोग की सामग्री बनाना। इसरो का अगला चंद्र मिशन चंद्रयान-3 उसी अनुभव से निकला था। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित यह मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा।

चंद्रमा के इस क्षेत्र में अपना यान सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना और अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद चांद पर साफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश। यह उपलब्धि केवल राष्ट्रीय गौरव का विषय नहीं थी। असली उपलब्धि उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला की थी जो चंद्रमा की सतह पर सक्रिय हुई। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह की संरचना, तापीय गुणों, भूकंपीय गतिविधि और तत्वीय संरचना के बारे में प्रत्यक्ष आंकड़े जुटाए। चंद्रयान-3 के उपकरणों ने सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आक्सीजन और सिलिकान जैसे तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की।

लेकिन चंद्रयान-3 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को केवल 'हम चांद पर उतर गए' कहकर सीमित कर देना उसके वैज्ञानिक योगदान को छोटा करना होगा। मसलन, चंद्रयान-3 के एक अहम उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में सतह के सबसे ऊपरी लगभग 10 सेंटीमीटर हिस्से के तापमान और तापीय गुणों का प्रत्यक्ष मापन किया। इसरो के अनुसार इससे पहले ध्रुवीय क्षेत्र की ऐसी प्रत्यक्ष उपसतही तापीय जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह जानकारी भविष्य में चंद्रमा के संसाधनों के उपयोग और वहां काम करने वाले उपकरणों तथा मानव अभियानों की डिजाइन के लिए उपयोगी हो सकती है। यानी चंद्रयान-3 ने चंद्रमा को केवल छुआ नहीं, बल्कि उसका सटीक मापन शुरू किया।

(डा. संजय वर्मा)

खरी-खरी

डायरी से स्टेटस तक का सफर

राजेंद्र कुमार सिंह

समय के साथ आदमी के विचार भी बदलते रहते हैं। कभी वह दौर था, जब हम कोई भी कार्य करते थे तो आमजन तो दूर की बात, अपने घर के सदस्यों से भी अपने विचारों को छिपाकर रखते थे। उन्हें डायरी के पन्नों पर लिखकर सुरक्षित रख लेते थे, ताकि भविष्य में जब कभी अपने अतीत को टटोलने की जरूरत पड़े तो उस समय और उस दिन का सही-सही आकलन किया जा सके।

लेकिन जैसे-जैसे वक्त करवट लेता गया, हमारे आचार-विचार और बात-व्यवहार पर भी उसका प्रभाव पड़ता गया। वक्त जिस खुरदरी राह पर आगे बढ़ रहा था, उसी के साथ आम लोगों की सोच भी बदलती चली गई। मैं भी कभी इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारकर निरंतर आगे बढ़ रहा था। अपने विचारों को अपने तक सीमित रखना ही बेहतर समझता था।

आज के दौर पर अगर गौर करें तो शायद ही कोई इससे अछूता रह गया हो। जो विचार कभी हम अपने तक छिपाकर रखते थे, इंटरनेट मीडिया के प्रचार की लहर ने उन्हें ऐसी गति दे दी है कि वे बारिश की हल्की फुहार पड़ते ही चारों ओर फैल जाते हैं। हमारा जो विचार कभी संकुचित होकर हमारे भीतर कैद रहता था, आज वह स्वतंत्र होकर खुले वातावरण में विचरण कर रहा है। हमारी निजी जिंदगी मानो एक खुली किताब बन गई है, जिसका कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई पन्ना पलटने की कोशिश कर सकता है।

पहले हमारे विचार डायरी के पन्नों में कैद होकर किसी कोने में पड़े रहते थे। वे हमारे राजदार थे-न कोई लाइक की चिंता, न कमेंट की प्रतीक्षा और न ही किसी के देखने का डर। आज वही विचार डायरी से निकलकर स्टेटस बन गए हैं। अब वे खुलेआम वितरित हो रहे हैं और हम उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि इस बार हमारी जिंदगी का कौन-सा पन्ना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है।

वक्त ने डायरी के पन्ने तो नहीं बदले, बस उन्हें पढ़ने वाले बदल दिए। पहले हम अपने विचार लिखकर छिपाते थे, आज लिखकर दुनिया को दिखाते हैं। यही है-डायरी से स्टेटस तक का सफर।

पोस्ट

आवारा कुत्तों की समस्या पर ध्यानाकर्षण के लिए मध्य प्रदेश में एक शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारी के समक्ष कुत्ते का मुखौटा पहना। इस मुद्दे पर जागरूकता प्रसार के लिए ऐसे ही नाटकीय प्रदर्शन की जरूरत है।
कार्ति चिदंबरम@KartiPC

वंदे मातरम् के पचड़े में कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। अपनी फजीहत से बचने के लिए अब वह वंदे मातरम् के इतिहास में घुस गई। यह नैरेटिव व्यर्थ है, क्योंकि संसद के मानसून सत्र से पहले वंदे मातरम् को कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

विरोध वंदे मातरम् का है या वंदे मातरम् पर कानून मोदी ने बनाया, इसलिए विरोध करना है? विपक्ष ने तय कर रखा है कि नरेन्द्र मोदी जो कहेंगे आंख मूंद कर उसका विरोध करना है।
अशोक श्रीवास्तव@AshokShrivasta6

भारत में अमेरिकी राजदूत ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कश्मीर भारत में शामिल हुआ और उसका हिस्सा बन गया और विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ही उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी।
ताहा सिद्दीकी@TahaSSiddiqui

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारत की राह आसान होती दिख रही है?

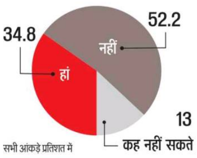

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या वंदे मातरम् के दो ही छंद गाने की जिद से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

बोटिंग कर डल झील में जब खुल गया दिमाग,
तब बोले कश्मीर है भारत का ही भाग।
भारत का ही भाग सुने अब दुनिया सारी,
करें सर्जियो गोर वकालत खुली हमारी !
ले भारत का पक्ष कीजिए खुलकर वोटिंग,
अमेरिकी टूरिस्ट करें तब डल में बोटिंग!!

-ओम प्रकाश तिवारी

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

छात्र हित की ओर उठते सरकार के कदम

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच और अन्य मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 26 दिनों तक चले छात्र आंदोलन की समाप्ति अच्छे फैसलों के साथ हुई है। जंतर-मंतर के बाद छात्रों का सबसे बड़े आंदोलन के रूप में ख्याति पा चुके रांची के छात्र आंदोलन ने जहां छात्रों और युवाओं की ताकत का अहसास कराया, वहीं इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अच्छा निर्णय लेने के लिए बधाई के पात्र हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं के सिस्टम में व्यापक बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू करने समेत सरकार ने एक साथ 22 नियुक्ति परीक्षाएं रद कर साहसिक निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 से हुई तमाम नियुक्ति परीक्षाएं भी अब सीआइडी के जांच के दायरे में आ गई हैं। आंदोलन के दौरान जहां छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध-प्रदर्शन किया और इसमें धरना, भूख हड़ताल जैसे सत्याग्रह के तरीके अपनाए, वहीं सरकार ने भी छात्रों की बातों को पूरी गंभीरता से सुना और उनकी मांगों को मानने के साथ ही तमाम छात्रों और युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई।

परीक्षा व्यवस्था का बदला जाना आनेवाले दिनों में अगर सार्थक साबित हुआ तो नियुक्ति परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं की गुंजाइश कम रहेगी, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ न्याय हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया जो उनकी छात्रों के हित के प्रति उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, उनकी दूरदर्शिता और परिपक्वता को परिलक्षित करता है। अब तक के झारखंड के इतिहास में ऐसा पहला निर्णय लिया गया कि सीजीएल समेत 22 परीक्षाओं को एक साथ रद करने तथा छह को अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने अधिसूचना जारी की गई। इस कड़े फैसले का दूसरा पहलू यह है कि सीजीएल (संयुक्त स्नातक स्तरीय) नियुक्ति परीक्षा और 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त होकर नौकरी कर रहे सैकड़ों अफसर और कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रभावित हो गईं। ऐसे कर्मचारी और अफसर अब प्रदर्शन कर सरकार से नियुक्तियां रद करने का निर्णय वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच ऐसे लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर तात्कालिक रोक लगा दी है, जिससे उन्हें राहत मिल गई है। दूसरी सरकार भी लगातार यह कह रही है कि जिनकी नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसे लोगों के लिए भी उचित रास्ता निकालने का प्रयास होगा।

मांगें पूरी होने के बाद रांची में आभार यात्रा निकालते आंदोलनकारी छात्र। फाइल

सरकार ने पूरे प्रकरण में बहुत सूझबूझ से काम लिया। लगातार मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल आंदोलनरत छात्रों से बातचीत कर रहा था और हल निकालने का प्रयास कर रहा था। अंततः 17 अगस्त को खुद मुख्यमंत्री आगे आए और कैबिनेट की बैठक कर छात्रों के हित में निर्णय लिया। इस कदम का छात्रों ने स्वागत किया। सोमवार की देर शाम जब प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस से वार्ता कर रहे थे तब पूरा राज्य उन्हें ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने न सिर्फ छात्रों की सभी मांगें मान लीं, बल्कि छात्रों की मांगों से आगे बढ़कर ऐसी सभी नियुक्ति परीक्षाएं रद कर दीं, जिन्हें लेकर कोई भी संदेह या विवाद था। छात्रों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया और इस निर्णय के बाद आभार यात्रा निकालकर आंदोलन को स्थगित कर दिया। छात्रों के कुछ संगठन अभी गड़बड़ियों की सीबीआइ जांच कराने की मांग दोहरा रहे हैं, लेकिन सीआइडी जांच के क्रम में ही जिस तरह से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते समेत दो दर्जन से अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर सरकार ने कड़े तेवर दिखाए, उससे युवाओं का बड़ा वर्ग संतुष्ट दिख रहा है। हेमंत सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले और भ्रष्टाचार करनेवाले किसी भी आरोपित को इस पूरे प्रकरण में सरकार बख्शने वाली नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इस मामले में सरकार ने दो कदम आगे बढ़कर कड़े निर्णय लिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस निर्णय से कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी गई है, सरकार उनके लिए भी राह निकालने के लिए प्रयास में लगी है, लेकिन, जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता।

मंथन

अजय प्रताप तिवारी
शिक्षा मामलों के जानकार

पेपर लीक समस्या का समाधान

भर्ती प्रक्रियाओं में बढ़ती अनियमितताओं, पेपर लीक और समय पर भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी न होने और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही को लेकर आजकल सवाल खड़े हो रहे हैं

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी युवा शक्ति होती है। यदि इन्हें सही दिशा मिले तो राष्ट्र को शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश के युवाओं में, परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के कारण व्यापक स्तर पर हताशा और निराशा देखने को मिल रही है। इसका मूल कारण अवसर की कमी, बड़े पैमाने पर पेपर लीक होना, परीक्षा प्रणाली में बढ़ती धांधली, परीक्षाओं का अचानक से रद किया जाना, युवाओं के मनोबल को तोड़ देता है। इतना ही नहीं आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं द्वारा गलत प्रश्न बनाए जाने के कारण और भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव करने तथा कई अन्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली जाती है।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में युवाओं के वर्षों का समय, पैसा और मानसिक ऊर्जा लगाते हैं। जब परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र के लीक होने की खबर सामने आती है अथवा परीक्षा रद करनी पड़ती है, तो सबसे बड़ा नुकसान उस अभ्यर्थी का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से लेकर, कोई भी परीक्षा चाहे वह राज्य प्रशासनिक अधिकारी का हो या प्रवेश परीक्षा का हर छोटी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हो ही जाता है। भारत में पेपर लीक का मामला एक गंभीर समस्या बन चुका है, पेपर लीक से परीक्षा करवाने वाली संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता तथा प्रतियोगी छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। कई राज्यों में पीसीएस मुख्य परीक्षा एवं पीसीएस-जे की कापी बदलने का मामला भी आया है।

पेपर लीक होने के कारण : पेपर लीक होना, संस्थागत धांधली तथा परीक्षाओं में अनियमितता यह किसी एक व्यक्ति की बेईमानी का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यवस्थागत, प्रशासनिक और तकनीकी कमजोरियों का गठजोड़ है। परीक्षा प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा में कमी, ओएमआर और ओएसआर (आन स्क्रीन मार्किंग) में बदलाव, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही का अभाव, भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक केंद्रीकरण, कमजोर निगरानी, डिजिटल सुरक्षा की खामियां तथा भ्रष्टाचार इसके प्रमुख कारण हैं। पेपर लीक के कई अन्य कारण भी हैं जिसमें पेपर छपने और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी का अभाव पेपर लीक का मुख्य कारण बनता है, कई बार परीक्षा प्रक्रिया में शामिल कुछ असंतुष्ट कर्मचारी जानबूझकर प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं, प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण में सुरक्षा का अभाव, प्रभावशाली व्यक्तियों का हस्तक्षेप, परीक्षा फार्म और परीक्षा की तिथि निर्धारित न होना, सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ती प्रतिस्पर्धा, देश में बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने पेपर लीक के लिए संगठित गिरोहों को आर्थिक अवसर दिया है। पेपर लीक केवल देश की शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल ही नहीं खड़ा होता है, बल्कि छात्रों के भविष्य और देश की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

क्या है समाधान : परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों का डिजी लाकर प्रोफाइल की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें परीक्षा के सभी चरणों की कापी को अपडेट करना चाहिए, ताकि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र अपनी कापी आसानी से देख सकें, इससे आयोग की खोई हुई विश्वसनीयता और छात्रों का संदेह खत्म हो जाएगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा गलत प्रश्न बनाने पर दंड का प्रविधान किया जाना चाहिए, ताकि प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण न रहे। परीक्षा सेंटर पर सामूहिक नकल अथवा पेपर लीक होने पर सेंटर हमेशा के लिए मान्यता रद और आर्थिक दंड का प्रविधान किया जाना चाहिए। आनलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में छात्रों की फेसस्कैनिंग और ओएमआर की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

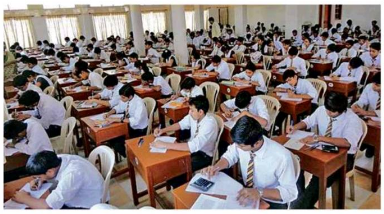

परीक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़कर पेपर लीक पर नियंत्रण का हो रहा प्रयास। फाइल

परीक्षा पेपर का मुद्रण सरकार और आयोग की निगरानी में सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। परीक्षा पेपर की सुरक्षा के लिए डिजिटल बाक्स की विशेष प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए, परीक्षा आयोगों को नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए वर्ष में दो बार एक सप्ताह का प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा ऐसे देशों की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाना चाहिए जो नकल विहीन परीक्षा कराने में सफल रहे हैं। परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों के फोन, ईमेल को परीक्षा से दो सप्ताह पहले से सरकारी एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी परीक्षा योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए कराई जाती है इस लिए परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता बहुत जरूरी है।

सनसाइन पिक्चर्स के आइपीओ में 106 गुना आवेदन

नई दिल्ली : फिल्म और टेलीविजन निर्माता-निर्देशक विपुल शाह की कंपनी सनसाइन पिक्चर्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) को निवेशकों की मजबूत प्रक्रिया मिली है। एनएसई के डाटा के अनुसार, इस आइपीओ में 54,86,051 शेयरों के सापेक्ष 58,04,90,382 शेयर खरीदने के लिए आवेदन मिले हैं। यह कुल प्रस्ताव का 105.81 गुना है। (प्रेट्र)

कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को नए स्टाइल, ज्यादा आराम और सभी श्रेणियों में बेहतर मूल्य देने के लिए फिर से डिजाइन कर रही है।
– अश्वनी विंडलास, चेयरमैन, बाटा इंडिया

सेंसेक्स	77,537.72	▲ 628.04
निफ्टी	24,231.85	▲ 153.55
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,62,300	▲ ₹ 4,300
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,45,000	▲ ₹ 10,000
डालर	₹ 95.74	▲ ₹ 0.01
क्रूड प्रति बैरल	$ 93.91	

अभी और महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन व लैपटाप

मेमोरी चिप की किल्लत इसकी बड़ी वजह, पिछले साल के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ चुके हैं इसके दाम

राजीव कुमार • जागरण

- पिछले साल की तुलना में अब तक 20 प्रतिशत तक महंगे हुए हैं स्मार्टफोन और लैपटाप
- चिप की किल्लत से 15 से 20 हजार रुपये तक महंगा हो सकता है आइफोन का आगामी वर्जन

नई दिल्ली : इस त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन और लैपटाप की खरीदारी आसान नहीं होगी। इन दोनों उत्पादों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं। आने वाले महीनों में भी इनके दाम और बढ़ेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह रैम या मेमोरी चिप की किल्लत बताई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) सेक्टर में मेमोरी चिप की बड़ी संख्या में इस्तेमाल की वजह से कंज्यूमर गुड्स के लिए इसकी किल्लत हो गई है। चूंकि दुनिया में चार-पांच कंपनियां ही मेमोरी चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं। इनमें कोरिया, अमेरिका व चीन की कंपनी शामिल हैं। पिछले एक साल में मेमोरी चिप की कीमतों में 4.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2028 में जाकर मेमोरी चिप की मांग के मुताबिक सप्लाई सामान्य हो पाएगी। इसलिए लैपटाप व स्मार्टफोन समेत मेमोरी चिप इस्तेमाल करने वाले सभी आइटम के दाम अभी बढ़ते ही रहेंगे। जानकारों का कहना है कि अगर लैपटाप व स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो देर करने पर यह सौदा महंगा साबित होगा। एपल आइफोन का आगामी वर्जन मेमोरी चिप की किल्लत के कारण 15 से 20 हजार रुपये तक महंगा हो सकता है। वीवो कंपनी के मुताबिक एक साल पहले 20 हजार में बिकने वाले स्मार्टफोन की कीमत अभी 26 हजार तक हो चुकी है। एक-डेढ़ साल पहले तक 40 हजार रुपये में बिकने वाले लैपटाप की कीमत 55 हजार तक पहुंच चुकी है। 16 जीबी रैम की कीमत 52 डालर से बढ़कर 240 डालर, 32जीबी का 72 डालर से बढ़कर 239 डालर, 48जीबी का 144 डालर से 690 डालर तक पहुंच गया है। इसी अनुपात में अन्य क्षमता वाले रैम का मूल्य बढ़ा है।

रातों-रात चिप का उत्पादन नहीं बढ़ा सकतीं कंपनियां

स्मार्टफोन और इलेक्ट्रानिक्स आइटम से जुड़ी रिसर्च कंपनी काउंटरपाइंट के मुताबिक एक साल पहले तक एक लाख रुपये के स्मार्टफोन में 8-9 हजार रुपये रैम की लागत होती थी, वह अब बढ़कर 25-30 हजार रुपये तक हो चुकी है। काउंटरपाइंट के निदेशक तरुण पाठक ने बताया कि मेमोरी चिप बनाने वाली माइक्रोन, एसकेहिन्कस, सैमसंग और सीएसएमटी द्वारा बनाई जाने वाली चिप की आपूर्ति पहले ही कंपनियों ने कर ली है। मेमोरी चिप बनाने की क्षमता बढ़ाने में राशि और समय दोनों काफी अधिक लगता है, इसलिए वे अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार एकदम से नहीं कर सकती है।

त्योहारी सीजन में छूट और नए लांच से मांग को सहारा मिलने की उम्मीद

काउंटरपाइंट के रिसर्च के मुताबिक मेमोरी चिप की वजह से पूरी दुनिया में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही है और इसका असर उनकी बिक्री पर दिख रहा है। इस साल जून तिमाही में स्मार्टफोन की बिक्री पिछले छह सालों में सबसे कम है। पाठक कहते हैं कि इस साल भारत में स्मार्टफोन की बिक्री पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत तक कम रह सकती है। त्योहारी सीजन बाजार के लिए अहम रहेगा, जिसमें छूट, फाइनेंस स्कीम और नए लांच से फोन बदलने की मांग को सहारा मिलने की उम्मीद है।

10 लाख टन शुल्क मुक्त चीनी के आयात को मंजूरी

चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए उठाया कदम, बड़े खरीदारों के लिए स्टाक की सीमा भी तय की गई

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने गुरुवार को टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख टन चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दे दी। त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। आपूर्ति में कमी के कारण पिछले दो महीनों में चीनी की कीमत लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गई हैं। इसी कारण दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता देश को लगभग एक दशक में पहली बार चीनी आयात करनी पड़ रही है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि कच्ची चीनी के लिए आयात नीति में बदलाव किया गया है ताकि टैरिफ रेट कोटा के तहत 31 अक्टूबर, 2026 तक 10 लाख टन बिना शुल्क आयात की इजाजत दी जा सके। 2026-27 सीजन से पहले शुरुआती स्टाक कम होने के कारण मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतें (एक्स-मिल रेट) रिकार्ड स्तर पर पहुँच गई हैं। एक उद्योग संगठन के अनुसार, मंगलवार को पूरे देश में औसत एक्स-मिल कीमत बढ़कर 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो एक साल पहले 3,900 रुपये थी। आमतौर पर अगस्त और नवंबर के बीच चीनी की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान देश में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं।

कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले बड़े उपभोक्ताओं के स्टाक की सीमा भी तय की है। उनके लिए स्टाक सीमा 15 दिन की खपत के बराबर तय की गई है। यह आदेश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

एक नजर में

जुलाई में इन्फ्रा क्षेत्र का उत्पादन 5.4 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली : जुलाई 2026 में नौ प्रमुख इन्फ्रा क्षेत्रों के उत्पादन में 5.4 प्रतिशत बढ़ा। इसमें कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क क्षेत्रों का प्रमुख योगदान शामिल है। जुलाई 2025 में प्रमुख इन्फ्रा क्षेत्रों के उत्पादन में 3.2 प्रतिशत और जून 2026 में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जून 2026 से नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ डाटा जारी किया जा रहा है। इसमें लौह अयस्क को जोड़ा गया है, जिससे प्रमुख इन्फ्रा क्षेत्रों की संख्या नौ हो गई है। (प्रेट्र)

निवा बूपा पर नए आफिस खोलने पर रोक लगाई

नई दिल्ली : बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनी निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पर छह महीने तक नया आफिस खोलने पर रोक लगा दी है। बीमा नियामक ने खर्च प्रबंधन सीमा का उल्लंघन करने के कारण यह निर्देश दिया है। बीमा कंपनी ने गुरुवार को बताया कि इरडा ने उससे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खर्च प्रबंधन सीमा के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। बीमा के मामले में खर्च प्रबंधन में वह कुल संचालन लागत शामिल होती है, जो कंपनी अपना कारोबार चलाने और पालिसीधारकों को सेवा देने में खर्च करती है। (प्रेट्र)

जुलाई में घरेलू हवाई यातायात 4.80 प्रतिशत घटा

मुंबई : इस वर्ष जुलाई में घरेलू हवाई यातायात 4.80 प्रतिशत घटकर 1.20 करोड़ यात्री रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार, पिछले वर्ष समान महीने में 1.26 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी। डाटा के अनुसार, जनवरी-जुलाई 2026 के दौरान घरेलू एयरलाइंस के जरिये 984.03 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो 2025 की समान अवधि के 977.79 लाख से 0.64 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने 80.82 लाख यात्रियों के साथ इंडिगो पहले स्थान पर रही। एयर इंडिया समूह ने 28.75 लाख यात्रियों को घरेलू हवाई यात्रा कराई। (प्रेट्र)

रुपये में विदेश व्यापार करना हुआ आसान

- आरबीआइ के नियमों को डीजीएफटी ने किया अधिसूचित
- डालर की कमी वाले देशों के साथ आसानी से हो सकेगी ट्रेड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पहले की तुलना में अब रुपये में आयात-निर्यात करना आसान होगा। विदेश से सामान मंगाने या उसे भेजने पर रुपये में उसका भुगतान किया जा सकेगा या विदेश से रुपये में भुगतान मंगाया जा सकेगा। अभी अधिकतर देशों से निर्यात या आयात करने पर डालर में ही भुगतान करने का नियम है। आरबीआइ ने तीन साल पहले इस प्रकार के नियम की घोषणा की थी, लेकिन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से मंजूरी नहीं मिलने से इसे लेकर विदेश व्यापारियों में असमंजस था। गुरुवार को डीजीएफटी ने इसे अधिसूचित कर दिया।

इस नियम से फायदा यह होगा कि जिन देशों में डालर की कमी है, वे भारत के साथ आसानी से व्यापार कर सकेंगे। इससे भारत के विदेश व्यापार का दायरा बढ़ेगा। वहीं दोनों देशों के व्यापारियों को डालर को स्थानीय करेंसी में बदलने में जो शुल्क लगता था, वह भी बच जाएगा। उदाहरण के लिए अभी कोई भारतीय निर्यातक सिंगापुर सामान भेजता है तो सिंगापुर के खरीदार को भारतीय विक्रेता को भुगतान करने के लिए पहले अपने सिंगापुर डालर को अमेरिकन डालर में बदलना होगा, जिस पर उसे शुल्क देना होगा। अमेरिकन डालर में जब वह राशि भारतीय विक्रेता को मिलेगी तो भारतीय विक्रेता उसे रुपये में बदलेगा जिसके लिए उसे बैंक को शुल्क देना होगा। रुपये में व्यापार होने पर यह शुल्क नहीं लगेगा। इस मामले में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंशिएटिव (जीटीआरआइ) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि रुपये में विदेश व्यापार को आसान बनाने के लिए लिए डीजीएफटी की तरफ से अधिसूचना ही काफी नहीं है। सिंगापुर या आस्ट्रेलिया का खरीदार भारतीय विक्रेता को रुपये में तभी भुगतान कर सकेगा जब इन देशों में रुपये की उपलब्धता आसानी से होगी। यह सुविधा भारत को मुहैया करानी होगी। तभी इसका फायदा मिलेगा। चीन ने कई देशों में यह सुविधा दे रखी है। रुपये में व्यापार करने में एक दिक्कत और आती है। जैसे रूस से भारत 70 अरब डालर का आयात करता है तो उसे पांच अरब डालर का निर्यात कर रहा है। व्यापार में इतने बड़े अंतर में भी रुपये में व्यापार करना व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि रूस 70 अरब डालर के बराबर वाले रुपयों का क्या करेगा।

सेंसेक्स 628 अंक चढ़ा, निफ्टी में सात दिन की नरमी थमी

- वैश्विक बांड रिटर्न में नरमी से इक्विटी इंडेक्स में सुधार हुआ
- विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश से भी बाजार को समर्थन मिला

2.71 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 5.14 ट्रिलियन डालर हो गया बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण

मुंबई, प्रेट्र: वैश्विक बाजारों में तेजी और वैश्विक बांड रिटर्न में नरमी से जोखिम लेने की धारणा मजबूत हुई, जिससे गुरुवार को बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में सुधार हुआ। बीएसई सेंसेक्स चार दिनों की गिरावट के बाद 628.04 अंक बढ़कर 77,537.72 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 701.43 अंक बढ़कर 77,611.11 पर पहुंच गया था। वहीं, लगातार सात दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए एनएसई निफ्टी 153.55 अंक या 0.64 प्रतिशत बढ़कर 24,231.85 पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से भी बाजार को समर्थन मिला।

सेंसेक्स की कंपनियों में, कोटक महिंद्रा बैंक, आइटीसी, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियां रहीं। वहीं टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन, एचसीएल टेक और टाइटन पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल रहीं। ब्रेंट क्रूड 2.67 प्रतिशत बढ़कर 93.91 डालर प्रति बैरल हो गया। इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति 2.71 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4,91,41,686.64 करोड़ रुपये (5.14 ट्रिलियन डालर) हो गई। बुधवार को सेंसेक्स 325.78 अंक टूटकर 76,909.68 अंक पर और निफ्टी 76.60 अंक गिरकर 24,078.30 अंक पर बंद हुआ था।

> अमेरिकी वित्त विभाग के वैश्विक बांड रिटर्न में तेजी को नियंत्रित करने के कदम से बाजार को राहत मिली और घरेलू बाजार में एक सप्ताह से जारी गिरावट पर विराम लगा। इस हस्तक्षेप से डालर की विनिमय दर में गिरावट आई। साथ ही रुपये में मजबूती और बांड रिटर्न में नरमी से उभरते बाजारों में निवेश की आकर्षण क्षमता बढ़ी है।
> –**विनोद नायर**, रिसर्च हेड, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

तीन महीने के उच्चस्तर पर सोना, चांदी में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गुरुवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और यह 4,300 रुपये बढ़कर 1,62,300 प्रति 10 ग्राम के तीन महीने के उच्चस्तर पर पहुंच गया। वहीं कमजोर अमेरिकी डालर के बीच निवेशकों के कीमती धातुओं की ओर रुख करने से चांदी 10 हजार रुपये बढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलो के सात सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। गत तीन जुलाई को भी चांदी इसी स्तर पर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, 'डालर इंडेक्स तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया है जबकि ट्रेजरी बांड रिटर्न में कमी से सोने जैसी संपत्तियों की मांग बढ़ी है।"

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

दूरसंचार, खाद्य सुरक्षा तथा समुद्री क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और सिंगापुर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सिंगापुर में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में व्यापक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
- सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी संबंध प्रगाढ़ किए जाएंगे

निर्मला सीतारमण। फाइल

भारत और सिंगापुर ने गुरुवार को चौथे मंत्रिस्तरीय गोलमेज (आइएसएमआर) के दौरान दूरसंचार एवं प्रसारण, खाद्य सुरक्षा तथा समुद्री क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच दो समझौते (एमओयू) व एक आशय पत्र (एलओआइ) पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि में सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे।

सिंगापुर में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हिस्सा लिया। सिंगापुर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपप्रधानमंत्री एवं व्यापार-उद्योग मंत्री गैन किम योंग ने किया। इसमें समन्वय मंत्री (राष्ट्रीय सुरक्षा) एवं गृह मंत्री के. शनमुगम, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोसेफिन तियो तथा परिवहन मंत्री जेफ्री सियाओ भी शामिल थे।

चौथे आइएसएमआर में उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता समेत छह प्रमुख स्तंभों पर प्रगति की समीक्षा की गई तथा सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भविष्योन्मुखी और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बारे में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर बताया कि आज सिंगापुर में हमारी चर्चाओं में उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, कनेक्टिविटी, डिजिटल, फिनटेक, कौशल विकास, हरित अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में गहरे संबंधों की संभावनाएं तलाशी गईं। इस समकालीन और भविष्योनमुखी साझेदारी को आकार देना वास्तव में एक साझा प्रयास है। जयशंकर ने सिंगापुर के पीएम लारेंस वोंग से भी मुलाकात की और भारत-सिंगापुर संबंधों के विभिन्न आयामों को लेकर प्रगति पर चर्चा की।

सिंगापुर फूड एजेंसी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के बीच एमओयू खाद्य सुरक्षा में तकनीकी सहयोग बढ़ाने तथा कृषि-खाद्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए है। समुद्री विरासत पर सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय एवं युवा मंत्रालय और भारत के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के बीच एमओयू सूचना एवं प्रशिक्षण आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।

दूरसंचार एवं प्रसारण पर आशय पत्र उपभोक्ता संरक्षण और प्रसारण नियमों सहित अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। बैठक के बाद गैन किम योंग ने चर्चाओं को उपयोगी और उत्पादक बताया।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण, कौशल उन्नयन, हवाई कनेक्टिविटी, पे-नाऊ (सिंगापुर की डिजिटल भुगतान प्रणाली) और यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के बीच सहयोग, प्रोजेक्ट नेक्सस, स्टाक एक्सचेंज सहयोग, स्थिरता, अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाओं पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने दोनों देशों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

सामान्य मिठाइयों को 'श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद' बताकर बेचने पर एमेजोन पर जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीसीपीए ने कहा, ई-कामर्स कंपनियां अपने प्लेटफार्म पर चलने वाले भ्रामक दावों से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं
- प्रसाद, महाप्रसाद और इसी तरह के धार्मिक दावों वाले उत्पादों की लिस्टिंग पर सावधानी बरतने की बताई जरूरत

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ)। फाइल

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मंदिरों, धार्मिक संस्थानों के प्रसाद, महाप्रसाद एवं इसी तरह के अन्य धार्मिक दावों वाले उत्पाद बता कर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। सामान्य मिठाइयों को 'श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद' बताकर बेचने के मामले में सीसीपीए ने एमेजोन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही ई-कामर्स प्लेटफार्मों को धार्मिक दावों वाली लिस्टिंग की निगरानी व सत्यापन व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है।

सीसीपीए ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है, जब आनलाइन माध्यम से धार्मिक वस्तुओं, पूजा सामग्री, प्रसाद व मंदिरों से जुड़े उत्पादों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में किसी प्रसिद्ध मंदिर या धार्मिक संस्था का नाम, फोटो या प्रसाद की पहचान का प्रयोग कर उत्पाद को अधिक विश्वसनीय दिखाने की कोशिश उपभोक्ता संग धोखा हो सकती है। यह मामला जनवरी 2024 में सामने आया था। एमेजोन पर रघुपति घी लड्डू, खोया खोबी, घी बूंदी लड्डू और देसी गाय के दूध का पेड़ा जैसे उत्पाद श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचे जा रहे थे। जांच में पता चला कि इन उत्पादों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रसाद के रूप में बेचने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में सामान्य मिठाई को मंदिर का प्रसाद बताना उपभोक्ता को गुमराह करने वाला दावा माना गया। सुनवाई के दौरान एमेजोन ने कहा, वह सिर्फ आनलाइन प्लेटफार्म मुहैया कराता है। उत्पाद की जिम्मेवारी उसकी नहीं होती, पर प्राधिकरण ने प्लेटफार्म को भी जांच के दायरे में रखकर साफ संदेश दिया कि ई-कामर्स कंपनियां भ्रामक दावों से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं। सीसीपीए ने प्रसाद, प्रसादम, भोग आदि की लिस्टिंग पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत बताई। कहा, संस्थान की अनुमति या संबद्धता के बिना ऐसे नामों का व्यावसायिक प्रयोग उपभोक्ता में भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसी शिकायत मिलने पर प्लेटफार्म को विक्रेता की पहचान, उत्पाद का विवरण एवं दावे की सत्यता की जांच करते हुए कार्रवाई करनी होगी।

खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर सौ % शुद्ध लिखना भर ही गुणवत्ता की गारंटी नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एफएसएसएआइ की सख्ती पर छह कंपनियों ने भ्रामक दावे हटाए
- इस तरह के दावों से उपभोक्ताओं के मन में पैदा होता है भ्रम

खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सौ प्रतिशत शुद्ध या प्राकृतिक लिखा देखकर इसे गुणवत्ता की गारंटी नहीं मानना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने ऐसे दावों को भ्रामक मानते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। नियामक की सख्ती के बाद छह कंपनियों ने अपने खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग, लेबल, वेबसाइट और प्रचार सामग्री से 'सौ प्रतिशत' वाले दावे हटा दिए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह के दावों से उपभोक्ताओं के मन में उत्पाद की पूरी शुद्धता, गुणवत्ता या श्रेष्ठता को लेकर भ्रम पैदा होता है। कई मामलों में उपभोक्ता ठगे भी जाते हैं।

उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि भ्रम में डालने वाले लेबल या विज्ञापन की शिकायत फूड सेफ्टी कनेक्ट एप और फोस्कोस पोर्टल पर करें। शिकायत के साथ फूड पैकेटों की तस्वीर, पंजीकरण संख्या व आनलाइन बिक्री संबंधित लिंक भी साझा करें।

दरअसल, खाद्य सुरक्षा कानून में 'सौ प्रतिशत' शब्द को खास गुणवत्ता की आधिकारिक पहचान के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। एफएसएसएआइ ने मई 2025 में भी खाद्य कारोबारियों को लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में ऐसे दावों से बचने की सलाह दी थी।

प्राधिकरण के अनुसार, बोन बिस्कुट्स ने अपने बोन क्यूमिन फ्लेवर जीरा बाइट बिस्कुट के विज्ञापन से ऐसा दावा हटा दिया है। इमामी ने झंडू हनी,एपिस इंडिया ने शहद उत्पादों और एमवे इंडिया ने कोकोनट आयल से 'सौ प्रतिशत' वाले दावे हटा दिए हैं। केरल की जुजा फूड्स ने अपने बेबी फूड उत्पादों (रागी, बनाना पाउडर, स्वीट पोटैटो पाउडर के पैकेटों से) व मास्टरचा फूड्स रेमन नूडल से सौ प्रतिशत वाले दावे को हटा दिया है।

तीन इंच छोटा पिज्जा देने पर कंपनियों पर लगाया जुर्माना

जासं, हरिद्वार: आर्डर किए गए साइज से छोटा पिज्जा डिलीवर करने और रिफंड न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने आनलाइन डिलीवरी प्लेटफार्म पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने उपभोक्ता को पिज्जा की कीमत, डिलीवरी चार्ज, क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के रूप में 10 हजार 520 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

हरिद्वार निवासी राज त्रेहन ने उपभोक्ता संरक्षण आयोग में बंडल टैक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून और कैफे फोस्ट फैक्ट्री,टिहरी के खिलाफ शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि 10 मार्च 2020 को उन्होंने स्वीगी मोबाइल एप से कैफे फोस्ट फैक्ट्री से 505 रुपये मूल्य के दो पिज्जा आर्डर किए थे। एप पर पिज्जा का साइज 10 इंच दर्शाया गया था, पर डिलीवरी पर पिज्जा का आकार केवल सात इंच निकला।

समाधान समारोह दोनों पक्षों को जीत का अहसास कराने का प्रयास : सीजेआइ

- चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- मध्यस्थता से निकालेंगे समाधान
- कहा-एक वादी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी उम्मीद के साथ आता है

सीजेआइ सूर्यकांत। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का समाधान समारोह पहल लंबित मामलों को मध्यस्थता के जरिये इस प्रकार हल करने का प्रयास करता है कि दोनों पक्षों को यह महसूस हो कि उन्होंने जीत हासिल की है। कहा,उद्देश्य मध्यस्थता से हल किए जा सकने वाले मामलों का निपटारा करना है। विश्वास है कि इस पहल से कई मामलों का हल होगा।

आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में सीजेआइ सूर्यकांत ने कहा, न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान वादियों को काफी तनाव का सामना करना पड़ता है। यह पहल उन्हें आपसी सहमति से समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है। आवेदक न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान भारी तनाव का सामना करते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर है कि दोनों पक्ष अदालत से यह महसूस करके जाएं कि वे दोनों जीत गए हैं। कहा, एक वादी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी उम्मीद के साथ आता है। ज्ञात हो, समाधान समारोह 21 अप्रैल को शुरू हुआ और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत में समाप्त होगा। इस पहल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की समिति गठित की गई है, जिसने राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर उन मामलों की पहचान की जिन्हें मध्यस्थता से हल किया जा सकता है।

मध्यस्थता के समाधान अधिक स्थायी व संतोषजनक : नरसिम्हा

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, कोर्ट के फैसले की तुलना में विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता अधिक स्थायी और संतोषजनक समाधान देती है। मध्यस्थता को न्यायिक प्रणाली का स्थायी हिस्सा बनाना आवश्यक है। उन्होंने पेशेवर रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी की ओर भी इशारा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर स्थायी संस्थागत विभाग की आवश्यकता है।

मुंबई में आठ से 11 सितंबर में होने वाले फिनटेक का उद्घाटन करेंगे पीएम

राज्य ब्यूरो, जागरण•मुंबई: देश में डिजिटल भुगतान व वित्तीय प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच दुनियाभर के फिनटेक विशेषज्ञों का सबसे बड़ा जमावड़ा मुंबई में होने जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ), 2026 का आयोजन आठ से 11 सितंबर तक जियो वर्ल्ड सेंटर और ट्राइडेंट मुंबई में किया जाएगा। पीएम नरेन्द्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वह लगातार तीसरे वर्ष इस वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल आफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, केंद्रीय बैंकर, नियामक, वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।

संपादकीय

..आता असह्य झाले !

आता खूप झाले! काही बोलण्याचेही त्राण उरू नये, अशी वेळ येऊन ठेपली आहे. समाज म्हणून आपल्यालाच आपली लाज वाटावी, अशा भयंकराच्या दारात आपण उभे आहोत. आईबाप घराबाहेर असताना चौथीतल्या मुलीवर बलात्कार केला जातो. हा बलात्कार करून नराधम तिचा क्रूरपणे खून करतो. ही घटना आहे पुणे जिल्ह्यातल्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडीतली. दिवसाढवळ्या शेजारी राहणारा तरुणच इतक्या पाशवी पद्धतीने हिंसा करतो, हे किती भयंकर आहे! चौथीतली एक चिमुकली. तिच्या हातात पुस्तक असावे. वही असावी. उद्याच्या शाळेची तयारी असावी. तिच्या डोळ्यांत उद्याची स्वप्ने असावीत. ती स्वप्नं पुरली जातात. अवघ्या महाराष्ट्रासाठी हे लांच्छनास्पद आहे. मे महिन्यातच नसरापूरमधील साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर ६५ वर्षांच्या विकृत माणसाने बलात्कार करून हत्या केल्याचे प्रकरण ताजे असताना पुन्हा अशा प्रकारची घटना घडणे अतिशय चिंताजनक आहे आणि समाज म्हणून असणारी आपली सामूहिक लायकी अधोरेखित करणारे आहे. 'नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो'च्या आकडेवारीनुसार २०२४ या एका वर्षात स्त्रियांच्या विरोधात केल्या गेलेल्या (आणि नोंदवले गेलेल्या) गुन्ह्यांची संख्या आहे चार लाख ४१ हजार. यापैकी २९ हजार ५३६ गुन्हे तर थेट बलात्काराचे आहेत. दर १८ मिनिटांनी एका बलात्काराची नोंद होते. हे गुन्हेही नोंदवले गेलेले. अनेकदा सामाजिक दडपणामुळे असे गुन्हे नोंदवलेच जात नाहीत. त्या गुन्ह्यांची संख्या वेगळी. याच अहवालानुसार, स्त्रियांच्या विरोधी होणाऱ्या हिंसेत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई ते राजमाता जिजाऊंचा दररोज जयघोष करणाऱ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली जावी, अशी ही स्थिती. छत्रपती शिवरायांच्या राज्यात रांझ्याच्या नराधमाचा राजांनी चौरंग केला होता. तिथेच एक विकृत मोकाट सुटतो. एका चिमुरडीला संपवतो. मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली गेली, पण फासावर चढण्यापूर्वी तो नैसर्गिक मरणाने जाण्याची शक्यताच अधिक. आता तर छत्रपतींच्या जन्मभूमीत हे घडावे! कुठे चालला आहे महाराष्ट्र? 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'चा नारा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत दिला जात असताना बेटी ना घरात सुरक्षित आहे, ना बाहेर. प्रत्येक वेळी घटना घडली की राजकीय नेते संताप व्यक्त करतात. पोलिस तपासाचे आश्वासन देतात. सरकार कठोर कारवाईची भाषा करते. फास्टट्रॅक कोर्टाचा उल्लेख होतो. नागरिक रस्त्यावर उतरतात. सोशल मीडियावर संतापाचा पूर येतो. आणि, काही दिवसांनी सगळे शांत होते, पुढची बातमी येईपर्यंत. बलात्कारी मंत्र्यांनाच संरक्षण दिले जाते, तेव्हा या देशात दुसरे काय होणार! बलात्काऱ्यांचा हारतुरे घालून सत्कार होतो, तिथं आणखी काय होणार! उन्नाव असो की हाथरस, कठुआ असो की बदलापूर सर्वत्र विकृत नराधमांनी नंगानाच सुरू केलेला असताना या देशात मुली कुठं सुरक्षित असणार! मणिपूरच्या रस्त्यांवर स्त्रियांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार करून त्याचे व्हिडिओ व्हायरल केले जातात, त्या देशात 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' वगैरे वल्गना म्हणजे आपल्या समाजाच्या आणि व्यवस्थेच्या दांभिकपणाचा कळस. मुळात लैंगिक शिक्षण द्यायचे नाही. लैंगिकतेबाबत खुलेपणाने संवाद करायचा नाही आणि त्याच वेळी मोबाइलच्या माध्यमातून एका क्लिकवर दिसणारे पॉर्नचे साम्राज्य. आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या तेजस्विनी एकीकडे आणि त्याचवेळी स्त्रीचे वस्तूकरण करणारी भयंकर मानसिकता खोल रुतून बसलेली. अशा अवस्थेत लैंगिक हिंसेचे प्रमाण वाढणार नाही तर काय होणार! या रोगट पुरुषसत्ताक विकृत मानसिकतेचे काय करायचे, हा खरा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सामाजिक मानसिकतेचा जेवढा आहे, तेवढाच तो कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आहे. सर्वसामान्यांना सुरक्षित वाटेल, असे वातावरण निर्माण करण्यात व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांना बीमारू राज्ये म्हणवून हिणवले जायचे. तिथे 'जंगलराज' आहे, असा शब्दप्रयोग सातत्याने केला जात असे. त्याच वाटेवर आपण चाललो आहोत का, असा प्रश्न पडावा, अशा घटना वारंवार घडताना दिसत आहेत. नाशिकमधल्या खरातचे प्रकरण आणि अलीकडेच नागपूरमधील दिघोरीचे प्रकरण लक्षात घेता, हा शिव-शाहू-फुलेंचा पुरोगामी महाराष्ट्र कुठे चालला आहे, याची सर्वसामान्यांनाही चिंता वाटू लागली आहे. कायद्याची राजरोस पायमल्ली होत असताना 'बेटी बचाओ'ची आर्त हाक या कोलाहलात कशी ऐकू यावी?

दिल्ली दूर नाही; पण राज्य सोडायची घाई नाही!

दिल्लीचा पतंग, महाराष्ट्राचा मांजा आणि फडणवीसांची खुर्ची हा खेळ सतत चालूच राहील... पण सध्या महाराष्ट्रात फडणवीस यांना पर्याय नाही!

यदु जोशी
राजकीय संपादक, लोकमत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रात मंत्री होणार, अशी बातमी अधूनमधून येत असते. गेल्या काही महिन्यांत या बातमीने बरेचदा उड्डाण घेतले आणि अफवेचे विमान दरवेळी आपटले. प्रत्येक वेळी अशा चर्चेच्या पतंगाला राजकीय वाऱ्याची झुळूक मिळते. काही तासांत तो आकाशात दिसू लागतो, पण काही मिनिटांतच कटतो. यावेळीही तेच झाले. फडणवीस दिल्लीला गेले आणि लगेच 'केंद्रात जाणार' या पुंगीचा आवाज वाढला. त्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळातील बदलांची चर्चा, दिल्लीतल्या भेटीगाठी आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हालचाली यांची भर पडली. मात्र, फडणवीसांनीच या चर्चांना उत्तर देताना आपण महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. खरंतर प्रश्न फडणवीस दिल्लीला जातील का, एवढाच नाही; त्यांच्या नावाभोवती दिल्लीचे वलय वारंवार का तयार होते, हा आहे.

अफवा जन्म का घेतात?

याचे पहिले कारण अगदी साधे आहे. फडणवीस हे महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहिलेले भाजपचे नेते नाहीत. राष्ट्रीय नेतृत्वाशी त्यांचे थेट आणि दीर्घकाळाचे संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची नियमित राजकीय चर्चा होते. मे मध्येही त्यांनी दिल्लीत मोदींची भेट घेतली होती. त्यामुळे ते दिल्लीला गेले की, मुख्यमंत्री म्हणून एखाद्या राज्याच्या प्रश्नासाठी ते गेले आहेत की, राष्ट्रीय राजकारणातील पुढच्या भूमिकेसाठी, असा प्रश्न विचारला जाणे साहजिक. दुसरे म्हणजे त्यांची स्वतःची राजकीय क्षमता, प्रशासकीय अनुभव, संघटनात्मक कामाचा अनुभव, संसदीय राजकारणाची जाण आणि भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी जवळीक या सगळ्यांचा मिलाफ फार कमी नेत्यांमध्ये दिसतो. त्यामुळे त्यांना केंद्रात एखादी महत्त्वाची जबाबदारी देणे ही केवळ अफवा वाटावी इतकी अशक्य कल्पना नाही. आणि म्हणूनच अफवा पुन्हा पुन्हा जन्म घेतात.

याच नाण्याची दुसरी बाजू अधिक महत्त्वाची आहे. फडणवीस दिल्लीला गेले तर महाराष्ट्रात त्यांच्या जागी कोण, हा प्रश्न भाजपसाठी सहज उत्तर देण्यासारखा नाही. महाराष्ट्र हे भाजपसाठी देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या राजकीय राज्यांपैकी एक. येथे पक्षाला सत्ता टिकवायची आहे, महायुतीतील घटकांशी समन्वय साधायचा आहे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून पुढील लोकसभा, विधानसभा राजकारणापर्यंत अनेक आघाड्या सांभाळायच्या आहेत.

अशावेळी सरकार आणि पक्ष या दोन्हींच्या राजकारणाची दिशा समजणारा, दिल्लीशी संवाद साधू शकणारा आणि महाराष्ट्रातील विरोधकांना थेट भिडू शकणारा नेता भाजपला हवा आहे.

फडणवीसांची खरी ताकद इथेच आहे. ते फक्त मुख्यमंत्री नाहीत; महाराष्ट्रातील भाजपच्या राजकीय कथानकाचे प्रमुख लेखक आहेत.

ते अपरिहार्य का आहेत?

२०१४ पासून २०२४ नंतरच्या महायुतीपर्यंतच्या सगळ्या टप्प्यांत फडणवीस कुठे ना कुठे केंद्रस्थानी राहिले. म्हणूनच 'फडणवीसांना हटवायचे' ही गोष्ट कागदावर सोपी असली, तरी प्रत्यक्ष राजकारणात त्याचे परिणाम वेगळे असू शकतात. ते दिल्लीत जावेत, असे त्यांच्या पक्षातील काहींना तर विरोधकांमधील अनेकांना वाटते. फडणवीस महाराष्ट्रात असतील तर विरोधकांना रोजच्या राजकारणात त्यांच्याशी दोन हात करावे लागतात. ते दिल्लीला गेले तर महाराष्ट्रातील सत्तेच्या समीकरणात पोकळी निर्माण होईल, नेतृत्व बदलाची चर्चा सुरू होईल आणि भाजपच्या अंतर्गत स्पर्धेलाही वाव मिळेल. म्हणूनच विरोधकांकडून या चर्चेला अधूनमधून खतपाणी मिळते. भाजपमधील काही नेत्यांना वाटते की, ते तिकडे गेले की इकडे आपल्याला संधी मिळेल.

फडणवीसांच्या बाबतीत आणखी एक गोष्ट आहे, त्यांची राष्ट्रीय क्षमता आणि महाराष्ट्रातील अपरिहार्यता यांचा त्यांच्यातील संगम. ज्या नेत्याला दिल्ली सहज स्वीकारू शकते, त्याच नेत्याला महाराष्ट्र सहज सोडायला तयार नाही आणि ज्या नेत्याची दिल्लीला भविष्यात गरज भासू शकते, त्याला महाराष्ट्रात आजची राजकीय गरज अधिक मोठी आहे. यालाच कदाचित राजकारणातील 'अपरिहार्यता' म्हणतात. त्यामुळेच त्यांना दिल्लीला पाठवण्यासाठी उडवलेला पतंग कटत राहतो. जिथे जाण्याची क्षमता असते, तिथे जाण्याच्या वावड्या जास्त उठतात, फडणवीसांबाबत हेच घडत आहे.

महाराष्ट्र सोडण्याची घाई नाही

राजकारणात कोणताही नेता पर्यायापलीकडे नसतो, पण काही नेत्यांना बदलण्याची राजकीय किंमत खूप मोठी असते. फडणवीसांच्या बाबतीत आज तरी ही किंमत मोजण्याची भाजपची तयारी दिसत नाही.

महाराष्ट्रात आज कोण महायुतीचे घटक सांभाळतो, कोण दिल्ली आणि मुंबई यांच्यातील राजकीय दुवा राहतो, कोण विरोधकांची भाषा समजतो आणि कोण आपल्या पक्षातील विविध प्रवाहांना एका छताखाली ठेवतो हे महत्त्वाचे आहे. हे सगळे फडणवीसच करू शकतात आणि ते त्यांना जमते, म्हणूनच त्यांना दिल्लीची संधी मिळू शकते, ही कल्पना राजकीयदृष्ट्या अनाठायी नाही. पण आजच्या महाराष्ट्रात त्यांना दिल्लीला पाठवणे भाजपसाठी आवश्यक आहे का, याचे उत्तर आज तरी 'नाही' असेच आहे. सध्या भाजपला फडणवीसांची गरज दिल्लीपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक आहे. 'दिल्ली दूर नाही; पण महाराष्ट्र सोडण्याची कोणतीही घाई नाही', अशा टप्प्यावर फडणवीस आज उभे आहेत.

yadu.joshi@lokmat.com

कामगारनामा

वर्क फ्रॉम कॅफे - कॉफी, कनेक्टिव्हिटी आणि करिअर

तरुणाईसाठी शहरातील कॅफे आता काम, अभ्यास, संवाद आणि नेटवर्किंगच्या नव्या जागा ठरत आहेत. पण सध्या तिथे सर्वांना समान संधी नाही.

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत
स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक

एका टेबलावर लॅपटॉप, कानात हेडफोन, बाजूला कॉफीचा कप आणि समोर उघडलेले ई-मेलचे इनबॉक्स, महानगरातील कॅफेंचे हे नवे चित्र आता अनोळखी राहिलेले नाही. कुठे ऑनलाइन मीटिंग सुरू आहे, कुठे असाइनमेंट पूर्ण करण्याची लगबग, तर कुठे फ्रीलान्सिंगचे काम सुरू आहे. कॉफी, कनेक्टिव्हिटी आणि करिअर यांचा हा नवा संगम कॅफेला 'वर्कप्लेस' बनवत आहेत. विशेषतः जेन झी आणि तरुणाईसाठी शहरातील कॅफे आता काम, अभ्यास, संवाद, नेटवर्किंग आणि सर्जनशीलतेच्या नव्या जागा ठरत आहेत. ही तरुण मंडळी तासन्तास कॅफेत बसून ऑनलाइन बैठका घेतात, ई-मेलला उत्तरे देतात, प्रोजेक्ट पूर्ण करतात आणि ग्राहकांशी संवाद साधतात.

युरोपमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर कामाची रचना मोठ्या प्रमाणावर कारखाना, कार्यालय आणि संस्थात्मक शिस्तीभोवती उभी राहिली होती. कामगाराने ठरावीक ठिकाणी, ठरावीक वेळेत आणि ठरावीक भूमिकेत काम करणे हीच रूढ कार्यपद्धती होती. समाजशास्त्रज्ञ मॅक्स वेबर यांनी तत्कालीन नोकरशाही आणि कार्य संस्कृतीतील नियम, कार्यक्षमता आणि औपचारिकतेच्या अतिरेकामुळे व्यक्ती एका कठोर आणि अमानवीय व्यवस्थेत कशी अडकू शकते, याचे विश्लेषण केले.

या व्यवस्थेचे वर्णन करताना वेबरने 'पोलादी पिंजरा' ही संकल्पना वापरली. आजही सामान्यपणे 'कामाचे ठिकाण' म्हणजे ऑफिसमधील ठरावीक डेस्क, खाजगी कंपनीतील खुराड्यांसारखी विभागणी, ठरावीक कामाचे तास आणि औपचारिक वातावरण अशी एक ठरलेली चौकट पाहायला मिळते. मात्र, गेल्या दशकात आणि विशेषतः कोरोनानंतरच्या काळात श्रम आणि कार्यसंस्कृती या दोन्ही पातळ्यांवर मोठे बदल घडले आहेत. 'वर्क फ्रॉम कॅफे' संस्कृती हे या बदलाचे मोठे उदाहरण आहे.

पाश्चिमात्य देशांमध्ये 'कॅफे' हे घर आणि औपचारिक कार्यालयाच्या मधील 'थर्ड प्लेस' म्हणून विकसित झाले आहेत. म्हणजे घर हे 'पहिले ठिकाण' आणि कार्यालय किंवा कामाचे स्थळ हे 'दुसरे ठिकाण', तर कॅफे हे तिसरे म्हणजे 'थर्ड प्लेस'. व्यक्तीला घर आणि कामाच्या औपचारिक चौकटीच्या बाहेर भेटण्याची, संवाद साधण्याची आणि काही काळ स्वतःसाठी घालवण्याची ही 'तिसरी जागा' होय. मूळात कॉफी हाऊसेसची सुरुवात मध्यपूर्वेत झाली आणि 'थर्ड प्लेस'

म्हणून त्यांचा सुवर्णकाळ १७व्या शतकातील इंग्लंडमध्ये आला. युरोपमध्ये हे कॉफी हाऊसेस राजकीय चर्चांसाठी, अभिव्यक्ती आणि वादविवादांसाठी लोकप्रिय ठिकाणे बनली होती. युरोप आणि अमेरिकेतील कॅफे हाऊस संस्कृती आपल्या महानगरांमध्येही रुजली असून आता त्यांचा 'वर्क फ्रॉम कॅफे' हा पुढील अध्याय सुरू झाला आहे. वाय-फाय, चार्जिंग पॉइंट्स, आरामदायी आसनव्यवस्था, तुलनेने शांत वातावरण आणि दीर्घकाळ बसता येईल अशी रचना यामुळे कॅफे हे कॉफी पिण्याच्या ठिकाणापेक्षा अधिक काही बनू लागले. अनेकांसाठी ते एक महत्त्वाचे वर्कप्लेस बनले आहे.

'वर्क फ्रॉम कॅफे'चा वर्गीय पैलूही महत्त्वाचा आहे. महानगरांतील 'कॅफे वर्कस्पेस' ही संकल्पना आकर्षक वाटत असली, तरी ती सर्वांसाठी समान प्रमाणात उपलब्ध नाही. कॅफेत बसून काम करण्यासाठी महागडी कॉफी किंवा खाद्यपदार्थ खरेदी करणे आवश्यक असते. म्हणजेच, या नव्या कार्यस्थळाची उपलब्धता थेट क्रयशक्तीशी जोडलेली आहे. त्यामुळे 'कॅफे स्पेस' ही केवळ आधुनिक कार्यसंस्कृतीची जागा न राहता, प्रामुख्याने उच्च-मध्यमवर्गीय जीवनशैलीशी निगडितआहे. कॅफे हा केवळ कॉफी घेण्याचा किंवा मित्रांसोबत भेटण्याचा अवकाश न राहता, काम, नेटवर्किंग, ऑनलाइन मीटिंग, व्यावसायिक चर्चा आणि वैयक्तिक वेळ यांचा एकत्रित अनुभव देणारा 'हायब्रिड स्पेस' बनला आहे.

अलीकडे कॅफेप्रमाणेच महानगरांमध्ये को-वर्किंग स्पेस, विमानतळ, हॉटेलची लॉबी, सार्वजनिक ग्रंथालये किंवा प्रवासादरम्यानची काही ठिकाणेही आता नवीन वर्कस्पेस म्हणून झपाट्याने विकसित होत आहेत. तंत्रज्ञानाने कामाला अधिक गतिमान आणि लवचिक केले असले, तरी त्याचवेळी काम आणि वैयक्तिक आयुष्य, उत्पादकता आणि विश्रांती, तसेच एकांत आणि सामाजिक संवाद यांच्यातील सीमारेषाही बदलत आहेत. या बदलत्या कार्यसंस्कृतीचे बारकाईने निरीक्षण करत राहावे लागेल.

rajpukdr@gmail.com

जगभर

गटारात सापडला कोट्यवधींचा खजिना!

बेल्जियममधील सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे शहर. या शहरात एका गटारीच्या पाइपलाइनचं काम सुरू होतं. याच ठिकाणी १८ वर्षांचा एक विद्यार्थी मजुरीचं काम करत होता. उन्हाळ्याची सुट्टी असल्यामुळे कॉलेजला सुट्टी होती आणि शिक्षणासाठी त्याला पैशांचीही गरज होती. योगायोगानं त्याला इथे पाइपलाइन टाकण्याचं काम मिळालं आणि इतर मजुरांबरोबर तो इथे कामाला जायला लागला.

जुन्या बिअर कारखान्याजवळ नाला खोदण्याचं काम त्याला देण्यात आलं होतं. नेहमीप्रमाणे तो कुदळ मारत होता आणि अचानक त्याची कुदळ एका धातूवर आपटली. कशाचा आवाज आला म्हणून त्यानं तिथली माती बाजूला केली आणखी थोडं तिथे खोदलं तर त्याच्या आश्चर्याला पारावार उरला नाही. कारण तिथे प्रचंड मोठा खजिना होता. सोन्याची नाणी, सोन्याच्या विटा, सोन्याच्या चकाकत्या पट्ट्या आणि सोन्याच्या लगडीही तिथे होत्या.. काही वेळातच हा साधा शोध नसून ऐतिहासिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड मोठा खजिना असल्याचं स्पष्ट झालं.

या खजिन्याची एकूण किंमत जवळपास ९ दशलक्ष युरो म्हणजे भारतीय चलनात तब्बल ८० ते ८५ कोटी रुपये आहे. इतिहासकार आणि तज्ज्ञांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार हा खजिना १९व्या शतकातील असू शकतो. त्याचा संबंध त्या काळातील प्रसिद्ध बिअर कारखान्याचे मालक थियोफिलस व्हॅन एशे यांच्याशी असल्याचं मानलं जातं. त्या काळात राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात होती. त्यामुळे व्हॅन एशे यांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई सुरक्षित ठेवण्यासाठी ती तळघराच्या भिंतीत लपवून ठेवली असावी, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

अनेक दशकं हा खजिना भिंतीच्या मागे आणि जमिनीखाली दडलेला राहिला. काळाच्या ओघात त्या ठिकाणी अनेक बदल झाले, मात्र सोन्याचा हा साठा

कुणाच्याही नजरेस पडला नाही.

खजिना सापडल्याची बातमी परिसरात पसरताच लगेच लोकांनी तिथे प्रचंड गर्दी केली. अनेक जण स्वतःची कुदळ, फावडी घेऊन आले आणि त्यांनी त्या गटारात सोन्याचा शोध सुरू केला. थोड्याच वेळात परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि खोदकामासाठी लोकांच्या मारामाऱ्या सुरू झाल्या. पोलिसांना मोठी कुमक मागवून ही गर्दी नियंत्रणात आणावी लागली. सुरक्षेच्या कारणास्तव संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आणि सापडलेला खजिना सुरक्षित सरकारी तिजोरीत हलवण्यात आला.

आता या खजिन्याच्या मालकीचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. बेल्जियमच्या कायद्यानुसार ऐतिहासिक खजिना सापडल्यानंतर त्याच्या मूळ मालकांचा किंवा त्यांच्या वारसांचा शोध घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाते. संबंधित मालक किंवा त्यांचे वंशज या संपत्तीवर आपला हक्क सिद्ध करण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत दावा करू शकतात.

या काळात कोणताही वैध वारस समोर आला नाही, तर लागू असलेल्या संपत्तीच्या कायद्यानुसार खजिन्याचं वाटप होण्याची शक्यता आहे. त्यात जमीनमालक आणि हा ऐतिहासिक ठेवा शोधून काढणाऱ्या कामगारांचा समावेश असू शकतो. एका साध्या खोदकामातून कोट्यवधी रुपयांचा खजिना समोर आला. विशेष म्हणजे, हा खजिना केवळ सोन्याच्या किमतीमुळे महत्त्वाचा नाही, तर त्यामागे दडलेल्या १९व्या शतकातील इतिहासामुळेही तो संशोधकांसाठी अत्यंत मौल्यवान ठरला आहे. एका तरुण कामगाराच्या सतर्कतेमुळे शेकडो वर्षं जुनं रहस्य जगासमोर आलं आणि बेल्जियमच्या इतिहासात या अनपेक्षित शोधाची नोंद झाली.

जनमन

हेतू चांगला, परिणामांचाही विचार व्हावा

खतविक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएस) ही प्रणाली सुरू केली आहे. यासाठी प्रत्येक शेतकरी, ज्यांना रासायनिक खत आपल्या शेतीसाठी वापरायचे आहे त्यांनी या ॲपवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांचे सातबाऱ्यावर जेवढे क्षेत्र आहे तेवढ्याच क्षेत्रावर विद्यापीठाच्या शिफारशीप्रमाणे त्याला इथून पुढे खत घ्यावे लागणार आहे. कारण ही प्रणाली फार्मर आयडीला जोडलेली आहे. केंद्र सरकारने ही प्रणाली खताचा काळाबाजार, साठेबाजी, लिकिंग याला आळा घालण्यासाठी सुरू केली आहे. पण यातील वास्तव काय आहे?

ही प्रणाली शेतकरी, कृषी विक्रेते यांच्यासाठी खरंच सुलभ, व्यवहार्य आहे का, हेही पाहिले पाहिजे. या प्रणालीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे स्मार्ट फोन असणे गरजेचे आहे. तो हाताळता येणे गरजेचे आहे. हे ॲप डाऊनलोड करून, माहिती भरून, खत बुकिंग करून तीन दिवसात ती खरेदी करणे गरजेचे आहे. या प्रणालीअंतर्गत शेतकरी पूर्वीप्रमाणे अतिरिक्त खते घेऊ शकणार नाहीत. मुख्य पिकाव्यतिरिक्त काही शेतकऱ्यांकडे पशुधन असते. त्यासाठी त्याला मका, कडवळ, हत्तीघास ही चारा पिके जनावरांसाठी घ्यावी लागतात. त्यासाठी युरिया व इतर अतिरिक्त खते लागतात. ती त्याला या मर्यादांमुळे मिळणार नाहीत. ऊस, आले, हळद, फळपिके या नगदी पिकांच्या उत्पन्नासाठी शेतकऱ्यांना जादाचे खत वापरावे लागते. ते त्यांना मिळू शकणार नाही, परिणामी उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे.

- अजय भुजबळ, सातारा

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

आंदोलनांचे अंतरंग

वंदे मातरम्!.. होय, ती जनता अमर आहे!..

'वंदे मातरम्' या शब्दांनी स्वातंत्र्यलढ्यात निर्माण केलेली चेतना आणि या घोषणेचे राष्ट्रीय आंदोलनातील योगदान आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे.

डॉ. नीलम गोऱ्हे
माजी उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात काही शब्द, गीते आणि घोषणा अशा आहेत, ज्यांनी केवळ त्या काळातील आंदोलनांना स्वर दिला नाही, तर अनेक पिढ्यांच्या हृदयात राष्ट्रप्रेमाची ज्योतही प्रज्वलित केली. 'वंदे मातरम्' हे त्यापैकीच एक गीत. स्वातंत्र्य आंदोलनाचा आत्मा आणि हृदयाचा हुंकार असे त्याचे वर्णन करता येईल. 'वंदे मातरम्'च्या दीडशेव्या वर्षानिमित्त केंद्र सरकारने या गीताच्या ऐतिहासिक योगदानावर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. लाल किल्ल्यावरून 'वंदे मातरम्'चे संपूर्ण गायन होणे, हा केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा भाग नसून स्वातंत्र्यलढ्यातील त्याच्या योगदानाचे स्मरण आणि त्या संघर्षाला अभिवादन करणारा ऐतिहासिक क्षण आहे.

'वंदे मातरम्' या शब्दांनी स्वातंत्र्यलढ्यात निर्माण केलेली चेतना आणि या घोषणेचे राष्ट्रीय आंदोलनातील योगदान आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या भारतीय जनतेला या घोषणेने ऊर्जा, धैर्य आणि एकात्मतेची भावना दिली. भारतामध्ये माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची 'जय जवान, जय किसान' ही घोषणा त्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाशी आणि कार्याशी जोडली गेली. त्याचप्रमाणे 'जय महाराष्ट्र' ही घोषणा केवळ राज्याच्या अस्मितेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मराठी भाषा, संस्कृती, महाराष्ट्राचा विकास आणि मराठी माणसाचा स्वाभिमान यांच्याशी ती जोडली गेली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या

सामाजिक परिवर्तनाच्या आंदोलनातील 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' हा संदेश आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे.

राष्ट्रगीत किंवा 'वंदे मातरम्'चे सूर कानावर पडले की मनात सहजपणे अभिमानाची भावना जागृत होते. एखाद्या शाळेजवळून जाताना राष्ट्रगीत ऐकू आले, तर क्षणभर थांबावे आणि आदराने उभे राहावे, अशी भावना अनेकांच्या मनात निर्माण होते. आज 'वंदे मातरम्'च्या निमित्ताने पुन्हा सभा, कार्यक्रम आणि चर्चा होत आहेत. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, केवळ दुसऱ्याला 'वंदे मातरम् म्हणून दाखवा' असे आव्हान देणे किंवा पाठांतराची परीक्षा घेणे, एवढ्यापुरते त्याचे महत्त्व मर्यादित करता कामा नये. 'वंदे मातरम्'चा इतिहास, त्यामागील भावना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण मनात रुजणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

कवी विंदा करंदीकर यांच्या शब्दांची आठवण येथे प्रकर्षाने होते, 'ती जनता अमर आहे!' 'वंदे मातरम्' प्रभावी बनले, ते जनतेमुळेच. स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या असंख्य ज्ञात-अज्ञात नागरिकांनी या गीताला आपल्या संघर्षाचा स्वर बनवला. पुढील कडव्यांतील प्रतिमांविषयी किंवा आशयाविषयी कोणाचे मतभेद असू शकतात. परंतु ज्या जनतेने या गीताला स्वातंत्र्यलढ्याची प्रेरणा आणि अमरत्व दिले, त्या जनतेच्या योगदानाचा विसर पडता कामा नये. आपल्या इतिहासाशी प्रामाणिक नाते जपताना त्या संघर्षाचा, त्यागाचा आणि लोकशक्तीचा सन्मान करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. म्हणूनच आपण मनापासून म्हणूया...

वंदे मातरम्! होय, ती जनता अमर आहे!

neeilamgorhe@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन

पाक को उसी की भाषा में जवाब

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रम यह संकेत जरूर दे रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान की हर कार्रवाई का जवाब पहले की तरह केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित रखने के मूड में नहीं है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर तय सीमा से बाहर बने ढांचों को बुलडोजर से हटाया जाना इसी बदले हुए रुख का संकेत है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई उस घटना के दो दिन बाद हुई, जब इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। ऐसे में दोनों घटनाओं को अलग-अलग करके देखना मुश्किल है। इससे भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत ने हालांकि पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत या उसके मुख्य प्रवेश द्वार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कार्रवाई बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन के लिए बनाए गए उन ढांचों तक सीमित रही, जिन्हें अधिकारियों के अनुसार निर्धारित सीमा से बाहर बनाया गया था। यही अंतर महत्वपूर्ण है। भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कार्रवाई किसी राजनयिक मिशन के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि नियमों की अनदेखी का जवाब भारत अब केवल बयान देकर नहीं देगा। यदि इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े ढांचे हटाए जाते हैं तो नई दिल्ली भी अपने अधिकार क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। इसे बदले की कार्रवाई कहने के बजाय बराबरी के व्यवहार का संदेश कहना ज्यादा उचित होगा। भारत-पाकिस्तान संबंधों में यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी पहले से गहरी है। सीमा पार आतंकवाद, कश्मीर और राजनयिक स्तर पर लगातार होने वाली बयानबाजी ने रिश्तों को संवेदनशील बना रखा है। इसी बीच कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की टिप्पणी ने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी है। श्रीनगर दौरे के दौरान कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने और अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा की संभावना ने इस्लामाबाद को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रतिनिधि को तलब कर आपत्ति जताई। यह घटनाक्रम भी बताता है कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए अभी भी विदेश नीति का केंद्रीय विषय बना हुआ है, जबकि भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान की किसी कार्रवाई का जवाब देना जरूरी हो सकता है, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए, जिससे भारत की जिम्मेदार और परिपक्व शक्ति की छवि मजबूत दिखाई दे। हाई कमीशन और एंबेसी के अंतर की बात भी इसी संदर्भ में समझना जरूरी है। कॉमनवेल्थ देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक मिशन को सामान्यतः हाई कमीशन कहा जाता है, जबकि अन्य देशों में उसे एंबेसी कहा जाता है। दोनों का मूल काम राजनयिक संबंधों को संचालित करना ही है। इसलिए नाम अलग होने के बावजूद उनकी गरिमा और सुरक्षा का महत्व समान है। भारत का रुख स्पष्ट होना चाहिए। राजनयिक संबंध अपनी जगह हैं और देश के कानून अपनी जगह। पाकिस्तान हो या कोई दूसरा देश, तय नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। दिल्ली का बुलडोजर पाकिस्तान को यही संदेश देता है कि भारत अब एकतरफा दबाव या नियमों की अनदेखी को चुपचाप स्वीकार करने वाला नहीं है।

मुद्दा
प्रमोद भार्गव

कश्मीर पर अमेरिका का बदलता रुख

लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की स्थिति भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विवाद के रूप में देखी जाती रही है। जिसे अकसर 'भारतीय प्रशासन वाले कश्मीर' जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक का यह दो टूक बयान कश्मीर की धरती पर देना इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर कश्मीर को लेकर भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से पाकिस्तान को तो झटका लगा ही है, चीन भी सकते में है। आतंकी बिना किसी शोर-शराबे के मुस्लिम आबादी के बीच घुसपैठ करके हिंदुओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा को परिणाम में बदलने में सफल हो जाते हैं। ऐसे हमलों में निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने पहले जम्मू-कश्मीर दौरे में यहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कश्मीर को भारत का अभिन्न और अहम् भू-भाग बताया और सुरक्षा के लिहाज से सराहना की। अमेरिकी राजदूत का यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर चौंकाने वाला होने के साथ अमेरिका और भारत के संबंधों में बदलाव का उल्लेखनीय संकेत है। लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की स्थिति भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विवाद के रूप में देखी जाती रही है। जिसे अकसर 'भारतीय प्रशासन वाले कश्मीर' जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक का यह दो टूक बयान कश्मीर की धरती पर देना इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर कश्मीर को लेकर भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से पाकिस्तान को तो झटका लगा ही है, चीन भी सकते में है।

याद रहे कि अमेरिका ने वर्ष 2018 से ही जम्मू-कश्मीर के तात्कालिक पूर्वी लद्दाख और लेह को छोड़कर अपने नागरिकों को यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी हुई है। इस नसीहत को चौथी श्रेणी में रखा हुआ है। गोर ने फिलहाल इस यात्रा चेतावनी को कम करने का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि इस बिंदु पर अमेरिका यात्रा में छूट दे सकता है? हालांकि उस समय धारा-370 बहाल थी और घाटी में आतंकी संकट की छाया छाई रहती थी। अगस्त 2019 में धारा-370 और 35-ए को भारत सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते विलोपित कर दिया, उसी के बाद से कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालातों में निरंतर सुधार हो रहे हैं और पत्थरबाजी व अन्य आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उक्त चेतावनी की फिर से पुष्टि करते हुए नई एडवाइजरी जारी कर दी थी, जो अभी भी लागू है। चूंकि गोर दक्षिण एशिया व मध्य एशियाई मामलों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी कश्मीर यात्रा और दो टूक बयान की अपनी अलग अहमियत है। खासतौर पर तब, जब पाकिस्तान के संबंध भी अमेरिका के साथ फिलहाल मधुर बने हुए हैं और अमेरिका ईरान से लड़े जा रहे युद्ध में पाकिस्तान को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान से उमर अब्दुल्ला को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वे कुछ दिनों से धारा-370 की पुनर्बहाली की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान धर्म की घुट्टी पिलाकर 35 साल से भारत पर आतंकी हमले करता रहा है, जबकि उसे सबसे मुकम्मल उत्तर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था। लेकिन वह बाज नहीं आ रहा है। कुत्ते की पूंछ की तरह पाक की पूंछ टेढ़ी ही बनी हुई है। गैर-कश्मीरियों और हिंदुओं की हत्या के लिए उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हो रही है। जाहिर है, पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बदले को भूल गया है। उसे एक बार फिर करारा जवाब देना होगा। दरअसल, इस समय पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे आजादी के आंदोलन से भी जूझ रहा है। वहां भी उसने निर्ममता बरतते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को भूनने का काम हाल ही में किया है। पाक की ये हरकतें इसलिए भी बरकरार हैं, क्योंकि ईरान हमले में उलझा अमेरिका

उसकी पीठ थपथपाने में लगा है। ऐसे में भारत को अनेक कूटनीतिक कदम उठाकर पाकिस्तान को विवश करना पड़ रहा है। अब जाकर उसे कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का दो टूक जवाब मिला है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण मजहबी कट्टरता पर चोट नहीं कर पाना है।

गोया, साफ है कि यह समस्या अब राजनीतिक व संवैधानिक नहीं रह गई है, बल्कि धार्मिक चरमपंथ के रूप में सामने आ रही है। इस हिंसक उन्माद का सोच पाकिस्तान से निर्यात आतंकवाद तो है ही, घाटी में कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिदों और मदरसों में फैला, वह शिक्षा का तंत्र भी है, जो आतंक की फसल बोने और उगाने का काम करता है। यही वजह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें न तो अल्पसंख्यकों का जनसंख्यात्मक घनत्व बढ़ रहा है और न ही उन्हें नागरिक समानता के अधिकार मिल रहे हैं। कश्मीर में भी जिहादी चाहते हैं कि गैर-मुस्लिम या तो इस्लाम स्वीकार करें या फिर घाटी छोड़ जाएं। मुस्लिमों की इस दोषपूर्ण मंशा को संविधान निर्माण के समय ही डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समझ लिया था। शेख अब्दुल्ला ने जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग की तो आंबेडकर ने सख्त लहजे में कहा था कि 'आप चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों की आर्थिक सुरक्षा करे, कश्मीरियों को संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मिले, लेकिन भारत और अन्य भारतीयों को आप कश्मीर में कोई अधिकार देना नहीं चाहते? मैं देश का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ कोई अन्याय या विश्वासघात किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूं।' विडंबना देखिए कि मुस्लिम समाज देश में हर जगह वृहद हिंदू समाज के बीच अपने को सुरक्षित पाता है, किंतु जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। बावजूद नेहरू के अनावश्यक दखल से कश्मीर को विशेष दर्जा मिल गया। इस भिन्नता का संकट देश बंटवारे से लेकर अब तक भुगत रहा है। यही वजह है कि इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू, बौद्ध, सिख और दलित शरणार्थी के रूप में जम्मू-कश्मीर में ही ठहर गए थे, उन्हें मौलिक अधिकार धारा-370 हटने के बाद मिल पाए हैं। इनकी संख्या करीब 70-80 लाख है। पहलगाम हमले के बाद जितने भी आतंकी हमले कश्मीर में हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। यह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है, जो लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों की आतंकी हरकतों को ही अंजाम देता है। भारतीय सेना ने कोटली अब्बास में जिस आतंकी शिविरों को तबाह किया किया था, इसमें 1500 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था। मुरीदके में जिस मरकज तैयबा को ध्वस्त किया गया था, यहां लश्कर का मुख्यालय माना जाता है। यहीं से मुंबई हमले के प्रमुख आतंकी अजमल कसाब ने प्रशिक्षण लिया था। इस जवाबी कार्यवाही के बाद भारत की कूटनीति अत्यंत सफल दिखाई दी थी, क्योंकि भारत का तत्काल अमेरिका, रूस और जापान ने खुलकर समर्थन किया था।

अतएव इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमापार स्थित ठिकानों से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठनों के खिलाफ सेना और सुरक्षाबलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कश्मीर में आतंकी बने रहने का एक कारण यह भी है कि आतंकियों को मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम होने के कारण संरक्षण आसानी से मिल जाता है। यही कारण है कि आतंकी बिना किसी शोर-शराबे के मुस्लिम आबादी के बीच घुसपैठ करके हिंदुओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा को परिणाम में बदलने में सफल हो जाते हैं। ऐसे हमलों में निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। अब अमेरिकी राजनयिक के कथन के बाद संभव है आतंकी हमलों पर अंकुश लगे!

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

पुण्यतिथि विशेष
मोहित सिंगला

बिस्मिल्लाह खान : शहनाई के सुरों में बसती एक सभ्यता

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यहां कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि साधना, अध्यात्म और जीवन-दर्शन का स्वरूप मानी जाती है। इसी परंपरा को अपने जीवन और संगीत से साकार करने वाले महान कलाकार थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्होंने शहनाई जैसे पारंपरिक लोक वाद्य को विश्व के प्रतिष्ठित संगीत मंचों तक पहुंचाकर उसे भारतीय सांस्कृतिक पहचान का वैश्विक प्रतीक बना दिया। उनके हाथों में शहनाई केवल एक वाद्य नहीं रहती थी, बल्कि वह गंगा की लहरों, मंदिरों की घंटियों, सूफी दरगाहों की रूहानियत और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत स्वर बन जाती थी। 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव रियासत में जन्मे बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम कमरुद्दीन था। बचपन में ही वे अपने परिवार के साथ काशी (वाराणसी) आ गए। यही प्राचीन नगरी उनके व्यक्तित्व, संगीत और आध्यात्मिक चेतना की कर्मभूमि बनी। काशी की गलियों, गंगा के घाटों, मंदिरों की आरती और लोकजीवन की ध्वनियों ने उनके भीतर संगीत की ऐसी संवेदना जगाई, जिसने आगे चलकर उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बना दिया। उनके मामू उस्ताद अली बख्श काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। बालक बिस्मिल्लाह घंटों बैठकर उनके सुरों को सुनते और धीरे-धीरे स्वयं भी इस वाद्य के प्रति आकर्षित होते गए। महज छह वर्ष की आयु में उन्होंने शहनाई सीखनी शुरू कर दी। आगे चलकर

उनका जीवन कठोर अनुशासन और अथक साधना का पर्याय बन गया। प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान, मां मंगला गौरी के दर्शन और फिर गंगा तट स्थित बालाजी मंदिर में घंटों रियाज उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा था। कहा जाता है कि लगभग 16 वर्षों तक उन्होंने निरंतर इसी स्थान पर साधना की। यही तप उन्हें संगीत के उस शिखर तक ले गई, जहां प्रतिभा भी साधना के सामने नतमस्तक दिखाई देती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संगीत भारत की सांस्कृतिक विविधता में निहित एकता का अद्भुत उदाहरण था। वे जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन उनकी आत्मा काशी की संस्कृति में पूरी तरह रची-बसी थी। मंदिरों में शहनाई बजाना, मां गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा और संगीत को ईश्वर की आराधना मानना उनके व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताएं थीं, जिन्होंने उन्हें सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक बना दिया। उनके लिए संगीत किसी धर्म, भाषा या सीमा में बंधा नहीं था; वह मानवता की सार्वभौमिक भाषा था। 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक सुबह, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब दिल्ली के लाल किले से उनकी शहनाई की मंगलध्वनि ने स्वतंत्र भारत के नए युग का स्वागत किया। यह क्षण भारतीय इतिहास का अमर अध्याय बन गया। इसके बाद उन्होंने अनेक देशों में अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया। जहां भी उनकी शहनाई गूंजी, वहां श्रोताओं ने केवल सुर नहीं सुने, बल्कि भारत की आत्मा का स्पर्श महसूस किया। विश्वभर से अनेक आकर्षक प्रस्ताव मिलने के बावजूद उन्होंने वाराणसी को कभी नहीं छोड़ा। जब उनसे विदेश में बसने का आग्रह किया गया तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि यदि वहां गंगा और काशी मिल जाएं तो वे अवश्य चले जाएंगे। इस उत्तर में केवल अपने शहर के प्रति प्रेम ही नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का सम्मान भी था, जिसने उनके संगीत को जन्म दिया था। भारतीय संगीत और संस्कृति में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया। किंतु उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान श्रोताओं का प्रेम और संगीत की साधना थी। 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी शहनाई आज भी समय की सीमाओं को पार करती हुई सुनाई देती है। उनके सुर यह संदेश देते हैं कि कला तभी अमर होती है, जब उसमें तप, समर्पण, विनम्रता और संस्कृति की आत्मा का संगम हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान केवल एक महान शहनाई वादक नहीं थे, बल्कि भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक दूत थे। उन्होंने सिद्ध किया कि संगीत मनुष्यता को जोड़ने वाली सबसे सशक्त भाषा है। उनकी जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देती रहेगी कि साधना से जन्मा कला का स्वर कभी मौन नहीं होता; वह युगों-युगों तक मानवता के हृदय में गूंजता रहता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन में निर्भयता लाती है मां दुर्गा की भक्ति साधना

संकलित
दर्शन

वैसे तो हिंदी वर्षानुसार वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत व ग्रीष्म- छह ऋतुएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रधान हैं- सर्दी व गर्मी। इन दोनों प्रधान ऋतुओं की संधि बेला को नवरात्रि की संज्ञा दी गई है। दिन और रात्रि के मिलन को संध्याकाल कहते हैं। इस महत्वपूर्ण समय को ईश्वर की आराधना, भजन, संध्या, वंदन व आध्यात्मिक साधना में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय अत्याधिक लाभदायी और कम श्रम से अधिक फल देने वाला माना गया है। संध्या काल को पुण्य पर्व भी कहा गया है। आरोग्य शास्त्र के विद्वानों को विदित है कि आश्विन व चैत्र मास में जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में पड़ता है। यह बदलाव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से प्रभाव डालता है। अनेकानेक रोग, ज्वर, चेचक आदि मनुष्य पर हावी होने लगते हैं। वैद्य जानते हैं कि वमन, विरेचन, स्वेदन, वस्ति, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए आश्विन और चैत्र का महीना ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसे समय में ही साधना का महत्वपूर्ण पर्व आता है। हिंदू परंपरा के अनुसार, भारतीय पर्व और त्योहारों में नवरात्रि पर्व का अत्यधिक महत्व है। यह वर्ष में दो बार आता है। दुर्गावतरण की पावन कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। देवत्व के संयोग से असुर निकंदिनी महाशक्ति के उद्भव का महत्व हर युग में रहा है। युग की भयावह समस्याओं से त्राण पाने के लिए युग शक्ति के उद्भव की कामना हर मन में उठती है। अधिकांश लोग व्रत, उपवास एवं अनुष्ठान करते हैं।

भरे गिलास से, मंदिर की परिक्रमा

संकलित
प्रेरणा

एक महिला रोज मंदिर जाती थी एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा अब मैं मंदिर नही आया करूंगी इस पर पुजारी ने पूछा क्यो? तब महिला बोली- मैं देखती हूं लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बात करते हैं कुछ ने तो मंदिर को ही गपसप करने का स्थान चुन रखा है, कुछ पूजा कम पाखंड ज्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे फिर कहा- सही है! परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने से कुछ कर सकती है। महिला बोली- आप बताइए क्या करना है। पुजारी ने कहा- एक गिलास पानी से भरकर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए शर्त ये है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली- में ऐसा कर सकती हूं फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे- 1) क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? 2) क्या आपने किसी को मंदिर मे गपसप करते देखा? 3) क्या किसी को पाखंड करते देखा? महिला बोली- नही मैंने कुछ भी नही देखा। फिर पुजारी बोले- जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इस में से पानी न गिर जाए इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो सिर्फ अपना ध्यान परम पिता परमात्मा में ही लगाना फिर आपको कुछ दिखाई ही नही देगा। सिर्फ भगवान ही सर्वव्रत दिखाई देगा, जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा।

अंतर्मन

आज की पाती

जब अपनों के बीच ही असुरक्षित हो जाए बुढ़ापा

बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है, जहां व्यक्ति को सबसे अधिक सहारे, सम्मान और अपनत्व की आवश्यकता होती है। जिस माता-पिता ने अपने बच्चों को पालने, पढ़ाने और उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी उम्र में यदि उन्हें अपने ही घर में उपेक्षा, अपमान या असुरक्षा का सामना करना पड़े तो यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। इसी संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने देश का ध्यान बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा की ओर खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानून के तहत ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बच्चों को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। अदालत ने कहा कि बढ़ती उम्र का अर्थ असुरक्षा, उपेक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए।

– कांतिलाल मांडोत, सूरत

ट्रेंड

रक्षा प्रौद्योगिकी

जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ सार्थक बैठक की। हमने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, "मेक इन इंडिया" पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की।
-राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री

मुस्लिम तुष्टीकरण

कांग्रेस आज भी मुस्लिम लीग और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाई है। 1937 में, मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने 'वंदे मातरम' के केवल दो पद ही स्वीकार किए थे। यह विडंबना है कि इतने वर्षों बाद भी कांग्रेस उसी पुराने प्रस्ताव को उसी रूप में दोहराकर वही गलती कर रही है।
- रविशंकर प्रसाद, सांसद, भाजपा

नाकामियां

राजस्थान के स्कूलों की हालत कुछ जर्जर है, तो कहीं बच्चे विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं... लेकिन सुधार करने के बजाय, सरकार लोगों को स्कूलों में घुसने से रोक रही है और फोटोग्राफी पर पाबंदियां लगा रही है। वह अपनी नाकामियों को छिपा रही है।
- सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री

राजीव गांधी को नमन

राजीव गांधी ने भारत के युवाओं में न केवल भविष्य देखा, बल्कि भविष्य को आकार देने की शक्ति भी देखी। गुडविल डे पर उस युवा सोच, उस दूरदर्शिता और भारत के उस सपने को नमन, जो आज भी हर नई पीढ़ी को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है।
- मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

करंट अफेयर

प्रिंस हैरी और पत्नी मेगन बच्चों के साथ लौटेंगे ब्रिटेन

प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने ब्रिटेन लौटने का फैसला किया है लेकिन वे शाही परिवार के कामकाजी सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाएं दोबारा नहीं संभालेंगे। समाचारपत्र 'डेली टेलीग्राफ' की खबर के अनुसार, दंपति के बच्चों प्रिंस आर्ची (सात) और प्रिंसेस लिलिबेट (पांच) का ब्रिटेन के विद्यालयों में दाखिला हो चुका है और वे सितंबर से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। खबर के मुताबिक, यह परिवार लंदन के बाहर एक निजी आवास में रहेगा। हैरी और मेगन ने छह साल से अधिक समय पहले शाही जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कैलिफोर्निया चले गए थे। वहां उन्होंने 'नेटफ्लिक्स' और 'स्पॉटिफाई' जैसी कंपनियों के साथ आकर्षक करार किए थे। इसके बाद ब्रिटेन के शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनके रिश्तों में तल्खी आई, लेकिन ऐसी खबरें सामने आईं कि हैरी ने सुलह की इच्छा जताई है ताकि वह अपने पिता महाराजा चार्ल्स तृतीय के साथ अधिक समय बिता सकें। महाराजा चार्ल्स तृतीय बीमार हैं और उनका कैंसर का इलाज चल रहा है। महाराजा चार्ल्स को रविवार को दंपति की ब्रिटेन लौटने की योजना की जानकारी दी गई।

ऑफ बीट

युवावस्था में भांग का सेवन बढ़ाता है मनोविकृति के खतरे

भांग यानी कैनाबिस का 20 और 30 की उम्र में सेवन करने वाले लोगों में गैर-उपयोगकर्ताओं की तुलना में मनोविकृति (साइकोसिस) की शुरुआत कई साल पहले ही होने की आशंका होती है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। 'बायोलॉजिकल साइकियाट्री' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, इससे उस धारणा को चुनौती मिलती है कि 25 की उम्र तक भांग का सेवन शुरू नहीं करने से मनोविकृति के जोखिम से बचा जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि इस उम्र तक मस्तिष्क का विकास पूरा हो जाता है। लोग मनोविकृति की दृष्टि से संवेदनशील थे, उनमें 30 की उम्र के आसपास भांग का सेवन करने से भी मनोविकृति की शुरुआत करीब 6.3 साल पहले हो गई थी। भांग का सेवन लगातार आम होता जा रहा है। कई उपयोगकर्ताओं में भांग से होने वाले मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नुकसान इसके किसी भी चिकित्सकीय लाभ से अधिक हो सकते हैं। चिंता, अवसाद या अनिद्रा के उपचार में इसके प्रभावी होने के बहुत कम प्रमाण हैं। मनोविकृति ऐसे विकारों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति की वास्तविकता को समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इसका गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला रूप शिजोफ्रेनिया है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 21 अगस्त, 2026

कल्पमेधा

मैंने सीखा है कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा। लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया। मगर वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया।
- माया एंजिलो

कूटनीतिक संदेश

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर के बारे में जो राय जाहिर की है, उसकी अपनी अहमियत है। खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका को जिस नजर से देखा जाता है, उसमें उसकी प्रतिक्रिया को किसी पक्ष या विपक्ष को मिलने वाले महत्त्व की नजर से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर ने जिस तरह जम्मू-कश्मीर को भारत का एक 'महत्त्वपूर्ण हिस्सा' बताया, उसे इस मुद्दे पर अमेरिका के बदलते रुख के संकेत के तौर पर भले देखा जा रहा हो, लेकिन यह सवाल भी उठा है कि उनका यह बयान भारत के लिहाज से कितना अहम है। इसके अलावा, गोर ने जम्मू-कश्मीर के लिए जारी अमेरिकी यात्रा परामर्श की समीक्षा करने की भी बात कही। दरअसल, कूटनीति की दुनिया में कई बार शब्दों की बारीकियों के जरिए जिस परिदृश्य की रचना की जाती है, उसका अंदाजा प्रभाव के स्तर से लग पाता है। ऐसे में जो जम्मू-कश्मीर बिना किसी सवाल के भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके बारे में सर्जियो गोर को अलग से कुछ राय जाहिर करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। फिर 'अभिन्न हिस्से' के बजाय 'महत्त्वपूर्ण हिस्सा' बताने को भारत में किस नजर से देखा जाएगा!

गौरतलब है कि अमेरिका पारंपरिक तौर पर जम्मू-कश्मीर के मामले को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने का हामी रहा है। यही नहीं, एकाध मौकों पर अमेरिका ने कश्मीर मामले में मध्यस्थता की भी भूमिका निभाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने उसे खारिज कर दिया था। यों कई संदर्भों में चूंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की दृष्टि में अब तक एक अप्रत्यक्ष नरमी दिखाई देती रही है और पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच पिछले कुछ समय से दोनों के बीच थोड़ी करीबी बढ़ती देखी गई है, इसलिए इस बात की आशंका हो सकती है कि अमेरिका का रुख कई बार जरूरत और सुविधा के मुताबिक भी संचालित होता है। ऐसे में यह देखने की जरूरत होगी कि गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह तीखी आपत्ति जाहिर की है, उसमें अमेरिका आगे क्या रुख अपनाता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत में जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर किसी अन्य देश को किसी भी स्तर पर दखल देने की जरूरत नहीं है। इस मसले पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित समूची दुनिया में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करके रखी है। इसके बावजूद समय-समय पर जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से नाहक दखलंदाजी और बयानबाजी करके एक नकारात्मक संदेश देने की कोशिश होती रही है।

पिछले कुछ सालों के दौरान चंद उतार-चढ़ावों को छोड़ दिया जाए, तो जम्मू-कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता आती देखी जा रही है। इसलिए यह संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है। यही वजह है कि सर्जियो गोर के बयान को भारत के प्रति अमेरिकी नीति या दृष्टि में बदलाव के एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि यह भी गौरतलब है कि गोर का बयान भारत के पक्ष में झुका हुआ लगता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर को भारत का 'अभिन्न हिस्सा' के बजाय 'महत्त्वपूर्ण' हिस्सा बताना एक सुविधा की कूटनीति भी हो सकती है। यों भारत को जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में किसी तीसरे पक्ष की दिलचस्पी को फिलहाल सतर्क होकर ही देखने की जरूरत है।

जोखिम में बच्चे

पिछले कुछ वर्षों से आभासी दुनिया में बच्चे जिस तरह गुम हो गए दिखते हैं, वहां से उनको निकालना एक बड़ी चुनौती है। आज पूरे विश्व में करोड़ों बच्चे सोशल मीडिया की लत से प्रभावित हैं। वे न केवल समाज से, बल्कि परिवार से भी कट गए हैं। सवाल है कि यह आदत उन्हें लगी या लगाई गई? आभासी दुनिया में विविध मंच उपलब्ध कराने वाली मेटा इस मुद्दे पर कठघरे में है। गौरतलब है कि अमेरिका के चार राज्यों ने इसके संचालन में बदलाव की मांग की है। बच्चों की सुरक्षा और निजता पर उठ रहे सवाल बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संबंधित राज्यों ने मेटा के खिलाफ संघीय अदालत में आरोप लगाया है कि उसने अपने एप इस तरह बनाए हैं कि वे बच्चों को आदी बनाएं और उन्हें ज्यादा समय तक रोके रखें तथा उनका डेटा जमा करें। मेटा तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अभिभावकों की सहमति के बिना डेटा जमा करती है, जो संघीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि मेटा ने अपना बचाव किया है, लेकिन उसकी दलीलें कमजोर दिखाई दे रही हैं।

सवाल है कि अगर मेटा के विविध मंचों पर बच्चों की उपस्थिति अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही थी, तो उसे सहज क्यों मान लिया गया और समय रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। यों मेटा समय-समय पर अनुभव को सुरक्षित बनाने वाली सुविधाएं शुरू करने की बात कहती रही है, लेकिन सच यह है कि ये सुविधाएं कभी प्रभावी नहीं थीं। इस समय विविध मचों पर जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही है, उसे रोकने का किसी स्तर पर प्रयास नहीं दिखता। मेटा की मुश्किलें कम होती इसलिए नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उसी के एक पूर्व अधिकारी ने गवाही दी है कि कंपनी ने अपने मंचों से कम उम्र के बच्चों को लेकर 'पूछो मत, बताओ मत' वाले रवैये को अपनाया और सुरक्षा की तुलना में मुनाफे को प्राथमिकता दी। अब मेटा जो भी सफाई दे, लेकिन यह सच है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। संघीय अदालत में चल रहा मुकदमा इसलिए भी अहम है कि इस पर पूरी दुनिया की नजर है। यह मुद्दा करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है।

जनगणना के समांतर जलवायु का सवाल

जनगणना केवल यह नहीं बताती कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भविष्य की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है।

कुशाग्र राजेंद्र

देश एक बार फिर जनगणना की तैयारी में है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली यह जनगणना स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्नों के केंद्र में है। क्या इसमें जातिगत गणना होगी? इससे कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यों को संसाधनों का बंटवारा किस आधार पर होगा? ये सभी सवाल महत्त्वपूर्ण हैं और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा भी, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल लगभग अनुपस्थित है और यह कि क्या इक्कीसवीं सदी की जनगणना उन वास्तविकताओं को दर्ज करने के लिए तैयार है, जिनका सामना आज का भारत कर रहा है?

जनगणना प्रायः केवल आबादी गिनने की प्रक्रिया मानी जाती है। जबकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दृष्टि का दर्पण होती है। कोई भी सरकार जिन बातों को जानना आवश्यक समझती है, वही उसके प्रश्नों में दिखाई देती हैं। इसलिए जनगणना केवल यह नहीं बताती कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भविष्य की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है। स्वतंत्र भारत की जनगणना समय के साथ बदलती रही है। आवास, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन, बैंकिंग सुविधा, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी जानकारियां इनमें क्रमशः जुड़ती गईं। इनसे शासन को विकास योजनाएं बनाने, सामाजिक असमानताओं को समझने और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लक्षित करने में बड़ी सहायता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत के निर्माण में जनगणना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। उत्तर भारत में तीव्र हो रही लू, भीषण गर्मी, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और दक्षिण में गहराता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने का खतरा तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएं अब अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएं नहीं रहीं। इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

विडंबना यह है कि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास अलग-अलग विभागों में बहुत-सी सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वे एक-दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। मौसम का आंकड़ा एक संस्था के पास है, भूजल का दूसरे के पास, कृषि का तीसरे के पास और जनसंख्या का चौथे के पास। परिणाम यह है कि हमें यह तो पता है कि किसी गांव में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित रूप से नहीं पता कि सूखते तालाब, घटता भूजल, बदलती फसलें या बार-बार आने वाली आपदाएं वहां के लोगों के जीवन और आजीविका को किस प्रकार बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में समस्या केवल आंकड़ों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे पास जीवन और पर्यावरण को एक साथ देखने वाली सूचना व्यवस्था नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसी समग्र दृष्टि के

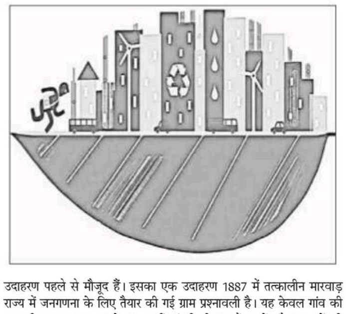

उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसका एक उदाहरण 1887 में तत्कालीन मारवाड़ राज्य में जनगणना के लिए तैयार की गई ग्राम प्रश्नावली है। यह केवल गांव की आबादी या राजस्व का ब्योरा भर नहीं मांगती थी। इसमें कुओं और तालाबों की संख्या, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकार, चरागाह, वृक्षों की प्रजातियां, पशुधन,

> **आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। यह एक बड़ी चुनौती भी है। उत्तर भारत में तीव्र हो रही लू, भीषण गर्मी, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और दक्षिण क्षेत्र में गहराता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने का खतरा तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएं अब अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएं नहीं रहीं। इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।**

स्थानीय फसलें, कुटीर उद्योग, महामारी, अकाल, पलायन, स्थानीय धरोहर और गांव की सामाजिक संस्थाओं तक का विवरण दर्ज करने के 56 प्रश्न थे। गांव को केवल घरों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और स्थानीय संस्थाओं से मिल कर बने एक जीवंत तंत्र के रूप में देखा गया था।

उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में तैयार अनेक जिला गजेटियर और ग्राम अभिलेखों में वर्षा, नदियां, जंगल, मिट्टी, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधनों यहां तक कि रीति रिवाज, खान-पान तक का विवरण जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के साथ मिलता है। निस्संदेह इन दस्तावेजों का उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन, राजस्व निर्धारण और अकाल प्रबंधन था, पर्यावरण संरक्षण नहीं। फिर भी उन्होंने गांवों का ऐसा सामाजिक-पर्यावरणीय चित्र सुरक्षित कर दिया, जो आज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मूल्यवान स्रोत बन गया है। आधुनिक जनगणना का अपना स्पष्ट उद्देश्य होता है और उसे जनसंख्या संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मगर यह भी उतना ही सत्य है कि जलवायु परिवर्तन ने शासन की आवश्यकताओं को बदल दिया है। अगर विकास की चुनौतियां बदल रही हैं, तो सूचना तंत्र को भी समय के साथ विकसित और अद्यतन होना होगा।

दुनिया के कई देशों में अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि आधिकारिक सांख्यिकी और जनगणना को सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु अनुकूलन की आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे अधिक उपयोगी बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग भी इस दिशा में विचार-विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे समय में भारत के पास विशेष अवसर है। हमारे पास समृद्ध ऐतिहासिक अभिलेख हैं, व्यापक डिजिटल अवसंरचना है और स्थानीय प्रशासन का विशाल तंत्र भी। आवश्यकता केवल इन सबको एक व्यापक दृष्टि से जोड़ने की है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जनगणना का ढांचा पूरी तरह बदल दिया जाए, बल्कि इसके साथ ऐसे पूरक ग्राम या क्षेत्र आधारित प्रश्नावली जोड़े जा सकते हैं, जिनमें कुछ सीमित, मगर अत्यंत महत्त्वपूर्ण जानकारियां संकलित हों। उदाहरण के लिए, पारंपरिक जल स्रोतों की स्थिति, स्थानीय स्तर पर बार-बार आने वाली जलवायु संबंधी आपदाएं, खेती के स्वरूप में परिवर्तन, साझा प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, खास परंपरागत तरीके, जलवायु संकट के कारण पलायन और स्थानीय अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ये केवल पर्यावरण संबंधी आंकड़े नहीं होंगे, बल्कि किसी गांव और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक संदर्भ को समझने का जरिया बन सकते हैं। भारत आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन और डेटा-आधारित नीति निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम और अधिक आंकड़े जुटा सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम वही जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जिसकी आने वाले दशकों में सबसे अधिक आवश्यकता होगी।

एक सदी पहले गांवों को समझने के लिए केवल लोगों की संख्या जानना पर्याप्त नहीं माना जाता था। उनके जल स्रोत, खेत, जंगल और पशुधन भी उतने ही महत्त्वपूर्ण समझे जाते थे। आज जलवायु परिवर्तन ने हमें फिर उसी बिंदु पर खड़ा कर दिया है। इसलिए आगामी जनगणना को केवल लोगों की गिनती तक सीमित न मान कर, बदलते समाज और बदलती प्रकृति के बीच संबंधों को समझने की व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखने का समय आ गया है। संभव है कि भविष्य का सबसे प्रभावी प्रशासन वही हो, जो केवल आबादी नहीं गिने, बल्कि उन परिस्थितियों को भी समझे जिनमें वह आबादी अपना जीवन जी रही है।

अदृश्य जंजीरें

सुप्रिया सत्यार्थी

हमारे समाज में कुछ परंपराओं को लोग सही मानना इसलिए शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे पुरानी हैं। उनके औचित्य पर सवाल उठाना तो दूर, यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा जाता है कि इसके तहत जो होता है, उसका आधार क्या है। विवाह और दूसरे शुभ अवसरों से जुड़ी कई मान्यताओं को इस श्रेणी में देखा जा सकता है। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में यह धारणा दिखाई देती है कि पति को खो चुकी स्त्री शुभ अवसरों से दूरी बनाए रखे। उसकी उपस्थिति तक को अपशकुन की दृष्टि से देखा जाता है। सवाल केवल एक रस्म का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पति की मृत्यु के साथ एक स्त्री सामाजिक रूप से शुभ नहीं रह जाती? अगर ऐसा है तो फिर उस स्त्री के जीवनभर के संघर्ष का मूल्यांकन किस आधार पर होगा?

वह मां, जिसने अपने बच्चों को अकेले बड़ा किया और पति की अनुपस्थिति में घर और बाहर, दोनों मोर्चे संभाले। उसने अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, विवाह और भविष्य के लिए जीवन खपा दिया। बीमारी, आर्थिक संकट, सामाजिक दबाव और अकेलेपन के बावजूद बच्चों को टूटने नहीं दिया। क्या वह स्त्री केवल इसलिए अशुभ हो गई कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है? यहां हमारी सामाजिक मानसिकता का एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। पति जीवित है, तो वह सुहागन और शुभ है। पति की मृत्यु के बाद वही स्त्री अचानक ऐसी श्रेणी में रख दी जाती है, जहां उसे कुछ लोग शुभ अवसरों के लिए अनुपयुक्त मानते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **जिस परंपरा को बचाने के लिए किसी मां, किसी स्त्री को सम्मान खोना पड़े, उस परंपरा को बचाना नहीं, उससे मुक्त होना ही समाज की वास्तविक प्रगति है। यह भी जरूरी है कि इस प्रश्न को केवल महिलाओं का प्रश्न मानकर छोड़ न दिया जाए। यह पूरे परिवार और समाज का प्रश्न है।**

यह केवल अंधविश्वास नहीं, स्त्री की पहचान को पुरुष से जोड़कर और उस पर निर्भर देखने वाली उस मानसिकता का विस्तार है, जो सदियों से हमारे सामाजिक ढांचे में मौजूद रही है। विडंबना यह भी है कि जिस स्त्री को पति की मृत्यु के बाद सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है, उसी समय समाज उसके चारों ओर कई अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दुख को निजी रखे, सामाजिक जीवन में संयमित रहे। कल्पना कीजिए उस मां की, जिसने अपने बेटे या बेटी की हर छोटी-बड़ी खुशी में अपना जीवन लगा दिया। उनके बचपन से युवावस्था तक हर पड़ाव देखा और जब वही बच्चा विवाह के मंडप तक पहुंचता है, तब मां को यह एहसास कराया जाता है कि वह कुछ रस्मों का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। वह मां क्या महसूस करती होगी? शायद वह कुछ कहे भी नहीं, क्योंकि हमारे समाज ने महिलाओं को दर्द सहना तो सिखाया है, लेकिन अपने दर्द पर सवाल उठाना नहीं। और यही चुप्पी इन परंपराओं को जीवित रखती है।

किसी महिला का पति नहीं रहा, तो यह उसके जीवन की त्रासदी है, उसकी पहचान नहीं। मृत्यु किसी रिश्ते को समाप्त कर सकती है, लेकिन उससे जुड़े व्यक्ति की मनुष्यता, मातृत्व और अधिकार समाप्त नहीं कर सकती। फिर भी हमारी सामाजिक भाषा में 'विधवा' शब्द कई बार महिला के पूरे व्यक्तित्व पर भारी पड़ जाता है। उसके नाम, संघर्ष और उसकी उपलब्धियों से पहले उसका वैवाहिक दर्जा दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर आज भी 'विधवा' स्त्री के वस्त्र, व्यवहार और सामाजिक भागीदारी तक पर अनावश्यक निगरानी दिखाई देती है। जबकि इसी समाज में पत्नी को खो चुके पुरुष के लिए नियम इतने कठोर नहीं होते। उसके सामान्य जीवन जीने, सामाजिक आयोजनों में शामिल होने या दोबारा विवाह करने का अधिकार सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। स्त्री के लिए मानदंड बदल जाते हैं। समस्या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है, जिससे समाज पुरुष और स्त्री का मूल्यांकन करता है।

पुरुष के लिए पत्नी की मृत्यु जीवन की एक घटना है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु सामाजिक पहचान का संकट बना दी जाती है। क्या शोक का भी कोई लैंगिक स्वरूप होता है? क्या पति की मृत्यु से पुरुष का शुभ-अशुभ प्रभावित नहीं होता, लेकिन स्त्री का हो जाता है? ये नियम किस तर्क पर टिके हैं? इन सवालों का जवाब हमें अपनी सामाजिक मानसिकता में खोजना होगा।

परंपरा का अर्थ यह नहीं कि उसे बिना समझे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दोहराया जाए। परंपरा तभी जीवित और सार्थक रह सकती है, जब वह समय के साथ मनुष्य की गरिमा और संवेदना के अनुरूप बदलती रहे। बाल विवाह कभी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त व्यवस्था थी। स्त्री शिक्षा को लेकर भी समाज में कभी गंभीर आपत्तियां थीं। मगर समय ने सवाल किए और समाज बदला। फिर शुभ-अशुभ की उन धारणाओं पर सवाल क्यों नहीं किए जा सकते, जो किसी जीवित स्त्री को उसके ही परिवार की खुशी से दूर करती है? किसी रस्म को निभाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह मनुष्य को सम्मान दे रही है या अपमान। एक स्त्री की गरिमा उसका मान-सम्मान सिर्फ पति के होने से ही नहीं होता है। उसके बाद भी है। परिवारों को यह साहस दिखाना होगा कि वे उन परंपराओं को स्वीकार न करें, जो उनके अपने किसी सदस्य किसी स्त्री को अपमानित करती है।

जिस परंपरा को बचाने के लिए किसी मां या किसी स्त्री को सम्मान खोना पड़े, उस परंपरा को बचाना नहीं, उससे मुक्त होना ही समाज की वास्तविक प्रगति है। यह भी जरूरी है कि इस प्रश्न को केवल महिलाओं का प्रश्न मानकर छोड़ न दिया जाए। यह पूरे परिवार और समाज का प्रश्न है। हमने समाज में अनेक कुरीतियों पर प्रश्न उठाए हैं। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, अस्पृश्यता और स्त्री शिक्षा से जुड़े अनेक पुराने विचारों को चुनौती दी गई। आज कोई समाज तभी प्रगतिशील कहलाएगा, जब वह उन अदृश्य भेदभावों पर भी सवाल उठाए, जो धार्मिक या सांस्कृतिक आड़ में अब तक बचे हुए हैं।

नाकाम भीड़ प्रबंधन

बिहार के लखीसराय स्थित अशोकधाम मंदिर में पिछले दिनों हुई भगदड़ ने एक बार फिर भीड़ प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में कुछ महीने पहले नालंदा स्थित एक मंदिर में भी ऐसी ही त्रासदी हो चुकी है। तब भीड़ वाले प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई थी। मगर सवाल यही है कि हादसे के बाद बनने वाली योजनाएं जमीन पर कितनी उतरती हैं। जब किसी विशेष पर्व या अन्य धार्मिक अवसर पर सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना पहले से मालूम होती है, तो इसे ध्यान में रखते हुए प्रवेश, निकास, अवरोधक, आपातकालीन रास्ते, चिकित्सा सुविधा और अफवाहों से निपटने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? पिछले दो वर्षों के घटनाक्रम को देखें, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ का दबाव कई बार जानलेवा साबित हुआ है। भीड़ प्रबंधन अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। इस हादसे ने फिर दिखाया कि लाखों-करोड़ों लोगों की आस्था के बीच एक छोटी-सी अव्यवस्था भी गंभीर परिणाम दे सकती है।

- कांतिलाल मांडोत, लखनऊ

भरोसे का सवाल

पेट्रोलियम मंत्रालय का तर्क है कि ई-20 वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य है। आटोमोबाइल उद्योग ने व्यापक परीक्षणों के बाद इसे स्वीकार किया है। देशभर में पेट्रोल पंप, रिफाइनरी, डिपो और पाइपलाइन नेटवर्क में अलग-अलग ग्रेड (शुद्ध पेट्रोल, ई-10 और ई-20) की आपूर्ति शृंखला बनाना भारी लाजिस्टिक चुनौती पैदा करेगा। मंत्रालय का कहना है कि ई-20 से कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आएगी और यह ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। इसके विपरीत, वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकारों का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक लगता है। सवाल भरोसे का भी है। कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों के लिए कम एथेनाल वाले ईंधन (जैसे ई-10) को पंपों पर वापस लाने से लोगों की चिंता कम हो जाएंगी। पूरी तरह ई-20 पर अड़े रहना उद्योग और निवेश की दृष्टि से सही लग सकता है, लेकिन आम नागरिकों की चिंता को नजरअंदाज करना लोकतांत्रिक और व्यावहारिक नहीं।

- युगल किशोर राही, छपरा

मुआवजे का आधार

प्राकृतिक आपदाएं हों या मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाएं, प्रत्येक वर्ष हजारों परिवार इनके दुष्परिणाम झेलते हैं। किसी परिवार का सदस्य असमय मृत्यु का शिकार होता है, तो कोई जीवनभर के लिए गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऐसे संकट की घड़ी में सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार के लिए संबल होती है। वर्तमान व्यवस्था में क्षतिपूर्ति की राशि राज्यों, घटना के स्वरूप, सरकारी नियमों तथा कभी-कभी पीड़ित की सामाजिक श्रेणी के आधार पर अलग-अलग हो जाती है। इससे सहायता की व्यवस्था असमान और कहीं-कहीं भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है। एक ही प्रकार की त्रासदी में किसी परिवार को अधिक और किसी को कम सहायता मिलना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। सरकार प्रत्येक नागरिक का एक समान दुर्घटना एवं आपदा बीमा कराए। राहत और क्षतिपूर्ति समानता और मानवीय गरिमा के आधार पर ही होनी चाहिए।

- ओपी चौधरी, रतलाम

इच्छाशक्ति का तकाजा

झारखंड में हाल में ही हुई 14वीं जेपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर छात्र आंदोलन से बने दबाव के बाद सरकार ने छात्रों की जायज मांगों को मान लिया। छात्र आंदोलन जारी रहने के कारण राज्य सरकार के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के राजनीतिक भविष्य को खतरे में पड़ता देख कर जायज मांगों को मानने की विवशता हो गई। वहीं दूसरी ओर, जेएसएससी-सीजेएल परीक्षा रद्द करने में देरी होने पर सरकार की साख धूमिल होने के आसार नजर आने लगे। जेएसएससी-सीजेएल परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर सीआइडी जांच में तेजी आई है। इसलिए जांच पूरी होने तक दूध का दूध और पानी का पानी होने तक संबंधित पक्षों को राजनीतिक हानि और लाभ से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए।

- युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

राष्ट्रगीत के लिए

राष्ट्रगीत *वंदे मातरम्* पर छिड़ा विवाद दुखद और गैर-जरूरी है। काश! इस मामले में राजनेताओं में परस्पर सहमति बन जाती, तो अनावश्यक चर्चा को बल नहीं मिलता। इसमें कोई दोराय नहीं कि यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है। पिछली सदी की शुरुआत से ही कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इसे तीन दशक तक पूरा और निरंतर गाया जाता था। जब देश में सांप्रदायिक तनाव के हालात बनने और बढ़ने लगे, तब कांग्रेस के आला नेताओं ने साल 1937 में राष्ट्रगीत के दो पैरा को ही गाने का फैसला लिया था। आज भी शायद सियासी वजहों से कांग्रेस उसी फैसले पर चलना चाहती है, लेकिन ध्यान रहे, आज कांग्रेस को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त स्थिति में है। आश्चर्य नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वह अपनी तुष्टीकरण की नीति को पुनर्जीवित कर रही है। वाकई, यह इतिहास में दर्ज है कि साल 1937 में *वंदे मातरम्* गीत के आधे से ज्यादा हिस्से को नियमित गायन से अलग कर दिया गया और ठीक दस साल बाद भारत को बंटने से नहीं रोका जा सका।

अब केंद्र सरकार ने बाकायदा कानून बनाकर यह कोशिश की है कि *वंदे मातरम्* गीत को पूरा गाया जाए। नए प्रोटोकॉल के तहत, निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का छह पैरा या श्लोकों वाला पूरा संस्करण गाया जाएगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे नहीं मानना चाहती है, उसने राष्ट्रगीत के केवल पहले दो श्लोक गाने का निर्णय लिया है। ऐसे में, केंद्रीय गृह मंत्री का यह कथन विचारणीय है कि विपक्षी पार्टी का यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक त्रुटि की पुनरावृत्ति है, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ था। देश में जो लोग *वंदे मातरम्* को पूरा गाने के पक्ष में हैं, उन्हें कांग्रेस का ताजा निर्णय चौंका रहा है। वैसे, कांग्रेस कार्यालय में अभी 15 अगस्त के आयोजन में *वंदे मातरम्* के गायन के समय जो विवाद देखा गया, उसके बाद लिया गया कांग्रेस का यह फैसला उसकी अपनी 1937 के बाद की नीति के अनुरूप ही है। हालांकि, इस फैसले का राजनीतिक विरोध तय है और जवाब देने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। काश! मजहब की बुनियाद पर बंटवारा न हुआ होता, तो 1937 में कांग्रेस नेताओं द्वारा लिया गया फैसला आज मील के पत्थर या एक निर्णायक गौरवशाली मोड़ की तरह होता। स्वतंत्र भारत की मूल नीति सबको खुश करने की रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन अफसोस, बंटवारे को भुलाना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा अध्याय है, जिसके पन्ने अक्सर सियासी हवा पाकर लहराने लगते हैं।

आज भी शायद अनेक वजहों से कांग्रेस सन् 1937 के फैसले पर चलना चाहती है, लेकिन आज उसे चुनौती देने के लिए भाजपा बहुत सशक्त है।

खैर, अब तो भारतीय संसद में अधिनियम बन गया है कि *वंदे मातरम्* को पूरा गाया जाएगा। यह अधिनियम भारतीय संविधान का हिस्सा है और भारतीय संविधान का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। समग्रता में देखें, तो यह विषय जितना भावनात्मक है, उतना ही राजनीतिक है। यहां देश के आम लोगों को पूरी संवेदना और वैचारिक संतुलन के साथ विचार करना चाहिए। यह *वंदे मातरम्* गीत का 150वां वर्ष है और इस गीत के सम्मान की परंपरा मजबूत होनी चाहिए। यह अकाट्य सत्य है कि हमारा राष्ट्रगीत एक सशक्त अभिव्यक्ति है और इसके यथोचित आदर में हर भारतीय व भारतीयता का सम्मान निहित है। यह आधिकारिक राष्ट्रगीत सबसे सद्भाव की आशा रखता है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 21 अगस्त, 1951

ईराकी खजूर

भारतीय संसद में श्री सिधवा ने ईराकी खजूर की चर्चा उठाई थी और इस पर खाद्य मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे प्रकट होता है कि सरकार को व्यापारियों ने किस प्रकार सहज ही पराजित कर दिया। देश में जब खाद्यान्न की कमी पड़ गयी थी तो सरकार ने उसकी पूर्ति करने के लिए दो बार करके 26 हजार टन खजूर का ईराक से आयात किया। श्री मुन्शी ने बताया कि यह खजूर अच्छी किस्म की थी और सस्ती भी थी। फिर भी वह बिक नहीं सकी और बम्बई और मध्य प्रदेश की सरकारों को क्रमशः 2 लाख 20 हजार और 4 लाख 80 हजार यानी कुल 7 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। श्री मुन्शी के शब्दों में खजूर के न बिकने का कारण यह रहा कि बम्बई के व्यापारियों के एक शक्तिशाली दल ने जान-बूझकर यह झूठी अफवाह फैला दी थी कि सरकार द्वारा आयात की हुई खजूर खराब है। व्यापारियों का उद्देश्य यह था कि उन्हें अपना माल बेचने का अवसर मिल जाये। व्यापारियों ने 13000 हलकी किस्म की खजूर के टोकरे बेच डाले और सरकारी माल अच्छा होते हुए भी गोदामों में पड़ा-पड़ा सड़ गया। आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी माल का मूल्य साढ़े तीन आना और पौने तीन आना प्रति सेर था, जबकि व्यापारियों ने अपना माल एक रुपये प्रति सेर के हिसाब से बेचे।

व्यापारियों का नैतिक स्तर इन दिनों कितना अधिक गिर गया है, इसका यह एक अच्छा उदाहरण है। इस धर्म प्राण देश में व्यापारी यह मान बैठे हैं कि व्यापार में झूठ का आश्रय लिये बिना काम चल ही नहीं सकता। उनकी लोभवृत्ति बेहद बढ़ गयी है और उसे सन्तुष्ट करने के लिए नीति की सारी मर्यादा को उन्होंने उठाकर ताक में रख दिया है। पुराने जमाने में व्यापारी धर्म का बराबर खयाल रखते थे। अपने काम को सेवा-कार्य समझकर करते थे। जो वस्तु एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होती, उसे दूसरे स्थानों से लाकर बेचते थे और अपने परिश्रम का निर्दिष्ट और उचित मुआवजा प्राप्त करके सन्तुष्ट हो जाते थे। बुरी वस्तु को अच्छी बताकर बेचना, ग्राहक के अज्ञान का फायदा उठाकर अंधाधुंध मुनाफा कमाना और झूठ का आश्रय लेकर अपने प्रतिद्वन्द्वियों को पछाड़ना आज सामान्य हो गया है। किन्तु प्रस्तुत उदाहरण में बम्बई के व्यापारियों ने सरकार को भी नहीं छोड़ा है।

महिलाओं को मोहरा बनाती राजनीति

तृषा कृष्णन और जॉर्जिया मेलोनी के साथ आभासी दुनिया में जैसा बर्ताव हुआ, उससे यह फिर पुष्ट हुआ कि मर्दों को कमजोर दिखाने के लिए स्त्रियों का इस्तेमाल किया जाता है।

यहां स्कैन करें

तुलसी जयकुमार | प्रोफेसर, एसपीजेआईएमआर

मौजूदा राजनीति में, जब विरोधी असल मुद्दों पर जीत नहीं पाते, तो वे एक पुरानी और घिनौनी चाल का सहारा लेते हैं। वे 'विरोधियों' की नजदीकी महिलाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। यह तरीका पितृसत्ता जितनी ही पुरानी सोच पर टिका है कि सार्वजनिक जीवन में महिला कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कमजोरी है, जिसका इस्तेमाल पुरुष के खिलाफ किया जा सकता है।

सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को 'प्रॉक्सी टारगेट' किया जाता है। किसी अन्य के लिए उन्हें निशाने पर ले लिया जाता है। राजनीति में सक्रिय लोग सस्ती बयानबाजी करके अपना फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन लक्षित महिलाओं से उनकी मर्जी, सम्मान और मेहनत से अर्जित पहचान छीन लेते हैं। यह खुलेआम लैंगिक भेदभाव से आगे बढ़कर महिलाओं के प्रति छिपी हुई नफरत (मिसोजिनी) और पूर्वाग्रह है।

फिल्म अभिनेता विजय के औपचारिक रूप से राजनीति में उतरने और अपनी पार्टी शुरू करने के बाद तमिलनाडु की सियासत में हुई हालिया घटनाक्रमों पर गौर करें। उनकी राजनीतिक सोच पर बात करने के बजाय, आलोचक उनके खिलाफ जल्द ही व्यक्तिगत आक्षेप लगाने और चरित्र-हनन पर उतारू हो गए, जिसमें खासतौर से तृषा कृष्णन का जिक्र किया गया। तमाम बहसों, सोशल मीडिया मंचों और सार्वजनिक रैलियों में, विरोधियों ने विजय की राजनीतिक गंभीरता को कमतर दिखाने के लिए बार-बार तृषा का नाम लिया। इस जहरीले माहौल में, कृष्णन को, जिनका दो दशकों का फिल्मी करियर है और जो अपने दम पर आगे बढ़ने वाली कलाकार हैं, एक पेशेवर के तौर पर देखने के बजाय एक सियासी मोहरा बना दिया गया। उनकी मौजूदगी को ऐसे पेश किया गया, जैसे वह विजय की अविश्वनीयता या नैतिक पतन की वजह हैं।

इन सबसे वोटरों को बेहद दकियानूसी संदेश मिला कि कोई पुरुष नेतृत्व के लिए कितना उपयोगी है, उसको इसी बात से मापा जाना है कि महिलाओं के साथ उसके संबंधों को कितना सनसनीखेज बनाया जा सकता है। ऐसा करते हुए महिला को उसकी अपनी उपलब्धियों से अलग कर दिया जाता है और उसे एक राजनीतिक बोझ समझा जाता है।

यह प्रवृत्ति सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति में नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक फैली हुई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया के मंचों पर हो रही चर्चाओं पर गौर कीजिए। इसे दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच रणनीतिक सहयोग और कूटनीतिक तालमेल के रूप में देखा जाना चाहिए था, लेकिन विरोधियों ने इसे 'मेलोडी' मीम में बदल दिया। कूटनीतिक तस्वीरों और आपसी बातचीत का बार-बार इस्तेमाल करके केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया गया।

बेशक, कुछ लोगों ने इसे आभासी मजाक या लोगों की हल्की-फुल्की चुटकी बताकर खारिज कर दिया, लेकिन करीब से देखने पर यह पैटर्न एक अलग ही कहानी बयां करता है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के नाते मेलोनी की शख्सियत को यूरोपीय संघ की जटिल राजनीति और वैश्विक भू-राजनीति के संदर्भ में समझना चाहिए, लेकिन आलोचकों ने उनकी कूटनीति को इंटरनेट पर प्रचलित रूढ़ियों और सतही टिप्पणियों तक सीमित रखा, जिसमें उनके नीतिगत कदमों या विदेश संबंधों पर उनके रुख का कोई जिक्र नहीं किया गया।

तृषा कृष्णन और जॉर्जिया मेलोनी के साथ आभासी दुनिया में जैसा बर्ताव हुआ है, उनमें एक बात समान है कि पुरुषों को कमजोर दिखाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही मामलों में राजनीतिक निशाने पर पुरुष नेता थे, पर खामियाजा उनकी नजदीकी महिला को भुगतना पड़ा, जिसकी सार्वजनिक छवि है। इससे राजनीति में मौजूद दोहरे मापदंडों की सच्चाई बेपरदा होती है। पुरुष नेताओं को उनकी सत्ता, उनके भाषणों, उनकी आर्थिक नीतियों और कामकाज के आधार पर आंका जाता है, पर जब विरोधी उन्हें हतोत्साहित या बदनाम करना चाहते हैं, तो वे जेंडर-आधारित नैतिकता व निजी संबंधों का सहारा लेते हैं।

यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब महिला आकर्षक हो। कृष्णन और मेलोनी इत्तेफाकन चुने गए उदाहरण नहीं हैं। खूबसूरत होना ही उन्हें लोगों का ध्यान खींचने की वजह बनाती है। ऐसी आकर्षक महिलाए दो वजहों से राजनीति के लिए मुफीद हो जाती हैं- पहली, उनके हाव-भाव चूंकि सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए आरोपों को बल देने में आसानी होती है, और दूसरी, आलोचकों के लिए असल मुद्दों के बजाय तमाशे पर जोर देना आसान हो जाता है। जिस खूबी के कारण उनको सार्वजनिक जीवन में कामयाबी मिलती है, उसी खूबी का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है।

इसी तरह की सार्वजनिक भूमिकाओं में मौजूद कम आकर्षक महिलाओं को यूं हथियार बनने की आशंका कम होती है। इससे इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद साफ हो जाता है कि यह सिर्फ लोगों की नजर में आने की सजा है। कोई महिला अपनी योग्यता के दम पर जितना अधिक लोगों का ध्यान खींचती है, वह किसी पुरुष को निशाना बनाने के हथियार के तौर पर उतनी ही ज्यादा काम की बन जाती है।

इस आदत से सार्वजनिक जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। पहला, इससे राजनीतिक बातचीत का स्तर गिरता है और गंभीर वैचारिक विमर्श के बजाय चर्चा निजी आरोपों पर ठहर जाती है। दूसरा, यह एक खतरनाक माहौल बनाती है, जिसमें महिलाएं उन पेशों में आने, काम करने या बने रहने से कतराने लगती हैं, जिसमें ज्यादा दिखने या सुर्खियों में रहने का अवसर हो। जब पुरुष प्रतिद्वंद्विता में महिलाओं को शिकार बनाया जाने लगता है, तो हर महत्वाकांक्षी महिला को यही समझ में आता है कि किसी और के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत से बनाई गई उसकी पेशेवर पहचान पर हमला किया जा सकता है।

यदि समाज इस राजनीतिक प्रवृत्ति को बर्दाश्त करता है, तो वह एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो महिलाओं के सम्मान और स्वायत्तता को सशर्त मानती है। लिहाजा, इस पर चर्चा करने की खास जरूरत है, क्योंकि यह आपसी प्रतिद्वंद्विता में महिलाओं को वस्तु के रूप में इस्तेमाल करके उनको नीचा दिखाने का एक कायरतापूर्ण प्रयास है। जब तक नेतागण नीतियों के आधार पर अपनी राजनीति नहीं करेंगे, महिलाएं यूं ही मर्दों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कीमत चुकाती रहेंगी और बलि की पात्र बनती रहेंगी।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

तालिबान को मान्यता दिए बगैर उससे बात बढ़ाएं

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

काबुल पर 15 अगस्त, 2021 को तालिबान ने कब्जा किया था, यानी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के पांच वर्ष हो गए, मगर आज भी यह मुल्क एक ऐसी विरोधाभासी स्थिति में फंसा हुआ है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस इस्लामी संगठन ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और विगत दो दशक से वहां जारी खूनी संघर्ष को काफी हद तक खत्म कर दिया है। अफगानिस्तान अंदरूनी तौर पर आज अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है, मगर वहां नागरिक आजादी, समावेशी संस्कृति का अभाव है और आर्थिक रूप से यह ज्यादा कमजोर है।

साल 2021 के बाद से वहां जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है, वह है हिंसा में कमी। तालिबानी राजनीतिक व्यवस्था इसके सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के इर्द-गिर्द केंद्रित है। इसमें ज्यादातर पुरुष ही हैं। तालिबान की विदेश नीति में एक अलग तरह की व्यावहारिकता दिखी है। अपने पिछले कार्यकाल में वह अलग-थलग पड़ गया था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसने इस बार आसपास के लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाने की पहल की है। उसका नजरिया दूसरे देशों के मामलों में दखल न देने और महिला अधिकारों एवं सरकार के गठन के मामले में बाहरी राजनीतिक शर्तों को न मानने पर आधारित है। साथ ही, तालिबान ने यह भी समझ लिया है कि भौगोलिक स्थिति के कारण उसके लिए क्षेत्रीय जुड़ाव जरूरी है। चीन, ईरान, मध्य एशियाई देश, खाड़ी के देश, तुर्की, भारत और रूस- सभी की सुरक्षा, व्यापार, प्रवासन या प्राकृतिक संसाधन आदि के लिहाज से अफगानिस्तान में दिलचस्पी है। इसीलिए औपचारिक मान्यता के बिना ही इससे जुड़ाव बढ़ा है। रूस ने अंतरराष्ट्रीय रुख से परे जाकर 'तालिबान सरकार' को मान्यता दी, तो चीन ने भी ऐसी ही नीति अपनाई। वहीं, यूरोपीय और पश्चिमी देश प्रवासन व मानवीय सहायता के रूप में उसकी मदद करते रहे हैं।

अफगानिस्तान न तो 1990 के दशक वाला अलग-थलग देश है और न ही उससे पहले वाला अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त गणतंत्र।

तालिबानी निजाम को पाकिस्तान और भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के सिवा और कोई विकल्प नजर नहीं आता। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 2021 के बाद काबुल में तालिबान सरकार आने से उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इसके उलट उसके रिश्ते खराब हो गए हैं। मुख्य समस्या 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' है, जिसका फिर से उभरना इस्लामाबाद को सीधी चुनौती है। तालिबान अब इस्लामाबाद की पसंद को न केवल ठुकरा रहा है, बल्कि चुनौती भी दे रहा है।

इसके उलट, भारत ने अलग रणनीति अपनाई है। नई दिल्ली ने काफी सावधानी के साथ तालिबान से संपर्क साधा। इसकी नीति धीरे-धीरे सीमित जुड़ाव से आगे व्यवस्थित और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होती गई है। उच्चस्तरीय संपर्क, मंत्रियों के दौरे, काबुल में भारत की कूटनीतिक मौजूदगी, व्यापार, दवा उद्योग, कृषि, संपर्क और मानवीय सहायता पर बातचीत का विस्तार- ये सभी बातें बताती हैं कि नई दिल्ली नई राजनीतिक सच्चाई के साथ जुड़ने में हित देखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत तालिबान का समर्थन कर रहा है। बल्कि, यह इस बात को समझने का नतीजा है कि राजनयिक रूप से दूरी बरतकर काबुल पर अपना प्रभाव नहीं कायम किया जा सकता। जैसे-जैसे पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, भारत का महत्व बढ़ रहा है। नई दिल्ली के लिए इस जुड़ाव का मतलब है, अफगानिस्तान में अपनी विकास परियोजनाओं और राजनीतिक हितों को बनाए रखना, इस्लामाबाद के एकाधिकार को रोकना और आतंकवाद, संपर्क व क्षेत्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत के रास्ते खुले रखना। तालिबान के लिए, भारत के साथ करीबी रिश्ते न केवल आर्थिक अवसर देते हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुकाबले कूटनीतिक बढ़त भी दिलाते हैं।

तालिबान शासन के पांच साल बाद, अफगानिस्तान न तो 1990 के दशक वाला कट्टर मजहबी देश है और न ही उससे पहले वाला गणतंत्र। यह ज्यादा सुरक्षित, लेकिन दमनकारी देश है, जो आर्थिक रूप से सीमित होने के बावजूद अपने पड़ोसियों से तेजी से जुड़ रहा है। भारत के लिए चुनौती यही है कि वह तालिबान के साथ बातचीत तो करे, लेकिन उसके 'सिस्टम' को सामान्य न माने।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अच्छे चरित्र का आधार

आज संसार में चरित्र का संकट सबसे विकट होता जा रहा है। पृथ्वी पर भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहां चरित्र निर्माण पर विशेष जोर रहा है। फिर भी आज अनेक प्रश्न हैं, जो खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग जानते हैं कि अहिंसा का क्या महत्व है, फिर भी हिंसक हैं और सत्य का क्या महत्व है, फिर भी असत्य बोलते हैं। लोग अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं बनाते हैं। ज्ञान को चरित्र में नहीं उतारते हैं।

कहा जाता है, धन नष्ट हुआ, तो कुछ नष्ट हुआ, शास्त्र नष्ट हुआ, तो कुछ ज्यादा नष्ट हुआ और यदि चरित्र नष्ट हुआ, तो सब कुछ नष्ट हो गया। भारत एक चरित्र प्रधान देश रहा है। यहां के संतों, गुरुओं, आचार्यों ने संपूर्ण संसार को ज्ञान का पाठ ही नहीं पढ़ाया, ज्ञान का परिपक्व स्वरूप भी संसार को दिया। इसके साथ ही अपने चरित्र में भी ज्ञान को उतारा। पूरी दुनिया को चरित्र की शिक्षा देने वाला देश भारत ही है।

भारत में बड़ी संख्या में पतिव्रता महिलाओं का अस्तित्व एक बहुत बड़ा पक्ष है, एक उन्नत अवस्था है। यदि कोई स्त्री अपने पति को ही सब कुछ समझती है, उन्हीं के लिए आदर रखती है और सेवा में समर्पित रहती है, तो उसे पतिव्रता बोलते हैं। पति के लिए जिसके सभी व्रत हों, वह पतिव्रता। पति की प्रसन्नता, पति का विकास, पति से अनुकूलता, इसी के लिए उन्हें पतिव्रता कहा जाता है। स्त्री जाति के जीवन की सार्थकता उसके उत्तम चरित्र में है। वह समाज का आधार है। चरित्रवान स्त्रियां ही श्रेष्ठ समाज की रचना करती हैं।

शादी की जो प्रथा है, वह बहुत उपयोगी है। यदि विवाह नहीं होता, तो सम्बंधों का बड़ा घृणित रूप बन जाता। पत्नी यदि पति के लिए समर्पित न हो, तो परिवार टूट जाते हैं। परिवार टूटता है, तो समाज टूटता है। धीरे-धीरे ये टूटन पूरे राष्ट्र और मानवता को प्रभावित करती है। पति और पत्नी एक-दूसरे के पूरक बनकर जितना उत्पादन कर सकते हैं, अपने लिए, परिवार, समाज, राज्य के लिए उतना अलग-अलग होकर नहीं कर सकते। यदि कोई भटक जाए, तो भटकने की कोई सीमा नहीं है। आदमी रोज भोजन करता है, लेकिन भोजन का कोई अंत नहीं है। हम कितने कपड़े पहन सकते हैं? हर मकान में हम रहना चाहें, तो कैसे चलेगा? इसलिए संयम सबसे जरूरी है। हमारे वैदिक सनातन धर्म ने इसीलिए संयम की धारणा को बहुत पुष्ट किया है।

पति और पत्नी, परस्पर मिलकर एक-दूसरे के पूरक बनकर जितना उत्पादन कर सकते हैं, अपने लिए, परिवार, समाज, राज्य के लिए, उतना अलग-अलग होकर नहीं कर सकते।

संसार का हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी केवल उसकी रहे। जाति, संप्रदाय, नस्ल, देश कोई भी हो, पूरी दुनिया के पुरुष यही सोचते हैं। इसीलिए वैदिक सनातन धर्म ने पतिव्रता स्त्रियों को बहुत महत्व दिया। यह भी बताया कि कैसे पतिव्रता रहा जा सकता है। इस देश में यह प्रथा बहुत पुरानी, अनादि है, इसके अनुपालन में ही परिवार, समाज और राष्ट्र की शक्ति है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्री

जब हम तेज गति से देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत और साधक हमारे देश के युवा हैं। शिक्षा, कौशल, स्टार्टअप, नवाचार, खेल और नई तकनीकों से वे नए भारत की दिशा तय कर रहे हैं।

अनुलोम-विलोम
पहनावा

अशालीन पहनावे पर नियंत्रण जरूरी

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वकील ने जब यह तर्क दिया कि 'लड़की ने जींस और टॉप क्यों पहना था?' तो न्यायाधीश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ-साफ कहा कि किसी महिला के कपड़े उसकी निजी पसंद हैं। वह क्या पहनती है, यह किसी पड़ोसी, समाज, यहां तक कि किसी वकील का भी मामला नहीं बनता है। कपड़े को आधार बनाकर किसी गैर-कानूनी हरकत को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता।

यह वाकया उस समय का है, जब उच्च न्यायालय में यौन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई हो रही थी। बचाव पक्ष की ओर से खड़े वकील का यह तर्क था कि लड़की वेस्टर्न टॉप, जींस जैसे भड़काऊ कपड़े पहनती है, जिससे भोले-भाले लड़कों पर गलत असर पड़ता है। अगर कोई लड़की अशालीन दिखने वाले कपड़े पहनकर खुलेआम बाजार में घूमे, तो अवश्य ही समाज को आपत्ति जताने का अधिकार है। आखिर इसका असर दूसरे लोगों पर पड़ता है और हमारी संस्कृति खराब होती है।

हम मानते हैं कि महिलाओं को अपनी इच्छा से वस्त्र धारण करने का अधिकार है। फिर भी, उन्हें सामाजिक मर्यादा, अपनी संस्कृति और मान्यताओं को देखते हुए ही वस्त्र और आभूषण धारण करना चाहिए। हर समाज की एक तय मर्यादा होती है। शालीन कपड़े पहनने से समाज में अनुशासन और अच्छी परंपरा बनी रहती है। वस्त्रों को संस्कृति और मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। सादगीपूर्ण पहनावा संस्कृति को आगे बढ़ाता है। कपड़े पहनने से अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं होता, इससे महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता होती है। भड़कीले दिखने वाले कपड़े पहनने का चलन पश्चिम का है, जहां हमारे देश जैसी सभ्यता संस्कृति और मर्यादा का अभाव रहा है। भारत की तरह वहां की दूसरी स्त्रियों को माता, बहन या बेटी का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि उपभोगवादी संस्कृति के कारण वहां स्त्री को सिर्फ मानव इकाई की नजर से देखा जाता है।

हमारी संस्कृति स्त्रियों को पूजती रही है। हमने देवी के रूप में उनकी आराधना की है। अतः यह बेहद जरूरी है कि इन्हें भी अपनी ओर से मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए। आशा है, न्यायपालिका भी अपनी टिप्पणी में व्यापक जन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करेगी और। हमें यह याद करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति की आजादी समाज के विकास में सहायक हो, तभी वह स्वीकार्य है। कोई भी सभ्य समाज या देश किसी व्यक्ति को असीमित आजादी नहीं दे सकता। हमारे देश की महिलाओं के साथ-साथ मानवाधिकार के अलंबरदारों को इसका भान होना चाहिए।

एम एम राजावत, टिप्पणीकार

मन मुताबिक पहनने का हो अधिकार

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का यह कहना कि हरेक व्यक्ति को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल उचित है और इसे लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल ही कहा जाएगा। अदालत का यह कहना भी जायज था कि सभी को दूसरों की सीमाओं का आदर और सम्मान करना आना चाहिए। हमें उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी, टॉप और जींस जैसे कपड़े कभी भी अश्लीलता की श्रेणी में नहीं कहे जा सकते हैं।

कपड़ों की पसंद और शालीनता का विषय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। आधुनिक कानूनों और मानवाधिकारों के अनुसार, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा-पूरा अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के पहनावे को उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार या अपराध का कारण नहीं माना जा सकता। चाहे वह महिला टॉप, जींस पहने या अन्य कोई अत्याधुनिक डिजाइन के कपड़े। दिल्ली उच्च न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील केवल वही बातें दुहरा रहे थे, जो रूढ़िवाद और मानवता विरोध को बढ़ावा देने वाली हो सकती है।

वैसे भी, हमारे लोकतांत्रिक समाज में किसी को उपदेशक की भूमिका में नहीं रहना चाहिए और उसे यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कौन से कपड़े अश्लील हैं और कौन-कौन कपड़े शालीन। यह महिला और पुरुष, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। कुछ रूढ़िवादी किस्म के लोग केवल महिलाओं के लिए कुछ कपड़ों को शालीन और कुछ को अश्लील परिभाषित करते चलते हैं। उनका मानना है, महिलाओं के पास अपनी समझ नहीं है, इसलिए वे उन्हें बताएंगे कि यह सामाजिक रूप से शालीन है और यह नहीं। यह उनकी बददिमागी ही कही जाएगी। महिलाओं को अपनी शालीनता तय करने का पूरा अक्ल और हुनर है, यह समाज को मान लेना चाहिए। महिलाएं अपने बारे में अच्छा-बुरा सोचने-समझने में पूरी तरह सक्षम और स्वतंत्र हैं। उन्हें हर चीज की उतनी ही समझ है, जितनी किसी पुरुष को हो सकती है।

असल में, समस्या हमारे सामाजिक परिवेश में है, जो सामंती और पुरुषवादी सोच से ग्रस्त है। ऐसा समाज अपने को ऊंच-नीच में बांटकर उसी नजरिये से देखता है। वह लोगों के खान-पान, पहनावे, चाल-चलन को अपनी दृष्टि से परिभाषित करना चाहता है। ऐसे समाज को बदलना हर लोकतांत्रिक और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, न कि उसकी टिप्पणियों और मानसिकता के आगे नतमस्तक हो जाना।

प्रियंका चौधरी, टिप्पणीकार

एआई बन गया फिटनेस कोच

फिटनेस से जुड़ी जानकारियों को आसान तरीके से समझने के लिए एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। व्यायाम से लेकर मैराथन की तैयारी तक एआई की मदद ली जा रही है। सवाल उठता है कि क्या एआई के ये मंच किसी पर्सनल ट्रेनर की जगह ले सकते हैं? फिटनेस से जुड़े फैसलों में एआई की सही भूमिका क्या हो सकती है, जानकारी दे रहे हैं श्रेणिक अवलानी

बेंगलुरु की 37 वर्षीय श्रुति राजगोपालन डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हैं। वह 2023 में एवरेस्ट बेस कैंप जाने की तैयारी कर रही थीं। इसके लिए उन्हें अपनी फिटनेस बढ़ानी थी। उनके इलाके में ऐसा कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा था, जो उन्हें उनके समय के अनुसार सेवाएं दे सके। श्रुति बताती हैं, 'मैंने करीब दो महीने तक ट्रेनर तलाशे। अंत में, मैंने वर्कआउट के लिए चैट जीपीटी की मदद ली।'

47 वर्षीय उद्यमी मुरली बालन ने मैराथन की तैयारी के लिए एआई को ही अपना रनिंग कोच बना लिया है। उनके अनुसार, 'मैं पहले एक कोच को हर माह 3500 रुपए देता था। वह ई-मेल पर वर्कआउट की जानकारी भेज देता था। इसके अलावा उनसे कोई बात नहीं होती थी, न मुझे अपनी प्रगति के बारे में ही पता चल पाता था। अब मैंने चैट जीपीटी को अपना कोच बना लिया है। मैंने गार्मिन से अपने दौड़ने से जुड़ा डाटा लिया, उसे एआई को देते हुए, उसे अपना लक्ष्य बताया और फिर अपने लिए ट्रेनिंग प्लान तैयार करने के लिए कहा। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना चाहता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि हर ट्रेनिंग सेशन के बाद मैं अपनी प्रगति का विश्लेषण कर पाता हूं।' मुरली बालन ने बताया कि उन्हें एआई का विश्लेषण बहुत अच्छा लगा।

एआई यहां होगा उपयोगी

- अपने व्यायाम की शुरुआती योजना बनाना
- विभिन्न तरह के व्यायाम का मकसद और उन्हें करने का सही तरीका जानना
- टहलना, दौड़ना और अन्य व्यायाम की अपनी गतिविधियों का विश्लेषण करना और अपनी प्रगति की जांच करना
- व्यायाम के अनुकूल आदत और दिनचर्या बनाना।

85 फीसदी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे भारतीय, सेहत संबंधी जानकारी व फैसलों के लिए एआई की मदद ले रहे हैं। विश्व की तुलना में भारत यहां आगे है।

71 फीसदी के करीब लोग इंटरनेट पर सेहत से जुड़े भ्रामक व फर्जी दावों का शिकार बनते हैं भारत में, मैकेफी की स्टडी के मुताबिक।

फिटनेस के नियम सरल ढंग से समझा रहा एआई

मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. संतोष शेट्टी के मुताबिक, 'सेहत की दुनिया में एआई का इस्तेमाल मरीजों को जानकारी समझाने, रिमाइंडर भेजने और जीवनशैली में बदलाव के लिए प्रोत्साहित करने में उपयोगी हो सकता है।'

श्रुति राजगोपालन बताती हैं कि वह आज भी सप्ताह में चार दिन अपने बिल्डिंग के जिम जाती हैं और फोन पर एआई से तैयार किए गए प्लान के अनुसार व्यायाम करती हैं। वह कहती हैं, 'यह मेरे लिए अच्छे ट्रेनिंग प्लान तैयार करता है। साथ ही यह भी बताता है कि किसी खास एक्सरसाइज को क्यों शामिल किया गया है। मुझे अपने वजन या इंटेंसिटी को धीरे-धीरे कैसे बढ़ाना है। मुझे लगता था कि मुझे प्रेरित बनाए रखने के लिए ट्रेनर की जरूरत होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता।'

बालन कहते हैं, 'मुझे एआई का डाटा आधारित विश्लेषण पसंद है। मैराथन की तैयारी के दौरान एआई ने ही मुझे जोन 2 ट्रेनिंग और धीमी गति से दौड़कर मजबूत बेस बनाने की अहमियत समझाई।'

कई लोग ऐसी कम लागत वाली सलाह चाहते हैं, जो किसी भी समय मिल सके और जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत न पड़े। फरीदाबाद के फोर्टिस अस्पताल में न्यूरोलॉजी की निदेशक डॉ. विनीत बंगा बताते हैं, 'एआई जिस स्पष्टता के साथ जटिल विषयों को समझाता है, उससे सेहत से जुड़ी जानकारी लोगों के लिए सुलभ हो जाती है। उनके कहने पर तुरंत मिलने वाली यह राय लोगों को अच्छी लगती है। साथ ही अपने बारे में किसी तरह की राय बनाए जाने की आशंका भी नहीं रहती।'

अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो एआई व्यायाम और पोषण संबंधी हमारी यात्रा में एक प्रभावी साथी साबित हो सकता है। फिटनेस विशेषज्ञ स्पूर्ति एस. कहती हैं, 'आप ट्रेनिंग के सिद्धांतों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रिकवरी प्रोटोकॉल के पीछे का तर्क समझ सकते हैं। एआई टूल्स आपकी प्रगति पर नजर रखने, रुझानों का विश्लेषण करने, आपके कमजोर पक्षों की पहचान करने और रिकवरी में मदद कर सकते हैं। यह आपकी आदतों और व्यवस्थित दिनचर्या का शेड्यूल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे आपके कोच को भी अधिक प्रभावी और तेजी से फैसले लेने में मदद मिल सकती है।'

इसकी हर सलाह मानना जरूरी नहीं

- अगर कोई बीमारी हो या चोट लगी है।
- लगातार दर्द या सूजन होने पर।
- एक्सरसाइज करते समय दर्द बढ़ रहा हो।
- शरीर की मूवमेंट या पॉश्चर संबंधी समस्या होने पर।
- बहुत तेजी से वजन बढ़ाना या कम करना है अथवा अचानक अधिक अभ्यास करना चाहते हैं।
- किसी खास मकसद की तैयारी है। इन स्थितियों में डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट व क्वालिफाइड ट्रेनर की मदद लें।

यहां जरूरी होगी पेशेवर मदद

एआई के फायदे हैं, लेकिन इसे पर्सनल ट्रेनर का पूरी तरह विकल्प मानना जोखिम भरा हो सकता है। बालन मैराथन में पहले 24 किलोमीटर ढंग से पार कर पाए, पर अगले 18 किलोमीटर पूरा करने में काफी परेशानी हुई। अब वह किसी रनिंग कोच के साथ मिलकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं। 'मुझे अपने दौड़ने के तरीके, दौड़ने की कुशलता और अन्य ऐसी चीजों पर फीडबैक चाहिए, जिसे एआई मॉडल देख नहीं सकते।'

श्रुति को भी लगता है कि उनकी फिटनेस एक स्तर पर आकर रुक गई है। अब वह अगले स्तर तक पहुंचने के लिए फिर से किसी फिटनेस ट्रेनर की मदद लेने पर विचार कर रही हैं।

स्पोर्ट्स मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन विशेषज्ञ अंकिता मार्तोंडकर के मुताबिक, 'एआई किसी व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास, व्यायाम के इतिहास, शरीर की बनावट, मूवमेंट, रिकवरी या दर्द के पैटर्न का वास्तविक आकलन नहीं कर सकता। यही वजह है कि एआई से तैयार किए गए प्लान में गलत व्यायाम, जरूरत से ज्यादा या कम ट्रेनिंग और चोट लगने का जोखिम हो सकता है। खासकर, उन लोगों में जो पहले से किसी बीमारी या चोट से जूझ रहे हैं। एआई प्रोफेशनल जांच और निगरानी की जगह नहीं ले सकता।'

एआई की सीमा समझें

मुरली बालन के मुताबिक, एआई मॉडल कभी-कभी 'साइकोफैंट' यानी जरूरत से ज्यादा सहमत होने वाले सहायक की तरह व्यवहार करते हैं। कई बार वही कहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जबकि एक डॉक्टर या कोच आपको तुरंत वास्तविकता बता सकता है। लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी फिटनेस के लिए व्यक्तिगत जरूरत के मुताबिक प्लान में बदलाव करना पड़ता है। यहां पेशेवर की मदद अधिक काम आती है। एआई आपका फिटनेस असिस्टेंट बन सकता है, पर फिटनेस की पूरी बागडोर अभी एआई के हाथ में देने का समय अभी नहीं है।

mint

सवाल-जवाब

अचानक वजन कम होने पर जांच जरूरी

डॉ. पुलिन गुप्ता
प्रोफेसर (मेडिसिन), राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली

■ सवाल : मैं 45 साल का हूं। पिछले पांच माह में मेरा वजन करीब 7 किलो कम हो गया है, जबकि मैंने खानपान या व्यायाम में कोई बदलाव नहीं किया है। भूख कम लगती है। क्या तनाव के कारण ऐसा हो सकता है?

जवाब : अगर आपने अपने व्यायाम या खानपान में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, तो सबसे पहले आप डायबिटीज और थायरॉइड की जांच कराएं। इन दोनों स्थितियों में वजन कम हो सकता है। अगर भूख कम लगती है या फिर बुखार रहता है, तो यह संक्रमण का असर हो सकता है। तनाव भी एक कारण हो सकता है। कुछ मरीजों में सब-क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जिसे डिस्थिमिया बोलते हैं। इस कारण उनका मन विचलित रहता है और वजन कम हो सकता है। आप डॉक्टर से मिलें व पूरी गंभीरता से इलाज कराएं। बिना वजह इतना वजन कम होना ठीक नहीं है।

■ सवाल : मेरी उम्र 32 साल है। बीते डेढ़ साल में दो बार पैंक्रियाटाइटिस हो चुका है। मैं शराब नहीं पीता और पित्त की पथरी भी नहीं है। ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है?

जवाब : पैंक्रियाटाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। शराब और पित्त की थैली में पथरी, इसका सबसे सामान्य कारण है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, खासकर ट्राइग्लिसराइड का स्तर बहुत अधिक होना या कैल्शियम ज्यादा होने पर भी ऐसा हो सकता है।

कई लोग दर्द निवारक दवाओं और बिना सलाह स्टेरॉइड दवाएं खाते रहते हैं। इस कारण भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। कई बार पैंक्रियास के जो डक्ट निकलते हैं, उसमें बचपन से एनोमली होती है, जिसे 'पैंक्रियाटिक डिविजम' बोलते हैं। आप डॉक्टर को दिखाएं, इसके लिए एमआरसीपी आदि कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं। समय रहते इलाज कराना जरूरी है, वरना समस्या गंभीर हो सकती है।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं–
तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, 201301

टखनों में ताकत बनाए रखिए

दिनभर कुर्सी पर बैठे रहने के कारण कमर व घुटनों में दर्द की समस्या आम है। इस दर्द का कारण टखनों की जकड़न भी हो सकती है। शरीर के इस जोड़ की सेहत पर अक्सर हमारा ध्यान कम ही जाता है।

कामकाजी लोगों में अक्सर घुटने या कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। नसों में दबाव या फिर प्रभावित हिस्से की मांसपेशियों की कमजोरी ही इसकी एकमात्र वजह नहीं है। अमेरिकी फिटनेस कोच डैन गो के मुताबिक, टखनों का लचीलापन कम होना, शरीर के इन हिस्सों की गतिविधियां प्रभावित कर सकता है।

देर तक बैठे रहना बड़ी वजह

लंबे समय तक बैठे रहने से टखने की जकड़न बढ़ जाती है। खासकर टखनों को ऊपर की ओर मोड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे 'एंकल डॉर्सफ्लेक्शन' कहते हैं। इसका असर केवल टखने तक सीमित नहीं रहता। चलने, झुकने, बैठने या स्क्वाट करने के दौरान शरीर का सामान्य संतुलन बनाए रखने के लिए घुटने, कूल्हे और कमर पर दबाव अधिक दबाव बढ़ सकता है।

टखने की जकड़न पहचानें

- अगर स्क्वाट या लंज व्यायाम करते समय एड़ियां जमीन से उठ जाती हैं, घुटने अंदर की ओर आने लगते हैं या कमर ज्यादा बाहर निकलने लगती है, तो यह टखने के लचीलेपन की कमी का संकेत हो सकता है। पैर के आर्च का दबना और कूल्हों पर अतिरिक्त दबाव भी इसका संकेत है।
- दीवार के सामने खड़े होकर पैर का अंगूठा दीवार से करीब चार इंच दूर रखें। एड़ी जमीन पर टिकाए रखते हुए घुटने को धीरे-धीरे आगे ले जाकर दीवार से छूने की कोशिश करें। अगर घुटना दीवार तक पहुंचने से पहले ही एड़ी उठ जाती है या घुटने को आगे ले जाने के लिए वह अंदर की ओर मुड़ता है, तो यह टखने के लचीलेपन का कम होने का संकेत हो सकता है। दोनों पैरों को अलग-अलग जांचें। कई बार समस्या एक ही पैर में हो सकती है।

रोज करें ये आसान व्यायाम

- पैर को अच्छी तरह जमीन पर टिकाकर खड़े हो जाएं। अब एक घुटने को धीरे-धीरे दीवार की दिशा में आगे ले जाएं, जितना आराम से कर सकें। कुछ सेकंड बाद वापस शुरुआती स्थिति में आएं। दोनों पैरों से अलग-अलग कम से कम छह बार ऐसा करें। इस दौरान एड़ी जमीन से नहीं उठनी चाहिए और दर्द होने पर इस व्यायाम को रोक दें।

यह महज एक स्ट्रेचिंग नहीं है। यह जोड़ों का लचीलापन बढ़ाने वाला व्यायाम है। इसका मकसद नियंत्रित तरीके से टखने की मूवमेंट बढ़ाना है।

- अगर आप रोजाना आठ-दस घंटे बैठते हैं, तो एक साथ देर तक व्यायाम की बजाय छोटे-छोटे ब्रेक लें, जिसमें शरीर के अलग-अगल हिस्सों को हिलाएं-डुलाएं। थोड़ी-थोड़ी देर बाद सीट से उठते रहें। थोड़ी देर टहलें। पैरों व टखनों को हिलाएं। टखनों की ओर से पैरों को घड़ी की दिशा और घड़ी से विपरीत दिशा में गोल-गोल घुमाएं।

ध्यान रखें, अगर घुटने या कमर का दर्द लगातार बना रहता है या फिर किसी चोट के बाद शुरू हुआ है या घर में व्यायाम के बाद भी सूजन या कमजोरी रहती है, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपस्टि से सलाह लें।

आयरन की कमी के 5 संकेत

अगर सामान्य तापमान पर आपको दूसरों की तुलना में अधिक ठंड लगती है, तो यह आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। हालांकि, ज्यादा ठंड लगना आयरन की कमी का एकमात्र लक्षण नहीं है। अन्य लक्षणों को देखते हुए खून की जांच से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

1. पूरी नींद के बाद भी थकान : सुबह उठते ही थकान महसूस हो या दिनभर ऊर्जा की कमी बनी रहे। फिजिशियन डॉ. कुणाल सूद के अनुसार, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है और हीमोग्लोबिन सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति न होने पर तन और मन जल्दी थक जाते हैं।

2. सामान्य तापमान पर ज्यादा ठंड लगना : अगर सामान्य तापमान में भी आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा और बार-बार ठंड लगती है, तो यह आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। इसके लिए अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना होगा।

3. कम मेहनत में सांस फूलना : सीढ़ियां चढ़ने, थोड़ी दूर चलने या हल्का काम करने पर पहले की तुलना में ज्यादा सांस फूलने लगे, तो जांच करानी चाहिए। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, जिससे ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचने की क्षमता प्रभावित होती है।

4. सामान्य से ज्यादा बाल झड़ना : कंघी या नहाते समय ज्यादा बाल झड़ना भी एक संकेत है। आयरन की कमी से टेलोजन एफ्लुवियम हो सकता है, जिसमें जड़ें निष्क्रिय होने से बाल झड़ने लगते हैं।

5. त्वचा का फीका या बेजान दिखना : आयरन की कमी में त्वचा सामान्य से ज्यादा फीकी नजर आ सकती है। निचली पलक के अंदर का हिस्सा भी कम गुलाबी दिखाई दे सकता है।

जरूरी जांच

लक्षण देखते हुए सीबीसी, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन की जांच करवाई जा सकती है। खानपान में बदलाव और सप्लीमेंट्स से कमी पूरी की जाती है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन परेशान रहेगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तरक्की के साथ किसी दूसरे स्थान पर परिवार से दूर जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

वृष : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन : आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

कर्क : पढ़ाई के कार्यों में मन लगेगा। पढ़ाई के काम में मान-सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

सिंह : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

कन्या : पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि के कार्यों से आय में वृद्धि होगी। कारोबार में सुधार के लिए माता-पिता से धन मिल सकता है।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक : नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

धनु : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। क्रोध से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव रहेगा। कारोबार में किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन कष्टमय होगा। मित्रों का साथ मिलेगा।

मीन : मन प्रसन्न रहेगा। भवन सुख बढ़ेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के मौके मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। यात्रा पर जा सकते हैं।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

21 अगस्त, शुक्रवार, **शक संवत्** : 30 श्रावण (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 05 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 07 रबि-उल्लावल, 1448, **विक्रमी संवत्** : श्रावण शुक्ल नवमी तिथि रात्रि 11.37 बजे तक पश्चात दशमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र प्रातः 11.53 बजे तक पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र, बालव करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। गंडमूल प्रातः 11.53 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे इन कामों का दुष्परिणाम मिलता है :

- स्नान करने के बाद गंदे पानी से भरी बाल्टी नहीं छोड़नी चाहिए। बाथरूम में सामान इधर-उधर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए।
- नहाने के बाद टूटे बाल बाथरूम में नहीं छोड़ने चाहिए। बाथरूम कभी भी गंदा नहीं रहना चाहिए। नहाने के बाद कपड़े इधर-उधर नहीं पड़े रहने चाहिए।
- स्नान के बाद बाल्टी को या तो भरकर रखें या फिर उल्टा करके रखें। कभी भी बाथरूम में खाली बाल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इन आदतों के कारण हमारे ग्रह प्रभावित होते हैं। हमारा मन भी विचलित एवं परेशान रहता है।

वर्ग पहेली : 8427

1		2			■	3	4	
	■		■	■	5	■		■
	■		■	6				
7			8	■		■		■
	■	9				10	■	11
■	12	■			13			
14					■		■	
■		■		■	■		■	
15			■	16				

बाएं से दाएं

1. जो संसद की मर्यादा के प्रतिकूल हो; जो संसदीय न हो (5)
3. दबाव; नियंत्रण; रोक; हाथी के सिर पर कोंचने वाला महावत का कांटा (3)
6. कदम बढ़ाना; चलने में आगे पैर रखना (2,3)
7. परे हटाना; दूर करना; खिसकाना (4)
9. चंद्रमा; चांद (5)
13. कृपा; दया (4)
14. गले का हार; कंठहार; गलमाला (5)
15. अज्ञात; अप्रसिद्ध; अविख्यात; नामहीन (3)
16. अपनत्व; आत्मीयता; स्वजन भावना (5)

ऊपर से नीचे

1. आदेश; नियंत्रण; आचरण का विधान; नियमबद्धता; संयम (5)
2. राय देने वाला; सलाह देने वाला; परामर्शदाता (5)
4. प्रकृति; शक्ति (4)
5. घर्षण कर के; घर्षण के साथ; घिस कर; रगड़ने से (3,2)
8. हाव-भाव; चटक-मटक (2,3)
10. उपेक्षा करना; कुछ ध्यान न देना; छोड़ देना; हस्तक्षेप न करना (3,2)
11. पतला होने का भाव (5)
12. आह भरना; बिलखना; विलाप करना (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8426

■	1 घू	2 स	खो	3 र	■	4 अ	■	5 प
6 द	■	र	■	7 मा	ख	न	चो	र
8 ल	ल	का	र	ना	■	ब	■	लो
द	■	र	■	9 थ	10 का	न	■	क
11 ल	ट	■	12 ना	■	ल	■	13 अ	सि
में	■	14 आ	व	15 क	■	16 पा	■	धा
फं	■	म	■	17 म	ह	क	दा	र
18 स	का	रा	त्म	क	■	शा	■	ना
ना	■	य	■	19 स	ह	ला	ना	■

सुडोकू : 8381

*मध्यम

			4			2		
	1			6	5		8	
4				9	7			
	8	9						1
	6	1				8	2	
5						3	9	
			6	8				2
	9		7	5			1	
		6			1			

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8380

8	6	5	4	1	2	7	3	9
7	2	9	6	5	3	8	4	1
3	4	1	9	7	8	2	6	5
6	7	3	5	2	9	1	8	4
1	8	4	3	6	7	5	9	2
9	5	2	1	8	4	6	7	3
4	1	7	2	9	6	3	5	8
2	3	8	7	4	5	9	1	6
5	9	6	8	3	1	4	2	7

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- 📍EnglishEditorialsPDF with International Newspapers Editorials [35-40pages]
- 📍 Hindi Editorials PDF
- 📍 Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International [Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world. Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Click Here